राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास
(एनआईसीडीआईटी)

वार्षिक रिपोर्ट
और
अंकेक्षित वित्तीय विवरण
(हिंदी तथा अंग्रेज़ी)

वित्तीय वर्ष 2021-22

संगठन के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ओ.एम नं. के पैरा 02 पर भेजा गया एल.ए.क़.इ.ए. एस -सी.बी.II067/18/2019-सी.बी.-II दिनांक 23.10.2019 लोकसभा सचिवालय

मंत्रालय का नाम: - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

विभाग का नाम: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)

संगठन का नाम: राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी
1	कृपया निर्दिष्ट करें, क्या संगठन स्वायत्त / सांविधिक निकाय, संयुक्त उद्यम, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, आदि है	न्यास
2	संगठन की स्थापना का वर्ष	2012
3	क्या संगठन संबंधित मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)
4	संगठन को संचालित करने वाले अधिनियम / नियम / विनियम	न्यास विलेख तथा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 तथा सामान्य वित्तीय नियम, 2017
5	क्या उपरोक्त क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अधिनियम / नियम / विनियमन में सदन के पटल पर संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने के प्रावधान हैं? (हाँ या नहीं में इंगित करे) (कृपया अधिनियम / नियम / विनियमन की एक प्रति संलग्न करें)	हाँ (सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 संलग्न है)
6	यदि क्रम संख्या 5 से ऊपर का उत्तर हां में है, तो इन रिपोर्टों को पटल पर रखने के लिए निर्धारित समय सीमा को इंगित करें।	31 दिसंबर
7	क्या संबंधित मंत्रालय / विभाग से संगठन को वित्तीय सहायता (एक बार / आवर्ती / वार्षिक) प्राप्त हुई है।	वार्षिक
8	क्या स्थापना के बाद से निरंतर, संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं; (हाँ या नहीं में इंगित करे)	हाँ
9	यदि ऊपर दिए गए क्रम संख्या 8 का उत्तर हां है, तो पिछले तीन वर्षों यानी 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए सदन के पटल पर अपेक्षित दस्तावेज रखने की तिथि (तारीखों) को इंगित करें।	**वित्तीय वर्ष** / **लोकसभा** / **राज्यसभा** 2018-19 / 21.09.2020 / 12.02.2021 2019-20 / 10.02.2021 / 12.02.2021 2020-21 / 09.02.2022 / 11.02.2022
10	यदि क्रम संख्या 8 के ऊपर का उत्तर नहीं है; तो इसकी स्थापना के बाद से उन वर्षों का उल्लेख कारणों के साथ, जिनके लिए संगठन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज नहीं रखे गए हैं, तथा वही, सदन के पटल पर कब तक रखे जाने की उम्मीद है।	लागू नहीं

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

Rule 238 **(1) Utilization Certificates.** In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in -aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट	1 - 45
2	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	46-50
3	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रमाणित वार्षिक खाते	51 - 62

वार्षिक रिपोर्ट
(वित्तीय वर्ष 2021-22)

15 सितंबर 2011 को भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार दिनांक 27 सितंबर, 2012 को ट्रस्ट डीड के निष्पादन द्वारा डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड निगमित किया गया था।

भारत सरकार ने दिनांक 22 दिसंबर, 2016 के आदेश द्वारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के अधिदेश और दायरे को विस्तारित करने तथा देश में औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास के लिए इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन: नामित करने का अनुमोदन प्रदान किया। एनआईसीडीआईटी, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। सरकार ने निम्नलिखित संरचना के साथ एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल के गठन को भी अनुमोदन दिया है:

1. सचिव, डीपीआईआईटी, अध्यक्ष;
2. सचिव, व्यय विभाग, सदस्य;
3. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, सदस्य;
4. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग, सदस्य;
5. सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, सदस्य;
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सदस्य;
7. सीईओ, नीति आयोग, सदस्य; और
8. सीईओ, एनआईसीडीआईटी, सदस्य सचिव

एनआईसीडीआईटी की भूमिका, उत्तरदायित्व तथा कार्य निम्नानुसार हैं:

क) औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए एक सक्षम संस्थानिक, आर्थिक और क्रियाशील ढांचा स्थापित करना;

ख) नए औद्योगिक गलियारों, नोड, अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट और स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना;

ग) सभी प्रोजेक्टों का मूल्यांकन करना और एसपीवी को इक्विटी अथवा ऋण अथवा दोनों अधिकृत करना और वित्तीय अधिकारों के अनुमोदित प्रत्यायोजन के अनुसार परियोजना विकास के लिए अनुदान की स्वीकृति देना;

घ) नॉलिज पार्टनर(रों), विशेष प्रयोज्य योजनाओं (एसपीवी) और राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक गलियारों में परियोजना विकास गतिविधियों को सहारा देना और उद्योगों के लिए प्रमुख निवेशकों की पहचान करने में राज्यों की सहायता करना;

ङ) आवश्यकता के अनुसार ऋण/इक्विटी एकत्र करना, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाना और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/अन्य स्टेक होल्डरों के साथ संयुक्त उद्यम में गठित एसपीवी को इक्विटी/ऋण उपलब्ध कराना;

च) पिछले अनुच्छेदों में उल्लिखित तौर-तरीकों को प्रभावी रूप देने के लिए, समय-समय पर आवश्यकता अनुसार, राज्य सरकारों/परियोजना विशेष एसपीवी/सार्वजनिक अथवा निजी संगठनों के साथ अनुबंध करना;

छ) विशेष रूप से पहचाने गए सामरिक अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट जिन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर विकसित किया जा सकता है, ऐसे प्रोजेक्टों के लिए राज्यों के मौजूदा तंत्र द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए धन उपलब्ध कराना। बहरहाल, शहर/नोड के लिए भूमि आवश्यक रूप से राज्य की इक्विटी होगी और राज्य द्वारा अधिगृहित की जाएगी तथा उनके द्वारा पूर्ण भुगतान किया जाएगा।

ज) एनआईसीडीआईटी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की सलाह पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखों को रखेगा और खाते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

एनआईसीडीआईटी का संस्थानिक ढांचा निम्नानुसार है:

क. एनआईसीडीआईटी का निदेशक मंडल प्रत्येक एसपीवी की अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि अधिग्रहण और कार्य के वास्तविक निष्पादन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, ऋण और इक्विटी के इष्टतम मिश्रण, वित्तीय साधनों के विकल्प, निधियों की मात्रा, नियम एवं शर्तें और भारत सरकार द्वारा उपलब्ध अनुदान से संवितरण अनुसूची को अनुमोदन और स्वीकृति देगा। इसी प्रकार परियोजना विकास के लिए नॉलेज पार्टनर(रों) को कार्य की प्रगति के अनुसार चरणों में अनुदान प्रदान किया जाएगा।

ख. एनआईसीडीआईटी वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक ऋण जुटाने के लिए भारत सरकार के उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाएगी और औद्योगिक गलियारों के विकास को सक्षम बनाने

हेतु यथोचित अनुमोदनों को प्राप्त करने के पश्चात कर-मुक्त बांड, कैपिटल गेन बांड, साख संवर्धन, आदि जारी करेगी।

ग. एनआईसीडीआईटी में भारत सरकार के अंशदान का उपयोग एक परिक्रामी निधि के रूप में किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा एसपीवी में किया गया निवेश एनआईसीडीआईटी के माध्यम से होगा ताकि भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का प्रयोग कर एनआईसीडीसी द्वारा अभी तक विकसित एसपीवी द्वारा सभी ऋण भुगतान और एसपीवी से इक्विटी विनिवेश की प्रक्रिया से प्राप्त धन को परिक्रामी निधि में पुन: लगाया जाए, जो एनआईसीडीआईटी को भविष्य में इस प्रकार के और औद्योगिक शहरों को विकसित करने में सक्षम बनाएगा। नोडल/सिटी लेवल एसपीवी भारत सरकार/राज्य सरकारों से उपयुक्त गारंटियों द्वारा साख संवर्धन के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण जुटा सकती हैं, ताकि यह बीमा और पेंशन निधियों द्वारा निवेश के लिए अर्थक्षम हो। नोडल/सिटी लेवल एसपीवी को नवप्रवर्तन अवसंरचना निधिकरण शामिल करने और यूजर फी फंडिंग, मूल्य नवप्रवर्तन और विभिन्न पीपीपी व्यवस्था जैसे साधन नियोजित करने का प्रयास करेंगी। राज्य सरकार/एसपीवी द्वारा ऋण अथवा अन्य संसाधनों के रूप में एकत्र की गई निधि को भी राज्य की ओर से योगदान गिना जायेगा।

घ. पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना प्रोजेक्ट के अनुसार उनके सूत्रीकरण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए प्रचलित दिशा-निदेशों का अनुपालन किया जाएगा। इस प्रकार की परियोजनाएं प्रचलित नीति के अनुसार वॉयाबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की पात्र होंगी। डीपीआईआईटी के सचिव और एनआईसीडीआईटी के सदस्य सचिव, इंडस्ट्रियल कोरिडोर परियोजनाओं हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी अनुमोदन समिति (पीपीपीएसी) के सदस्य होंगे। मास्टर प्लान/डेवलपमेंट प्लान के अनुसार समन्वित विकास सुनिश्चित करने के संबंध में औद्योगिक गलियारों में वीजीएफ के लिए सभी प्रस्तावों को एनआईसीडीआईटी द्वारा जांचा और अनुशंसित किया जाएगा।

ङ. प्रत्येक इंडस्ट्रियल सिटी/नोड को भारत सरकार से औसतन 2500 करोड़ रुपए का समर्थन दिया जाएगा जो भौगोलिक स्थान, आकार, राज्य के योगदान और विकासात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए अधिकतम 3000 करोड़ रुपए होगा। प्रत्येक शहर/नोड के लिए वास्तविक आवश्यकता भिन्न-भिन्न हो सकती है, जो भूमि की लागत और अवसंरचना विकास तथा भूमि अधिप्राप्ति/लैंड पूलिंग के लिए धन जुटाने की राज्य सरकार की क्षमता पर निर्भर करता है। राज्य सरकार का योगदान भूमि अथवा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तपोषण सहित किसी भी स्रोत से उसके द्वारा जुटाए गए धन के रूप में होगा। यद्यपि गैर-पीपीपी

परियोजनाओं के लिए कुल आवश्यकता बहुत अधिक हो सकती है जो शहर प्रति शहर भिन्न होगी और भारत सरकार से मांगी जा रही उपरोक्त उल्लिखित धनराशि इन शहरों/नोडों में विकास के प्रथम चरण को शुरू करने के लिए है। बाद में, धनराशि आंतरिक मुद्रीकरण, आदि द्वारा जुटाई जाएगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

एनआईसीडीआईटी अपने सम्मुख प्रस्तुत सभी गैर-पीपीपी परियोजनाओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। एनआईसीडीआईटी बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर, यह 300 करोड़ रुपए तक की मूल्यांकित परियोजनाओं का अनुमोदन देगा। 300 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 500 करोड़ तक की मूल्यांकित परियोजनाओं के मामले में प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 500 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 1000 करोड़ रुपए तक के प्रस्तावों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए से अधिक सभी प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अलावा, सीसीईए ने 30.12.2020 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, भूमि की उपलब्धता और भौतिक तैयारियों के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के चरण बदलने के लिए एनआईसीडीआईटी को अधिकार प्रदान किए हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान न्यासी मंडल ने 14 जुलाई, 2021 और 21 सितंबर, 2021 को बैठक आयोजित की।

इंडस्ट्रियल कोरिडोर नोड का नियोजन और उनकी अपनाई गई संधारणीयता विशेषताएं:

विकसित किए जा रहे इंडस्ट्रियल कोरिडोर नोड्स एक लंबे समय तक चलने वाले दृष्टिकोण को अपनाते है जो खुले हरित क्षेत्रों, पब्लिक ट्रांजिट और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, पारंपरिक ऊर्जा के प्रयोग को न्यूनतम करना, जल संरक्षण को ईष्टतमीकरण और पुन:चक्रण करना, ठोस अपशिष्ट सामग्रियों को एकत्रित और पुन:चक्रित करने सहित लो कार्बन सिटी (एलसीसी) विकसित करने के लिए आधारभूत कार्य करते हैं। ट्रंक अवसंरचना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है जो सभी नोड्स में अपनायी जाती है:-

क) सभी सुविधाओं को भूमिगत बनाए जाने की योजना है जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा। वे परिवहन मार्ग से बाहर है ताकि अनुरक्षण और अन्य कार्यों के दौरान मुख्य परिवहन मार्ग प्रभावित न हो।

ख) बस स्टेशनों को 400 मीटर की पैदल दूरी के भीतर बनाया जाएगा। पहुंच बढ़ाने के लिए बेहतर अंतिम छोर संपर्कता विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। यातायात पर प्रभाव को कम करने के लिए बसबे/ बस स्टॉप के लिए प्रावधान है।

ग) अपशिष्ट जल को एकत्रित कर एसटीपी और सीईटीपी से पुन:चक्रित किया जाएगा और इसे गैर-पीने योग्य उद्देश्य से शहर में पुन:वितरित किया जाएगा। किसी भी ओवरफ्लो से बचने और कुशलता बनाए रखने के लिए स्काडा प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। स्थायी उपाय के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) को अपनाया जाएगा। औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक सीवर लाइनें होगी।

घ) सिटी लेवल पर वर्षा जल संचायन के माध्यम से जल संरक्षण को अपनाया गया है। उदाहरण के लिए धौलेरा में 2500 मिलियन लिटर क्षमता से अधिक वाले 100 मीटर चौड़े चैनल को वर्षा जल संग्रहण, पार्कों और बगीचों की सिंचाई के साथ-साथ गैर पीने योग्य उद्देश्य से उपयोग में लाया जाएगा।

ङ) ग्रीनफील्ड सिटी की संपूर्ण अवसंरचना योजना को वास्तविक समय की जानकारी उत्तपन्न करने और इसे प्रभावी रूप से परिचालित एवं प्रबंधित करने के लिए स्काडा, सेंसर और ऑटोमेशन के साथ नियोजित किया गया है। यह इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ई-गवर्नेंस, डिजिटल हेल्थ एवं एजुकेशन, इमरजेंसी और सिटी ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाएगा।

च) खुले हरित क्षेत्रों के लिए वर्गीकरण अनुक्रम द्वारा हरित क्षेत्रों की योजना निम्नानुसार है:

i. पांच मिनट की पैदल दूरी पर नज़दीकी पार्क;
ii. दस मिनट की पैदल दूरी पर सामुदायिक पार्क;
iii. शहर के भीतर स्टोर्म वाटर केनाल के साथ लाइनर पार्क।

छ) सुरक्षित और स्थायी मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली के लिए योजना बनाई गई है जो सार्वजनिक परिवहन मोड और गैर-मोटर चालित मोड के साथ एकीकृत है।

ज) सामाजिक अवसंरचना के साथ कलस्टर में पार्किंग सुविधाओं के साथ प्रमुख पारगमन क्षेत्रों में नियोजित विद्युत चार्जिंग स्टेशन आयोजित है।

झ) सभी झीलों को बेहतर बनाया जा रहा है और पानी की धारणीयता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त नहरों की योजना है और रहने वालों के लिए मनोरंजन क्षेत्र उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई गई है।

ञ) निवासियों के लिए चलने हेतु व्यापक फुटपाथ और प्रदूषण कम करने के लिए साइकिल ट्रैक।

ट) सभी प्लॉट और परिसंपत्तियों को देखने के लिए व्यापक वेब आधारित जीआईएस ऐप्लिकेशन। सूचना प्राप्त करने, भूमि के लिए आवेदन और आबंटन के प्रति अपने आवेदन को देखने हेतु निवेशकों के लिए व्यापक ऑनलाइन भूमि प्रबंधन प्रणाली।

व्यापार और परिचालन की समग्र समीक्षा

परियोजनाओं की प्रगति की मुख्य विशेषताओं का सिंहावलोकन निम्नानुसार है:

1. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण प्रगति है जहां 04 ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल शहरों में प्रमुख अवसंरचना कार्य पूरे होने वाले है:

    - गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए 22.5 वर्ग किमी का सक्रियण क्षेत्र;
    - महाराष्ट्र में शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के चरण-1 के लिए 18.55 वर्ग किमी क्षेत्र;
    - उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 747.5 एकड़ क्षेत्र वाला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट;
    - मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगभग 1100 एकड़ क्षेत्र में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट

अन्य कोरिडोरों के लिए परियोजना विकास गतिविधियां चल रही है।

2. उपरोक्त उल्लिखित शहरों में 851 एकड़ माप के 173 प्लॉट (38 आवासीय एवं वाणिज्यिक प्लॉट सहित) को आबंटित किया जा चुका है जिसमें_16,560 करोड़ रूपए का निवेश आकर्षित हुआ है। तत्काल आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि क्षेत्र - 3,268 एकड़ विकसित औद्योगिक भूमि एवं अन्य उपयोग (वाणिज्यिक, आवासीय) के लिए 3,029 एकड़।

3. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, डीएमआईसी प्रोजेक्ट के भाग के रूप में राजस्थान सरकार के साथ जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट एरिया (जेपीएमआईए) और खुशखेडा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन (केबीएनआईआर) के लिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) निष्पादित किए गए हैं।

4. इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी विस्तार के अंतर्गत केरल में पालक्काड नोड और डीएमआईसी

के तहत राजस्थान में जेपीएमआईए एवं केबीएनआईआर के लिए प्रोजेक्ट एसपीवी को भी निगमित किया गया है;

5. एनआईसीडीआईटी ने 14 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में निम्न परियोजनाओं को इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया है:

   क. एकेआईसी के तहत प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में आईएमसी सरस्वती हाई टेक सिटी (ब्राउनफील्ड विकास);

   ख. एकेआईसी के अंतर्गत बद्दी-बरोटीवाला-नालाघर (बीबीएन) नोड (हिमाचल प्रदेश); और

   ग. डीएमआईसी के अंतर्गत गुजरात में मंडल-बेचाराजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एमबीएसआईआर)।

6. एनआईसीडीआईटी ने 21 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित परियोजनाओं का मूल्यांकन किया:

   क) दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) के अंतर्गत गुजरात में भीमनाथ से धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर) तक नई रेल लाइन का निर्माण; और

   ख) हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे (एचएनआईसी) के तहत तेलंगाना में जहीराबाद नोड।

7. सरकार ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 अक्टूबर, 2021 को पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का लोकार्पण किया। पीएम गतिशक्ति एक समग्र अवसंरचना विकास कार्यक्रम है जो सभी संबंधित मंत्रालयों की विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा और व्यक्तियों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मिसिंग गैप भरेगा। इसका उद्देश्य जीवन की सुगमता को बढ़ाना, व्यापार करने में सुगमता, व्यवधानों को कम करना और लागत दक्षता के साथ कार्यों को पूरा करने में तेजी लाना है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम मांग से पहले गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के सृजन के लिए नेशनल मास्टर प्लान का एक हिस्सा है और विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करने हेतु विकसित भूखंडों को तत्काल आवंटन के लिए तैयार रखना और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत को एक मज़बूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है।

8. वर्तमान में, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के भाग के रूप में 04 चरणों में विकसित किए जाने वाली 32 परियोजनाओं के साथ निम्न 11 इंडस्ट्रियल कोरिडोर विकसित किए जा रहे है:

क. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी);

ख. चेन्नई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी);

ग. अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी);

घ. ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर (ईसीआईसी) के फेज 1 के रूप में विजाग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी);

ङ. बेंगलुरु-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी);

च. कोयंबटूर होते हुए कोच्चि तक सीबीआईसी का विस्तार;

छ. हैदराबाद-नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचएनआईसी);

ज. हैदराबाद-वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचडब्ल्यूआईसी);

झ. हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचबीआईसी);

ञ. ओडिशा इकनोमिक कोरिडोर (ओईसी) और

ट. दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएनआईसी)

9. 4 चरणों में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित 32 परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार है:

चरण 1 (पहले से ही अनुमोदित और जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है)
•**1.1:** धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर) (22.5 वर्ग किमी), (गुजरात, डीएमआईसी) •**1.2:** शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया (एसबीआईए) (18.55 वर्ग किमी), (महाराष्ट्र, डीएमआईसी) •**1.3:** इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप - ग्रेटर नौएडा (आईआईटी-जीएन), (747.5 एकड़), (उत्तर प्रदेश, डीएमआईसी) •**1.4:** इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप - विक्रम उद्योगपुरी (आईआईटी - वीयू), (1,100 एकड़), (मध्य प्रदेश, डीएमआईसी) •**1.5:** इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब - नांगल चौधरी (आईएमएलएच-एनसी), (886 एकड़) (हरियाणा, डीएमआईसी)

चरण 2 (योजना के उन्नत चरण में जिनका क्रियान्वयन 2021 तक शुरू किया जाएगा और 2024 तक पूरा होने की संभावना है)
•**2.1:**कृष्णापट्नम इंडस्ट्रियल एरिया (2,500 एकड़) (आंध्र प्रदेश, सीबीआईसी) •**2.2:** तुमकुरु इंडस्ट्रियल एरिया (1,736 एकड़) (कर्नाटक, सीबीआईसी) •**2.3:** मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब एवं मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमएलएच एवं एमएमटीएच) (1,208 एकड़), (उत्तर प्रदेश, डीएमआईसी) •**2.4:** दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया (5,935 एकड़) (महाराष्ट्र, डीएमआईसी) •**2.5:** मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, सानंद (500 एकड़) (गुजरात, डीएमआईसी) •**2.6:**जहीराबाद चरण 1 (3,909 एकड़) (तेलंगाना, एचएनआईसी) •**2.7:** हैदराबाद, चरण 1 (8,000 एकड़) (तेलंगाना, एचडब्ल्यूआईसी) •**2.8:** रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल पार्क (2,483 एकड़) (पश्चिम बंगाल, एकेआईसी)

चरण 3 (विकासाधीन और जिनका क्रियान्वयन 2023 तक शुरू किया जाएगा एवं 2026 तक पूरा होने की संभावना है)
•**3.1:** पोन्नेरी इंडस्ट्रियल एरिया (4,000 एकड़) (तमिलनाडु, सीबीआईसी) •**3.2:** पालक्कड इंडस्ट्रियल एरिया (1,878 एकड़) (केरल, सीबीआईसी एक्सटेंशन) •**3.3:** धरमपुरी सेलम (1,773 एकड़) (तमिलनाडु, सीबीआईसी एक्सटेंशन) •**3.4:** हिसार इंटीग्रेटेड मेन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) (1,605 एकड़), (हरियाणा, एकेआईसी) •**3.5:** कोपार्थी इंडस्ट्रियल एरिया (5,760 एकड़) (आंध्र प्रदेश, वीसीआईसी) •**3.6:** विशाखापट्नम इंडस्ट्रियल एरिया (3,196 एकड़) (आंध्र प्रदेश, वीसीआईसी) •**3.7:** चित्तूर इंडस्ट्रियल एरिया (8,967 एकड़) (आंध्र प्रदेश, वीसीआईसी) •**3.8:** खुरपिया इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) (1,002 एकड़), (उत्तराखंड, एकेआईसी) •**3.9:** जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (6,570 एकड़), (राजस्थान, डीएमआईसी)

चरण 4 (अवधारणा के तहत जिनका क्रियान्वयन 2024 तक शुरू किया जाएगा और 2027 तक पूरा किए जाने की संभावना है)
•**4.1:** धारवाड़ नोड (6,042 एकड़) (कर्नाटक, बीएमआईसी) •**4.2:** सतारा नोड (12,355 एकड़) (महाराष्ट्र,बीएमआईसी) •**4.3:** राजपुरा पटियाला आईएमसी (1,100 एकड़) (पंजाब, एकेआईसी) •**4.4:** आगरा आईएमसी (1,059 एकड़) (उत्तर प्रदेश, एकेआईसी) •**4.5:** एकेआईसी के अंतर्गत झारखंड में आईएमसी •**4.6:** एकेआईसी के अंतर्गत बिहार के गया में आईएमसी (1,670 एकड़) •**4.7:** ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर (ओईसी) (11,366 एकड़) • पारादीप-केंद्रपाड़ा-धमा-सुबर्नरेखा •गोपालपुर-भुवनेश्वर-कलिंगनगर •**4.8:** ओरवकल इंडस्ट्रियल एरिया (9,305 एकड़) (आंध्र प्रदेश, एचबीआईसी) •**4.9:** खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया (1,625 एकड़) (राजस्थान, डीएमआईसी) •**4.10:** दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएनआईसी)

ट्रस्ट/सीसीईए द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं सहित विभिन्न नोड/आईएमसी की स्थिति निम्नानुसार है:

<u>दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट</u>

1. <u>गुजरात</u>

<u>धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर):</u>

- विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरे हो गए है;
- सभी अनुप्रवाह गतिविधियों को समन्वित कर प्रोग्राम मैनेजर कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां कर रहे हैं;
- "धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड" नामक एसपीवी निगमित की गई है। राज्य सरकार ने एसपीवी को 48.31 वर्ग किमी भूमि अंतरित की है और नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा इसके 49 प्रतिशत इक्विटी शेयर के लिए 2,784.83 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी गई है;

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान कर दी है;
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने धौलेरा के सक्रियण क्षेत्र के लिए विभिन्न ट्रंक अवसंरचना घटकों के लिए पांच पैकेजों में बंटे निविदा पैकेज को अनुमोदित किया है, जिनमें से प्रत्येक की स्थिति निम्नानुसार है:

  - सड़क और सेवा अनुबंध (1734 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है; संशोधित परियोजना लागत 1,798.49 करोड़ रुपए; मार्च, 2022 तक भौतिक प्रगति - 92%;
  - एबीसीडी बिल्डिंग अनुबंध (72.31 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। क्यूब कन्सट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड चुना गया बोलीदाता है और कार्य अप्रैल, 2019 में पूरा हो गया है;
  - जल शोधन संयंत्र अनुबंध (90 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एसपीएमएल चुना गया बोलीदाता है और मार्च, 2021 तक भौतिक प्रगति – 30.00%; ठेका रद्द कर दिया गया और एमएसकेईएल को प्रदान किया गया। मार्च, 2022 तक कार्य की भौतिक प्रगति 17%
  - मलजल उपचार संयंत्र अनुबंध (54 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और मार्च, 2022 तक भौतिक प्रगति – 83%;
  - सेंट्रल एफ्फलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अनुबंध(160 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और मार्च, 2022 तक भौतिक प्रगति – 75%;

- मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) नियुक्त किया गया है, टेक महिंद्रा लि. के साथ संयुक्त उपक्रम में डी.आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा. लि. चयनित एजेंसी है। मार्च, 2022 तक कार्य की भौतिक प्रगति- 80 प्रतिशत;
- भूमि भराव, निर्माण, एमईपी और लैंडस्केपिंग सहित केनाल फ्रंट विकसित करने के लिए ईपीसी (41.42 करोड़ रूपए) दे दिया गया है। पी आर पटेल एंड कं. ईपीसी कांट्रेक्टर है; जनवरी, 2022 में कार्य पूरा हो गया है।
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दिया गया है और 244 एकड़ माप वाले 04 प्लॉट टाटा केमिकल्स (प्रमुख निवेशक के रूप में 126 एकड़), टोरेंट पॉवर (15 एकड़), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड (3 एकड़) और रिन्यू पॉवर लिमिटेड (100 एकड़) को आबंटित किए गए हैं;

- अन्य अवसंरचना/विविध कार्यः
  - पीपली से 10 एमएलडी अल्पकालीन जलापूर्ति कार्य का निर्माण एवं पाइप लाइन बिछाने का कार्य अप्रैल, 2021 में कार्य पूरा हो गया है।
  - फेड्रा से डीएसआईआर एक्टिवेशन एरिया तक ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण, कमीशनिंग और चार्जिंग के लिए गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीईटीसीओ) द्वारा ठेकेदार नियुक्त किया गया है । कार्य के जून, 2022 तक पूरा होने की आशा है।
  - तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) में प्रस्तावित 1000 मेगावाट सौर पार्क (गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) द्वारा जारी निविदा) में से 300 मेगावाट टाटा पावर लिमिटेड को प्रदान की गई। संयंत्र स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है और मई, 2022 तक चालू होने की संभावना है।
  - निम्न निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं प्रदान की गई है:
    - सक्रियण क्षेत्र में 5.96 किमी लंबी साइड स्लोप स्टोर्म वाटर ड्रैनेज कैनाल का संवर्धन- मैसर्स एलसीसी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. L1 सबसे कम बोली लगाने वाला था, बहरहाल, वर्क फ्रंट की अनुपलब्धता के कारण मैसर्स एलसीसी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया।
    - सक्रियण क्षेत्र (चरण-I) में 162 हेक्टेयर के चयनित भूखंडों में भूमि संबंधी कार्य। मोंटेकार्लो लिमिटेड को परियोजना (86.05 करोड़ रुपये) प्रदान की गई; मार्च 2022 तक की भौतिक प्रगति - 70%
    - विविध निर्माण कार्यों (7 निर्माण परियोजनाओं) के पर्यवेक्षण के लिए नियोक्ता इंजीनियर की परामर्शी सेवाएं - वर्तमान में परामर्शी संविदा कार्यान्वित की जा रही है।
    - डीएसआईआर में विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए परामर्शी सेवाएं - परामर्शी संविदा मैसर्स फिचनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई थी। मार्च 2022 तक किए गए काम की भौतिक प्रगति लगभग 63% है। इस परियोजना के जून 2022 तक पूरा होने की संभावना है।
    - आधिया नदी पुश्ते का निर्माण- अधिया नदी पुश्ते के चरण-I में 3.5 किमी लंबाई के लिए निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। आधिया नदी पुश्ते के चरण-II का निर्माण कार्य 21.25 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर मैसर्स केईसीएल को सौंपा गया है। केईसीएल ने कार्य शुरू कर दिया है और वर्तमान में खनन की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है। परियोजना के जून 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

- डीएसआईआर में एसपीवी भवन के आंतरिक कार्यों का निर्माण- परियोजना का भौतिक कार्य पूरा हो गया है।
- सक्रियण क्षेत्र में चयनित भूखंडों की मिट्टी भराई - सक्रियण क्षेत्र के चरण II में चयनित भूखंडों पर मिट्टी भरने का काम नवंबर 2021 में मैसर्स केएसआईपीएल को 175.60 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से दिया गया था। ठेकेदार ने स्थल सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है और दिए गए स्थल पर मिट्टी भरने का कार्य शुरू कर दिया है।

<u>सानंद, गुजरात में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी):</u>

- परियोजना परामर्शदाताओं द्वारा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन को अंतिम रूप दिया जा रहा है;
- एमएमएलपी साइट तक सर्वोत्तम रेल संपर्कता विकल्प को अंतिम रूप देने के लिए पश्चिम रेलवे और डीएफसीसीआईएल के साथ चर्चा जारी है;
- एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में जीआईडीसी द्वारा गुजरात सरकार और एनआईसीडीआईटी के बीच एसएचए क्रियान्वित करने की मंजूरी दे दी है जिसे राज्य सरकार से भूमि मूल्यांकन प्राप्त होने के बाद निष्पादित किया जाएगा।
- मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- नवंबर, 2020 में गुजरात सरकार ने सानंद में एमएमएलपी परियोजना के लिए 199 हेक्टेयर की उपलब्धता की पुष्टि की थी
- राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी और 17 फरवरी, 2021 को भूमि का अस्थायी मूल्यांकन सूचित किया गया है जिसके आधार पर परियोजना की व्यवहार्यता का आंकलन किया गया है।
- मार्च, 2021 में परियोजना की व्यवहार्यता और परियोजना क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में इसी तरह की सुविधा के विकास पर विचार करते हुए परियोजना की प्राथमिकता की पुष्टि करने के अनुरोध हेतु राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया है।
- जून, 2021 में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट राज्य सरकार के साथ साझा की गई। इस परियोजना में आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।
- राज्य सरकार की सलाह पर और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उच्च भूमि लागत के कारण परियोजना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है और स्थल के आस-पास एक निजी भागीदार द्वारा बड़े पैमाने पर एमएमएलपी के प्रस्तावित विकास के कारण, परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

गुजरात में अहमदाबाद और धौलेरा के बीच एमआरटीएस:

- परियोजना की डीपीआर वर्ष 2014-15 में मैसर्स राइट्स द्वारा तैयार की गई थी और इसे 2016 में गुजरात राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा परियोजना को डीएमआईसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिए जेआईसीए रोलिंग प्लान में शामिल किया गया था।
- एनएचएआई द्वारा अहमदाबाद और धोलेरा के बीच 110 किमी लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किया जा रहा है। एनएचएआई द्वारा एमआरटीएस परियोजना के लिए 110 किमी की लंबाई में एक्सप्रेसवे संरेखण के साथ-साथ 30 मीटर मार्ग-अधिकार का अधिग्रहण किया गया है।
- डीआईसीडीएल ने भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मेट्रो रेल नीति, 2017 के अनुसार डीपीआर में संशोधन के लिए एनआईसीडीसी से अनुरोध किया है।
- 04.06.2021 को डीईए (एमओएफ) के साथ आयोजित बैठक के दौरान, एनआईसीडीसी से जेआईसीए स्पेशल रोलिंग प्लान में परियोजना को बनाए रखने के औचित्य के साथ एक एक्शन प्लान प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार, एक्शन प्लान को डीपीआईआईटी के माध्यम से डीईए (एमओएफ) को जेआईसीए के विशेष रोलिंग प्लान के तहत परियोजना को बनाए रखने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अंतिम निर्णय एमओएफ द्वारा सूचित किया जाना बाकी है।

धोलेरा, गुजरात में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट:

- नागरिक उड्यन मंत्रालय ने परियोजना के लिए "सैद्धांतिक" स्वीकृति दे दी है;
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
- भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (एएआई), गुजरात सरकार (जीओजी), एनआईसीडीआईटी और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड के बीच 25.03.2019 को शेयर सदस्यता अनुबंध सह शेयर धारक अनुबंध निष्पादित किया गया है, जिसमें एएआई, जीओजी और एनआईसीडीआईटी ने परियोजना कंपनी में क्रमशः 51:33:16 इक्विटी ली है;
- एनआईसीडीआईटी ने इक्विटी (16 प्रतिशत) के रूप में 24.24 करोड़ रुपए जारी किए है;
- एएआई ने 25 फरवरी, 2021 को धोलैरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण के निर्माण के लिए ईपीसी निविदा जारी कर दी है।
- 1,305 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत के साथ धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा चरण-I के विकास के प्रस्ताव को 60:40 के ऋण इक्विटी मिश्रण द्वारा वित्तपोषित किया जाना

है, जिसमें एनआईसीडीआईटी की इक्विटी (16%) का हिस्सा 83.52 करोड़ रुपये है और इसे सीसीईए के अनुमोदन के लिए दिसंबर, 2021 में पीआईबी द्वारा विचार और अनुशंसित किया गया है।

<u>भीमनाथ धोलेरा रेल लाइन प्रोजेक्ट:</u>

- रेलवे बोर्ड ने भागीदारी मॉडल 2012 की भारतीय रेल नीति के अनुसार गैर-सरकारी रेलवे (एनजीआर) मॉडल के तहत लागू की जाने वाली भीमनाथ-धोलेरा के बीच नई रेल लाइन विकसित किए जाने के लिए 17/01/2014 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया।
- डीआईसीडीएल ने परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु परामर्शदाता नियुक्त किया और परामर्शदाता ने 2019-2020 में पश्चिम रेलवे के अनुमोदन के लिए डीपीआर प्रस्तुत की। इस अवधि के दौरान पश्चिम रेलवे से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद संशोधनों को डीपीआर में शामिल किया गया है।
- पश्चिम रेलवे ने 28/07/2021 को परियोजना डीपीआर को मंजूरी दी। बड़े आमान की लाइन की अनुमोदित लंबाई 24.418 किमी है।
- डीएसआईआरडीए द्वारा भूमि अधिग्रहण का ब्यौरा अहमदाबाद और बोटाड के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया गया हैं और भूमि तथा वन क्षेत्र संबंधी मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। डीएसआईआर क्षेत्र के भीतर की भूमि का अधिग्रहण डीएसआईआरडीए द्वारा टाउन प्लानिंग स्कीम प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है।
- डीआईसीडीएल ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गुजरात रेल अवसंरचना विकास लिमिटेड (जी-राइड) को पीएमसी (परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता) के रूप में नियुक्त किया है। जी-राइड गुजरात सरकार और भारतीय रेल का एक संयुक्त उद्यम एसपीवी है।
- डीपीआर अनुमोदन के पश्चात् परामर्शदाता ने समीक्षा के लिए जी-राइड को निविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के बाद जी-राइड ने ईपीसी मोड पर 14.5 किमी रेल लाइन के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं और वर्तमान में तकनीकी मूल्यांकन चरण में हैं।
- शेष 9.918 किमी के लिए बोली दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है और बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने पर बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।
- डीआईसीडीएल ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एसपीवी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसपीवी का गठन डीएसआईआरडीए और एनआईसीडीआईटी के बीच किया जाएगा।

- इस परियोजना को सितंबर, 2021 में एनआईसीडीआईटी द्वारा 411.34 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ अनुमोदित किया जा चुका है, जिसमें एनआईसीडीआईटी के 205.67 करोड़ रुपये के इक्विटी योगदान का हिस्सा (50%) है।
- माननीय सीआईएम का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

मंडल बेचाराजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एमबीएसआईआर)

- एनआईसीडीआईटी ने दिनांक 14.07.2021 की अपनी बैठक में डीएमआईसी के अंतर्गत गुजरात में दूसरे नोड के रूप में मंडल बेचाराजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को शामिल करने को सहमति प्रदान की।
- राज्य सरकार द्वारा भूमि ब्योरों की पुष्टि के बाद परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

2. महाराष्ट्र

शेंद्रा बिड़किन इंडस्ट्रियल एरिया (एसबीआईए):

- एसबीआईए (8.39 वर्ग किमी) के चरण-1 के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरे हो गए है;
- सभी अनुप्रवाह गतिविधियों को समन्वित कर प्रोग्राम मैनेजर कार्यान्वयन संबंधित गतिविधियां कर रहे हैं;
- "औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड" (एआईटीएल) नामक नोड/सिटी लेवल एसपीवी को निगमित किया गया है। राज्य सरकार ने एसपीवी को 8.39 वर्ग किमी भूमि अंतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी (पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट)) द्वारा 602.80 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी भी जारी कर दी गई है;
- शेन्द्रा-बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दे दी गई है;
- शेन्द्रा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 1533.44 करोड़ रुपए वाले विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेज को अनुमोदित किया है। विभिन्न पैकेजों में से प्रत्येक की स्थिति निम्नानुसार है:-
  - सड़क, नालियों, पुलियों, जल आपूर्ति, मलजल एवं उर्जा प्रणाली के लिए ईपीसी दे दिया गया है (656.89 करोड़ रुपए)। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए ठेकेदार है। मार्च 2019 में

213.55 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कार्यों का आवंटन किया गया है। मार्च, 2022 तक भौतिक प्रगति - 99%;

- ऊपरी सड़क पुल निर्माण के लिए ईपीसी (69.45 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। पाटिल कन्सट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड चुने गए ठेकेदार है। पीएमएनसी ने 12 फरवरी, 2021 को एआईटीएल को ऊपरी सड़क पुल (आरओबी-I) के अंतिम समापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुशंसा की है। एआईटीएल को ठेकेदारों को अनंतिम समापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पीएमएनसी को अनुमोदन देना है। आरओबी-II में रेलवे के खंभे वाले हिस्से को छोड़कर सभी कार्य पूरे हो गए हैं। मार्च, 2022 तक कार्य की भौतिक प्रगति - 97%;
- जिला प्रशासन भवन के लिए ईपीसी (129 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए ठेकेदार है। कार्य पूरा हो गया है और भवन उपयोग किया जा रहा है;
- मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी), सामान्य एफ्फुलेएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ईपीसी (72.52 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। पस्सवंट एनर्जी लिमिटेड चुने गए ठेकेदार है। एक सीईटीपी कार्य कर रहा है और यह 15 अप्रैल, 2020 से परिचालन में है। प्रमुख कार्य पूरे हो गए है और अन्य छोटे-मोटे कार्य प्रगति पर है। एसटीपी को चालू करने के लिए घरेलू बहिर्प्रवाह की आवश्यकता है। समापन पर जांच सफलतापूर्वक की जा चुकी है और प्रत्येक उपकरण की निजी रूप में जांच हुई लेकिन सिस्टम की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि एमबीआर संस्थापित नहीं था। मार्च, 2022 तक भौतिक प्रगति - 94.00%;
- आईसीटी मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) कार्यों हेतु ईपीसी (142 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। हनीवेल चुने गए ठेकेदार है। टेस्टिंग और कमीशनिंग सहित कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर कार्य पूरे हो गए हैं। ईएमएस एवं एनएमएस की अंतिम जांच प्रगति पर है। औरिक कंट्रोल सेंटर हैंडओवर डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर दिया है। मार्च, 2022 तक कार्य की भौतिक प्रगति 93%;

- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और शेन्द्रा इंडस्ट्रियल एरिया में 339 एकड़ माप के 152 प्लॉट् (38 वाणिज्यिक और आवासीय प्लॉट सहित) आबंटित किए गए हैं जिसमें शेन्द्रा इंडस्ट्रियल एरिया में प्रथम प्रमुख निवेशक दक्षिण कोरिया की ह्योसंग कॉरपोरेशन (100 एकड़) है। अन्य प्लॉट प्रमुखतः लघु और मध्यम उपक्रमों को आबंटित किए गए हैं। 12 कंपनियों ने शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरु कर दिया है;

- बिडकिन के लिए परियोजना विकासात्मक गतिविधियां की जा रही है और 6414.21 करोड़ रुपए कीमत वाले महत्वपूर्ण अवसंरचना पैकेजों को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) [पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट)] और बाद में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है;
- राज्य सरकार ने बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रोजेक्ट एसपीवी को 28.75 वर्ग किमी भूमि अंतरित की है और 2397.20 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी हो गई है;
- इसके अतिरिक्त, विभिन्न पैकेजों में से प्रत्येक की स्थिति निम्नानुसार है:
  - एलएंडटी को बिडकिन के चरण-I अर्थात 10 वर्ग किमी में एसटीपी एवं सीईटीपी सहित सड़क, भूमिगत सुविधाओं/सेवाओं के लिए ईपीसी ठेकेदार (1223 करोड़ रुपए) नियुक्त किया गया है। पीएमएनसी ने दिनांक 18 अगस्त, 2021 को एलएंडटी को अनंतिम समापन प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। मार्च, 2022 तक भौतिक प्रगति - 100%;
  - आईसीटी मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) कार्य (81.91 करोड़ रुपए) के लिए केईसी इंटरनेशनल चुनी गई एजेंसी है। मार्च, 2022 तक भौतिक प्रगति - 97%
  - खोडेगांव डब्ल्यूटीपी से बिडकिन यूजीएसआर तक पाइपलाइन (38 करोड़) हेतु एलएंडटी चुनी गई एजेंसी है। पीएमएनसी ने दिनांक 18 अगस्त, 2021 को एलएंडटी को अनंतिम समापन प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। मार्च, 2022 तक कार्य की भौतिक प्रगति - 100%.

<u>दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र:</u>

- एजिस इंडिया को विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां करने हेतु नियुक्त किया गया है। परामर्शदाता ने एसपीवी द्वारा समीक्षा और अनुमोदन हेतु 3,500 हेक्टेयर भूमि के लिए फाइनल मास्टर प्लान प्रस्तुत कर दिया है।
- नवंबर, 2020 को राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोगाम के अंतर्गत विकास के लिए 2,402 हेक्टेयर भूमि उपलब्धता की पुष्टि की है।
- भूखंडों के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य किए जा रहे हैं।
- मार्च, 2022 में राज्य सरकार ने सूचित किया कि लगभग 1,098 हेक्टेयर भूखंडों पर चरण-I के विकास संबंधी कार्य शुरु किए जा सकते हैं।

3. मध्य प्रदेश

इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप 'विक्रम उद्योगपुरी' प्रोजेक्ट, उज्जैन:

- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोरपोरेशन लिमिटेड (एमपीटीआरआईएफएसी) एवं एमपी औद्योगिक केंद्र विकास निगम (एमपीएकेवीएन) के बीच शेयर खरीद सह शेयरहोल्डर एग्रीमेंट निष्पादित किया गया है। 'डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड' नामक एसपीवी निगमित की गई है;
- प्रोजेक्ट एसपीवी को 1100 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा 55.93 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी की गई है;
- एसपीवी को एनआईसीडीआईटी द्वारा 260.54 करोड़ रूपए की ऋण राशि भी जारी की गई है।
- परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति पहले ही प्राप्त की जा चुकी है।
- प्रोजेक्ट की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नर्मदा वैली डेवलपमेंट ऑथोरिटी (एनवीडीए) और विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के बीच उज्जियनी से उज्जैन के इंडस्ट्रियल एरिया विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड तक पाइप से जल आपूर्ति के लिए समझौता निष्पादित किया गया है;
- प्रोग्राम मैनेजमेंट कन्सलटेंट के रूप में एईकॉम निर्माण संबंधी गतिविधियों का पर्यवेक्षण कर रही है;
- ईपीसी ठेकेदार को महत्वपूर्ण अवसंरचना विकसित करने संबंधी दिए गए कार्य जुलाई, 2021 में पूरे हो गए हैं और औद्योगिक क्षेत्र का परिचालन तथा अनुरक्षण कार्य प्रगति पर है।
- भारत सरकार ने 749.10 करोड़ रुपए के विभिन्न अवसंरचना घटकों हेतु निविदा पैकेजों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। दिसंबर, 2020 में प्रमुख ट्रंक अवसंरचना कार्य पूरे हो गए हैं।
- भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और 110 एकड़ माप के 11 प्लॉट (अमूल को आबंटित 12 एकड़ सहित) आवंटित कर दिए गए है;
- भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र वीयूएल, उज्जैन में चिकित्सा उपकरण पार्क के विकास के लिए दिनांक 10.02.2022 के अपने पत्र संख्या 31026/173/2021-एमडी के माध्यम से अंतिम अनुमोदन प्रदान कर दिया है और इसे लगभग 360 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा।

- राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए), मध्य प्रदेश ने 24 फरवरी, 2022 को आयोजित एसईआईएए की 708वीं बैठक में सीईटीपी (1 एमएलडी) की स्थापना के लिए टीओआर प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

4. <u>हरियाणा</u>

<u>नांगल चौधरी में इंटिग्रेटिड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच):</u>

- महेंद्रगढ़ जिले में परियोजना के लिए लगभग 886 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है;
- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और हरियाणा राज्य सरकार के बीच "एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड" नामक एसपीवी निगमित की गई है;
- प्रोजेक्ट के लिए मास्टर प्लानिंग पूरी हो गई है और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है;
- सीसीईए ने चरण-I विकसित करने के लिए 1029.49 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति और परियोजना के चरण-II को विकसित किए जाने की "सैद्धांतिक" सहमति के साथ प्रोजेक्ट को अनुमोदित कर दिया है;
- राज्य सरकार ने कुल भूमि में से 686 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 208.05 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी (5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक इक्विटी सहित) जारी कर दी गई है;
- शेष भूमि में से लगभग 158 एकड़ भूमि पर मुकदमा चल रहा है और मामला माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। राज्य सरकार से इसे जल्द से जल्द सुलझाने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई की अगली तिथि 27 सितंबर, 2022 है।
- राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए), हरियाणा ने 11 सितंबर, 2019 के पत्र के माध्यम से परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की थी।
- रेल मंत्रालय (एमओआर) ने रेल अधिनियम के तहत 25 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस भूमि के अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए, 22 दिसंबर, 2020 को रेल मंत्रालय, डीपीआईआईटी, एचएसआईआईडीसी के माध्यम से हरियाणा सरकार, एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड (प्रोजेक्ट एसपीवी) और एनआईसीडीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है।

- इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) को परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और परियोजना के रेलवे कनेक्टिविटी कार्यों के लिए पीएमसी तैयार करने के लिए भी परामर्श कार्य हेतु नियुक्त किया गया है। रेल साइडिंग के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं।
- मौजूदा न्यू डाबला स्टेशन में यार्ड संशोधन सहित न्यू डाबला डीएफसीसीआईएल स्टेशन से एकीकृत मोडल लॉजिस्टिक हब (आईएमएलएच), नांगल चौधरी तक रेल कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए ईपीसी निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है।
- जल, बिजली एवं सड़क से संबंधित बाहरी संपर्कता कार्यों के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों ने निक्षेप आधार पर कार्य शुरु कर दिए हैं।
- रेल संपर्कता के लिए डीपीआर पर सितंबर, 2021 में डीएफसीसीआईएल द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है;
- निक्षेप आधार पर परियोजना स्थल तक बाह्य रेल संपर्क से संबंधित कार्यों के लिए डीएफसीसीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है।
- राज्य सरकार के साथ डीएफसीसीआईएल द्वारा शुरू किए गए न्यू डाबला स्टेशन से बाहरी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रेलवे अधिनियम के तहत अधिग्रहित की जाने वाली 23.688 एकड़ भूमि के लिए 28.10.2021 को 20ई अधिसूचना प्रकाशित की गई।
- आंतरिक रेल साइडिंग के लिए निविदा तैयार करने का कार्य चल रहा है।

5. <u>उत्तर प्रदेश</u>

<u>ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट:</u>

- प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां पूरी हो चुकी है और एनआईसीडीआईटी एवं ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएनआईडीए) के बीच "डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड" नामक एसपीवी निगमित की गई है;
- प्रोजेक्ट एसपीवी को 747.5 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा 617.20 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी की गई है;
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दे दी गई है;
- आईसीटी परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के चयन हेतु निविदा दस्तावेज जारी कर दिए गए है;

- शापूरजी पल्लोंजी को 426 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रमुख अवसरंचना घटकों को कार्यान्वित करने के लिए ईपीसी कांट्रेक्टर नियुक्त किया गया है। मार्च, 2021 तक प्रमुख कार्य पूरे हो चुके हैं तथा परिष्करण कार्य जारी है।
- जनवरी, 2018 में सीमंस को 121 करोड़ रुपए की लागत पर साइट भीतर उर्जा वितरण कार्य करने के लिए ईपीसी ठेकेदार नियुक्त किया गया है;
- भारत सरकार ने 1097.5 करोड़ रुपए के विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेजों को अनुमोदन दे दिया है। प्रमुख ट्रंक अवसंरचना कार्य दिसंबर, 2020 में पूरे कर लिए गए हैं।
- 06 उद्योगों को 158 एकड़ भूमि आबंटित की गई है और प्रमुख निवेशक के रूप में हैयर ने 123 एकड़ भूमि के साथ वाणिज्यिक गतिविधियां भी शुरू कर दिया हैं। अन्य 2 कंपनियों द्वारा भी निर्माण गतिविधियां शुरू कर दी गई है।

<u>ग्रेटर नोएडा के दादरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और बोरकी में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच):</u>

- सीसीईए द्वारा 30 दिसंबर, 2020 को परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।
- एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप परियोजना की एसपीवी एमएमएलएच और एमएमटीएच परियोजना को भी कार्यान्वित करेगी;
- डीएफसीसीआईएल ने प्रोजेक्ट साईट को सम्पर्कता मुहैया कराने के लिए "सैद्धांतिक" सहमति प्रदान कर दी है;
- बोराकी में एमएमटीएच विकसित करने के लिए रेल मंत्रालय और एसपीवी के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है;
- एमएमएलएच और एमएमटीएच के लिए आवश्यक 479 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में से 369 हेक्टेयर भूमि पहले से ही कब्जे में है और एलएआरआर अधिनियम के तहत राज्य सरकार/जीएनआईडीए द्वारा लगभग 84 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके लिए धारा 11 अधिसूचना जारी की गई है।
- एमएमएलएच परियोजना के मामले में, डब्ल्यूडीएफसी स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक कुल भूमि में से लगभग 7.58 हेक्टेयर भूमि डीएफसीसीआईएल द्वारा रेलवे अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है जिसके लिए अक्टूबर, 2021 में रेल अधिनियम की धारा 20(ए) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई है।

- एमएमटीएच परियोजना के लिए, भारतीय रेल के साथ रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लगभग 16 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है और रेलवे यार्ड के विकास के लिए उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) द्वारा रेल अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है।
- डीएफसीसीआईएल के दादरी जंक्शन स्टेशन से प्रस्तावित एमएमएलएच तक रेल फ्लाईओवर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और निर्माण पर्यवेक्षण के लिए इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) को नियुक्त किया गया है।
- निक्षेप आधार पर बाहरी रेल संपर्कता के कार्यान्वयन गतिविधियों को शुरु करने के लिए अक्टूबर, 2021 डीएफसीसीआईएल से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।
- एमएमएलएच/एमएमटीएच परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी हेतु टीओआर 19 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गया है।
- एसईआईएए, उत्तर प्रदेश के दिनांक 19 मार्च, 2021 पत्र द्वारा परियोजना के टीओआर दिया गया।
- परियोजना एसपीवी को 227.48 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की गई है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 853.05 करोड़ रुपये की समतुल्य इक्विटी जारी की गई है।
- एमएमएलएच के लिए बाह्य रेल साइडिंग कनेक्टिविटी के लिए डीपीआर का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे मार्च 2022 में सहमति एवं अनुमोदन हेतु डीएफसीसीआईएल के साथ साझा किया गया है।
- अद्यतन ईएसपी सहित अंतिम एमएमटीएच प्रोजेक्ट रिपोर्ट टिप्पणियों/अनुमोदन हेतु उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) को प्रस्तुत की गई है।
- विभिन्न एजेंसियों के कार्यों में समन्वय हेतु एमएमटीएच प्रोजेक्ट के लिए सामान्य परामर्शदाता चयन हेतु निविदा दस्तावेज शीघ्र ही जारी किए जा रहे हैं।

6. राजस्थान

खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन, राजस्थानः

- राज्य सरकार ने अक्टूबर, 2020 को सूचित किया कि केबीएनआईआर की विकास योजना को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआईआर) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम) को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है
- अप्रैल, 2021 में 558 एकड़ क्षेत्र की विस्तृत मास्टर प्लानिंग तथा प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है।

जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (जेपीएमआईए) :

- राज्य सरकार ने अक्टूबर, 2020 को सूचित किया कि जेपीएमआईए की विकास योजना को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआईआर) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम) को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है।
- मार्च, 2021 में 2659 हेक्टेयर क्षेत्र को दो चरणों में विकसित करने के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी कार्यों हेतु परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और इसके अतिरिक्त, निवेश शुरू करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर परियोजना को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है;
- 1459 हेक्टेयर (चरण I) में से 720 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में है।
- 14 जुलाई को एनआईसीडीआईटी द्वारा केबीएनआईआर एवं जेपीएमआईए के लिए एसएचए/एसएसए अनुमोदित किया गया और 29 सितंबर, 2021 को निष्पादित किया गया। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मार्च, 2022 तक शेष भूमि अधिग्रहण पूरा हो जाएगा।
- केबीएनआईआर एवं जेपीएमआईए परियोजनाओं को लागू करने के लिए मार्च, 2022 में 'राजस्थान इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड' नामक एसपीवी निगमित की गई है।

स्मार्ट कम्यूनिटी प्रोजेक्ट:

क) मॉडल सोलर प्रोजेक्ट, नीमराणा, राजस्थान:

- एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड (एनएनएसपीएल) (जिसे पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर कंपनी लिमिटेड-डीएनएसपीसीएल के नाम से जाना जाता था) एक विशेष प्रयोजन कंपनी है जिसे मार्च-2014 में एनआईसीडीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित किया गया था।
- कंपनी का मुख्य कार्य सौर ऊर्जा उत्पादन, विकास तथा संचय करना और ऐसी बिजली को प्रसारित, वितरित और आपूर्ति करना एवं नीमराना, राजस्थान में मॉडल सौर संयंत्रों को प्रोत्साहित, विकसित, शुरू करने, इंजीनियरिंग, निर्माण, पूर्ण, स्थापित, परिचालित, बनाए रखने, संवर्धन, आधुनिकीकरण और उन्नयन करना है, जिसमें एक संयंत्र 5 मेगावाट क्षमता वाला और दूसरा 1 मेगावाट क्षमता का है।

- सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) की ओर से एनआईसीडीसी लिमिटेड के इक्विटी अंशदान के प्रति एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड (एनएनएसपीएल) को 13 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई थी।
- 05 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना के लिए 05 जून, 2015 को एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) के साथ विद्युत खरीद करार (पीपीए) निष्पादित किया गया था।
- 23 जुलाई, 2015 को 5 मेगावाट सौर संयंत्र राज्य ग्रिड से जोड़ा गया और बाद में इसे 3 सितंबर, 2015 को चालू किया गया। विद्युत खरीद करार के अनुसार सहमत दर सूची पर राज्य ग्रिड (अर्थात 220केवी जीएसएस नीमराना) को विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
- 1 मेगावाट मॉडल सौर ऊर्जा परियोजना की परिकल्पना भारत में पहली स्मार्ट माइक्रो-ग्रिड परियोजना के रूप में की गई है, जो औद्योगिक डीजल जनरेटर सेट के साथ सौर ऊर्जा के एकीकरण का प्रदर्शन करती है।
- जापान के एनईडीओ, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को अगस्त 2019 तक बढ़ा दिया गया था।
- 1 मेगावाट क्षमता की माइक्रो-ग्रिड सौर ऊर्जा आपूर्ति परियोजना को दो वर्षों की प्रदर्शन अवधि के दौरान 10 जुलाई 2017 को चालू किया गया था। ऑफ-ग्रिड हाइब्रिड बिजली की आपूर्ति मिकुनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को की गई थी और प्रदर्शन अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद 20.02.2020 को पीपीए को पारस्परिक सहमति से बंद कर दिया गया।
- एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड (जिसे पहले डीएमआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) और टोयाडा गोसेई मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीजीएमआईपीएल) के बीच राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 के अनुसार 12 फरवरी 2020 को 1 मेगावाट सौर ऊर्जा आपूर्ति की तीसरे पक्ष को बिक्री के लिए एक और बिजली खरीद समझौता (पीपीए) निष्पादित किया गया है।
- 8 अप्रैल 2021 को 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र ग्रिड से जोड़ा गया और बाद में 19 अप्रैल, 2021 को संकलित और चालू किया गया। सौर ऊर्जा को राज्य ग्रिड (यानी, 33/11 केवी जेवीवीएनएल दूसरा जीएसएस नीमराना) में इंजेक्ट किया जा रहा है और निर्बाध प्रवेश प्रणाली से सौर ऊर्जा की तीसरे पक्ष की बिक्री 1 जून 2021 से टीजीएमआईपीएल को 4.60 रुपये प्रति यूनिट के सहमत दर पर शुरू की जा चुकी है जिसमें निर्बाध प्रवेश शुल्क का 50% हिस्सा शामिल है ।

ख) <u>लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट:</u>

- एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड) विभिन्न एजेंसियों में कई सूचनाओं को एकीकृत करके, भारत में ऑनलाइन कंटेनर ट्रैकिंग प्रदान करता है और इसके बैकएंड पर आरएफआईडी तकनीकी सिस्टम द्वारा सभी के लिए एक सामान्य दृश्यता मंच प्रदान करता है।
- 1 जुलाई, 2016 से परियोजना शुरू की गई और जेएनपीटी पोर्ट के सभी टर्मिनलों पर सेवाएं शुरू हो गई हैं।
- सभी प्रमुख और कुछ छोटे बंदरगाहों सहित अखिल भारतीय स्तर पर सेवा चालू है और अब तक 46 मिलियन से अधिक कंटेनरों को टैग/डी-टैग किया जा चुका है।
- नेपाल और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक आवागमन और बेहतर प्रथम और अंतिम दृश्यता के लिए 9 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में भी सेवाओं को विस्तारित किया गया है।
- एलडीबी सभी एक्जिम हितधारकों के लिए हर महीने विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कर रहा है जो प्रदर्शन बेंचमार्क और कमियों पर समीक्षा प्रदान करता है।
- पीएम गतिशक्ति के दृष्टिकोण के अनुसार, एनआईसीडीसी ने विभिन्न मंत्रालयों के मौजूदा प्लेटफार्म को एकीकृत कर यूनीफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म (यूलिप) को विकसित किया है और निजी तथा सरकारी एजेंसियों को यूलिप डेटा का उपयोग कर ग्राहक-उन्मुखी ऐप्लिकेशन को विकसित करने में सक्षम बनाया है।
- इसके अतिरिक्त, 1 फरवरी, 2022 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के दौरान यूलिप प्रोजेक्ट का विशेष रूप से उल्लेख किया गया।
- माननीय प्रधानमंत्रीजी ने 28 फरवरी, 2022 को त्वरित आर्थिक विकास के संबंध में तालमेल बनाने के उद्देश्य से आयोजित पीएम गतिशक्ति पर पोस्ट बजट वेबिनार का उद्घाटन किया। इसके अलावा, नीति आयोग के सीईओ द्वारा "यूलिप - भारतीय लॉजिस्टिक्स में क्रांतिकारी बदलाव" पर एक शुरुवाती सत्र का संचालन किया गया। निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के इनपुट प्रापत किए गए । यूलिप के लिए कार्य बिंदुओं और आगे के रास्तों पर विचार-विमर्श किया गया।

अन्य परियोजनाएं

नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी):

क) परियोजना का उद्देश्य इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर (आईआईसीसी) लिमिटेड द्वारा एक विश्व श्रेणी के प्रदर्शनी और कन्वेशन सेंटर तथा मिश्रित उपयोग विकास जो इंडिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी सुविधा हो, का निर्माण करना है। कंपनी को उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी के साथ क्रियान्वित तथा विकसित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सेक्टर-25, द्वारका, नई दिल्ली में स्थित है और लगभग एक मिलियन वर्गमीटर निर्माण विकास के साथ 90 हेक्टेयर के क्षेत्र में निर्मित की जा रही है। यह भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित परियोजना है और इसका उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास की वृद्धि के लिए भारतीय एमआईसीई बाजार को विकसित करना है। परियोजना में अभिनव डिजाइन अवधारणाएं और मौलिक हरित भवन विशेषताएं हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वास्तुशिल्प आइकन के रूप में परिकल्पित है। एनआईसीडीसी इस परियोजना के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य कर रहा है।

ख) प्रमुख अवसंरचना, दो प्रदर्शनी हॉल एवं कन्वेंशन सेंटर वाले चरण-1 के साथ परियोजना चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जा रही है जिसके वर्ष 2022 में पूरा होने की आशा है और तीन अन्य प्रदर्शनी हॉल, रंगारंग कार्यक्रम स्थल (एरेना) और होटल, खुदरा तथा कार्यालय स्थलों जैसी पूरक अवसंरचना के वाणिज्यिक विकास वाले चरण-2 को चरण-1 पूरा होने के पश्चात् शुरु किया जाएगा और इसके 2025 तक पूरा होने की संभावना है। आईआईसीसी द्वारका में उपलब्ध कराई गई सुविधाएं आकार एवं गुणवत्ता के अनुसार विश्व में सर्वोत्तम के समकक्ष होंगी, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम, बैठक, कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनियों और ट्रेड शो के आयोजन की पेशकश करती है। व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त इससे 5 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर उत्पन्न होने की आशा है।

ग) निम्नलिखित स्टेक होल्डरों को साथ लाया गया है जो वर्तमान में परियोजना पर कार्य कर रहे है:

i. कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शदाता: एईकॉम इंडिया प्रा. लिमिटेड के साथ कंसोर्टियम में एईकॉम एशिया प्रा. लिमिटेड.

ii. प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं वास्तुकला परामर्शदाताः आईडीओएम एवं सीपीकेए

iii. ईपीसी ठेकेदारः एलएंडटी

iv. ट्रांजेक्शन एडवाइजर: बीसीजी कंसल्टिंग

v. ऑपरेटरः कोरिया इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर एवं ईसेंग नेटवर्क कंपनी लिमिटेड (किनएक्सिन) का कंसोर्टियम

vi. ऋण जुटाने के लिए वित्तीय परामर्शदाताः आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड

vii. तृतीय पक्ष गुणवक्ता आश्वासन और लेखा परीक्षा (टीपीक्यूए) - नेशनल कौंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटिरियल्स (एनसीसीबीएम)

viii. आद्योपांत आधार पर आईआईसीसी द्वारका, नई दिल्ली में प्रदर्शनी हॉल 1 एवं कन्वेंशन सेंटर में रसोईघर के उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना (एसआईटीसी): केएलएएस प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड एवं इंटरनेशनल इक्यूपमेंट कंपनी का संयुक्त उद्यम

घ) साइट पर कार्यान्वयन गतिविधियां जोरों पर हैं। ईपीसी ठेकेदार द्वारा उत्खनन, पीसीसी और आरसीसी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। ईएसएस-1 और ईएसएस-2 (इलेक्ट्रिक सब स्टेशन) के सिविल कार्य पूरे हो गए हैं और विद्युत उपकरणों की स्थापना हेतु बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड) को सौंप दिए गए हैं। डीजी भवन में सिविल कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है। डीजी भवन में 18 डीजी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कन्वेंशन सेंटर में रूफ और कैंटीलीवर ट्रस्स स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। कन्वेंशन सेंटर में 85 ट्रस्स, प्रदर्शनी हॉल-1 एवं फॉयर-1 में 32 तथा प्रदशनी हॉल-2 एवं फॉयर-2 में 29 सहित सभी 146 ट्रस्स स्थापित किए जा चुके हैं। ट्रस्स स्थापित किए जाने (भार अनुसार) का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, बहरहाल डॉगहाऊस, सीढ़ियां, परलिन कार्यों जैसी विविध गतिविधियां प्रगति पर है। वर्तमान में, प्रदर्शनी हॉल के लिए रूफ शीटिंग, लाइनर और कलजिप घटक (टॉप हैट ब्रैकेट) संस्थापित किए जाने का कार्य प्रगति पर है। सभी भवनों और भूमिगत सर्विस गैलरी के अंदर के एमईपी कार्यों का निर्माण उत्तरोत्तर और एकसाथ किया जा रहा है। फॉयर-1 एवं 2 में ट्रैवलेटर और एस्केलेटर लगाने का काम भी प्रगति पर है। मार्च, 2022 तक साइट पर ईपीसी कार्यों की समग्र संचयी भौतिक प्रगति 71 प्रतिशत है।

ङ) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के विकास के लिए 26 अक्टूबर 2018 को आईआईसीसी और एनआईसीडीसी के बीच नॉलेज पार्टनरशिप के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

च) आईआईसीसी द्वारका परियोजना को विस्तृत बिजली आपूर्ति के लिए बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड) और आईआईसीसी के बीच समझौता ज्ञापन

क्रियान्वित किया गया है। ईएसएस 1 और 2 में जीआईएस उपकरण (बीएसईएस और ईपीसीसी) और एचटी और एलटी पैनलों को स्थापित करने के बाद, बीआरपीएल ने नो लोड कंडीशन पर इंटर-कनेक्टर और इन-फीड केबल सहित दोनों स्टेशन सक्रिय कर दिए है।

छ) एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को आईआईसीसी परियोजना तक विस्तारित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में, डीएमआरसी द्वारा प्रदर्शनी हॉल-3 के नीचे सुरंग निर्माण कार्य पूरा किया गया और आगे के निर्माण कार्यों हेतु एलएंडटी को सौंप दिया गया है। इसके अलावा, आईआईसीसी द्वारका मेट्रो स्टेशन के लिए स्टेशन बॉक्स की संरचना पूरी हो चुकी है और डीएमआरसी द्वारा सिस्टम कार्यों का निष्पादन प्रगति पर है।

ज) एनएचएआई द्वारा सौंपा गया द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर-II (जिसमें आईआईसीसी परिसर तक सड़क संपर्क शामिल है) विकसित किए जाने का कार्य शुरू हो गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है।

झ) आद्योपांत आधार पर केएलएस प्रोडक्ट्स एवं इंटरनेशनल इक्यूपमेंट कंपनी के संयुक्त उद्यम को प्रदर्शनी हॉल 1 एवं कन्वेंशन सेंटर में रसोईघर के उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने का अनुबंध दिया गया है।

ञ) आईआईसीसी लेआउट ड्राइंग पर सीमांकित जल आपूर्ति दोहन बिंदु और सीवर लाइन कनेक्टिविटी प्वाइंट दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित कर दिया गया है।

ट) आईआईसीसी वेबसाइट एनआईसी सर्वर में होस्ट की गई है और साइट iiccl.dpiit.gov.in को सार्वजनिक डोमेन में लाइव किया गया है।

<u>अन्य औद्योगिक गलियारेः</u>

क. चेन्नई बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट (सीबीआईसी):

- समग्र गलियारे के लिए भावी योजना तैयार हो गई है और विकसित किए जाने के लिए तीन नोड पहचाने गए हैं:
  i. कृष्णापट्टनम, आंध्र प्रदेश;
  ii. तुमकुरु, कर्नाटक; और
  iii. पोन्नेरी, तमिलनाडु

i. <u>कृष्णपट्टनम, आंध्र प्रदेशः</u>

➢ शेयरधारकसमझौते (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) निष्पादित कर दिया गया है और 'एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड' नामक एसपीवी निगमित की गई है।

- 12,763 एकड़ के क्षेत्र में से 2500 एकड़ के सक्रियण क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां पूर्ण हो गई है;
- 30 दिसंबर, 2020 को सक्रियण क्षेत्र के लिए परियोजना को सीसीईए द्वारा अनुमोदित किया गया।
- प्रोजेक्ट एसपीवी द्वारा जनवरी 2021 में पीएमसी को नियुक्त किया गया है।
- राज्य सरकार ने परियोजना एसपीवी को 2,091.80 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी है और 522.10 करोड़ रुपये की समतुल्य इक्विटी भी जारी की गई है;
- कृष्णपटनम नार्थ इंडस्ट्रियल एरिया की पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
- प्रमुख अवसंरचना कार्यों के लिए ईपीसी निविदा 23 सितंबर, 2021 को जारी की गई। 2 (दो) बोलियां प्राप्त हुई थी। एसपीवी के निदेशक मंडल ने बोली प्रक्रिया को रद्द कर दिया था क्योंकि कोई भी बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य नहीं था। ईपीसी ठेकेदार के चयन हेतु परियोजना के लिए निविदाएं पुनः आमंत्रित की जा रही है।

ii. **<u>तुमकुरु, कर्नाटकः</u>**

- शेयरधारक समझौते (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) निष्पादित कर दिया गया है और 'सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड' नामक एसपीवी निगमित की गई है।
- 8,484 एकड़ में से 1,736 एकड़ के सक्रियण क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां पूर्ण हो गई है।
- सक्रियण क्षेत्र के लिए 30 दिसंबर, 2020 को भारत सरकार द्वारा परियोजना को अनुमोदित किया गया था।
- राज्य सरकार ने एसपीवी को 1668.30 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है और 586.74 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी राशि भी जारी कर दी गई है।
- जनवरी, 2021 में प्रोजेक्ट एसपीवी द्वारा पीएमसी नियुक्त किया गया।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 31 अगस्त, 2021 के पत्र द्वारा परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- फरवरी, 2021 में प्रमुख अवसंरचना क्रियान्वयन के लिए ठेकेदार की नियुक्ति हेतु ईपीसी निविदा जारी कर दी गई थी। लेकिन एकल बोली के कारण एसपीवी के निदेशक मंडल द्वारा प्रक्रिया रद्द कर दी गई। इसलिए, प्रमुख अवसंरचना के लिए ईपीसी निविदा 27

सितंबर, 2021 (पुनर्निविदा) को जारी किया गया। 2 बोलियां प्राप्त हुई और मूल्यांकन किया जा रहा है।

iii. **<u>पोन्नेरी, तमिलनाडु:</u>**

- 21 फरवरी, 2020 को एनआईसीडीआईटी और राज्य सरकार के बीच शेयरधारक समझौते (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) निष्पादित किया गया है और 'सीबीआईसी पोन्नेरी इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड' नामक एसपीवी निगमित की गई है;
- 4,000 एकड़ क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां करने के लिए अक्टूबर 2020 में परामर्शदाता नियुक्त किया गया;
- राज्य सरकार ने मई 2021 में सूचित किया कि लगभग 3,375 एकड़ जमीन उपलब्ध है और पोन्नेरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिसूचित की गई है;
- 7 जनवरी, 2022 को एनआईसीडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक, और सीएमडी-टिडको की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान, टिडको द्वारा यह सूचित किया गया था कि दो वैकल्पिक भूखंडों की पहचान की गई है;
- राज्य सरकार को भूमि उपयुक्तता मूल्यांकन के आधार पर विकास कार्यकलापों के लिए भूखंडों की पुष्टि करनी है।

ख. सीबीआईसी का कोयम्बतूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार:

क) एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में कोयंबटूर के रास्ते कोच्चि तक सीबीआईसी परियोजना के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दी। विकसित किए जाने के लिए निम्नलिखित नोड्स की पहचान की गई है:

ख) पालक्कड़, केरल (1,878 एकड़) एवं कोच्चि ग्लोबल सिटी (500 एकड़)

- 1,878 एकड़ भूमि क्षेत्र की पहचान की गई और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया जिसकी अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है।
- 22 अक्टूबर, 2020 को एसएचए/एसएसए निष्पादित किया गया
- सितंबर, 2020 को विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है;
- केरल सरकार ने 11 अगस्त, 2021 के पत्र द्वारा पुडुस्सेरी वेस्ट के भूखंड (325 एकड़) को ओझलपाथी (250 एकड़) साइट से प्रतिस्थापना करने के लिए सूचित किया है, इस प्रकार पालक्कड नोड के लिए कुल 1835 एकड़ भूमि क्षेत्र उपलब्ध है।

- केरल सरकार के वन विभाग ने क्रमशः 18 अक्टूबर, 2021 और 30 जुलाई, 2021 को सीबीआईसी के विस्तार के तहत पालक्कड़ नोड के कन्नंबरा (350 एकड़) और ग्लोबल सिटी भूखंड के लिए वन संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है।
- राज्य सरकार से दिनांक 15 जनवरी, 2022 के पत्र द्वारा पश्चिमी घाट (पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र) अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है।

ग) धर्मपुरी सेलम, तमिलनाडु (1,733 एकड़):

- अक्टूबर 2020 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा 1,773 एकड़ भूमि क्षेत्र की पहचान की गई है;
- सितंबर, 2020 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है;
- परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए आकलनों के आधार पर औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अनुसार परियोजना अव्यवहार्य पाई गई है। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जा रही है।

ग. अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरीडोर (एकेआईसी) प्रोजेक्टः

- समग्र कोरिडोर के लिए भावी योजना तैयार कर ली गई है।
- आगे विकसित किए किए जाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक (01) आईएमसी साइट निश्चित कर ली गई है, जिनके नाम निम्नलिखित हैः
    1) पंजाबः राजपुरा-पटियाला (1100 एकड़)
    2) हरियाणाः हिसार (1605 एकड़)
    3) उत्तराखंडः खुरपिया फार्म (1002 एकड़)
    4) उत्तर प्रदेशः आगरा (1059 एकड़) और प्रयागराज (1141 एकड़)
    5) बिहारः गया (1670 एकड़)
    6) झारखंड
    7) पश्चिम बंगालः रघुनाथपुर (2483 एकड़)
- इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर एनआईसीडीआईटी ने एकेआईसी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र (3500 एकड़) पर आईएमसी विकास को अनुमोदित किया है।

I. **रघुनाथपुर, पश्चिम बंगाल**

- विस्तृत मास्टर प्लानिंग पूरी हो गई है और प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस संबंधी गतिविधियां जारी है;
- डब्ल्यूबीआईडीसी ने आईएमसी साइट से 7 किमी की दूरी पर स्थित 800 एकड़ के अतिरिक्त भूखंड शामिल करने का प्रस्ताव किया है। डब्ल्यूबीआईडीसी ने सूचित किया है कि 600 एकड़ भूमि इस्पात उद्योग को आबंटन के लिए आरक्षित है, प्रस्तावित आवंटन और प्रोजेक्ट में नए भूखंड के एकीकरण के प्रभाव का आकलन किया जा रहा है और राज्य सरकार से मास्टर प्लान एवं पीडीआर का अनुमोदन प्रतीक्षित है।
- राज्य सरकार से प्रोजेक्ट एसपीवी के निगमीकरण के लिए एसएचए/एसएसए का अनुमोदन सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

II. **प्राग-खुरपिया फार्म्स, उत्तराखंड**

- अगस्त 2020 में राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1002 एकड़ भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की;
- जनवरी, 2021 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग संबंधी गतिविधियां करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया और कार्य प्रगति पर है;
- 14 जुलाई, 2021 को एनआईसीडीआईटी द्वारा खुरपिया प्रोजेक्ट के लिए एसएचए/एसएसए अनुमोदित किए गए;
- एनआईसीडीआईटी/सीसीईए से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात वित्तीय वर्ष 22-23 में परियोजना को कार्यान्वयन हेतु शुरू किया जाएगा।

III. **हिसार, हरियाणा**

- राज्य सरकार ने दिसंबर, 2020 में हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित इंटीग्रेटिड एविएशन हब के समग्र मास्टर प्लान के अंतर्गत परियोजना के लिए 1605 एकड़ भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की;
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों करने के लिए फरवरी, 2021 में परामर्शदाता नियुक्त किया गया और कार्य प्रगति पर है;
- राज्य सरकार से एसएचए/एसएसए पर अनुमोदन प्रदान करने और आईएमसी के लिए भूमि सीमा को निर्धारित करने और मौजूदा पर संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

- इंटीग्रेटिड एविएशन हब की पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दिसंबर, 2022 तक आईएमसी के लिए ~ 900 एकड़ जमीन हस्तांतरण हेतु उपलब्ध होगी।

IV. राजपुरा-पटियाला, पंजाब

- फरवरी 2021 में राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1100 एकड़ भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की। भूमि पंजाब अरबन डेवलपमेंट ऑथोरिटी (पीयूडीए) के कब्जे में है। परियोजना के लिए एसएचए/एसएसए को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार के साथ चर्चा जारी है;
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों करने के लिए फरवरी, 2021 में परामर्शदाता नियुक्त किया गया और कार्य प्रगति पर है;
- 6 जनवरी, 2022 को पंजाब के एसईआईएए द्वारा एकेआईसी के अंतर्गत राजपुरा आईएमसी के लिए टीओआर आवेदन पर स्वीकृति दी गई है;
- राज्य सरकार ने 10 फरवरी, 2022 के पत्र द्वारा फाइनल मास्टर प्लान का अनुमोदन सूचित किया है;
- परियोजना को एनआईसीडीआईटी/सीसीईए से अनुमोदन के पश्चात वित्तीय वर्ष 22-23 में क्रियान्वयन हेतु शुरु किया जाएगा।

V. आगरा और प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

- जनवरी 2021 में राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1059 एकड़ भूमि उपलब्धता की पुष्टि की है;
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को पूरा करने के लिए जुलाई, 2021 में परामर्शदाता नियुक्त किया गया और साइट सर्वेक्षण तथा बेस मैप तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं;
- आईएमसी के लिए प्रस्तावित 1059 एकड़ में से, लगभग 250 एकड़ भूमि बाढ़ क्षेत्र में है और बस्तियों तथा उच्च-विभवी लाइनों से अधिकृत है। फरवरी, 2022 में परियोजना विकास के लिए लगभग 750 एकड़ सकल क्षेत्र निश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित स्थल ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में आता है। टीटीजेड प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने, पर्यावरण मंजूरी और साइट के लिए परिवहन कनेक्टिविटी के मुद्दों को हल करने पर राज्य सरकार की सहायता का अनुरोध किया गया है;

- एनआईसीडीआईटी ने प्रयागराज में ब्राउनफील्ड साइट (1,141 एकड़) को एकेआईसी के तहत दूसरे नोड के रूप में विकसित करने के लिए अनुमोदित किया है। प्रयागराज साइट के लिए, विस्तृत प्रारंभिक डिजाइन रिपोर्ट और विपणन रणनीति तैयार करने के लिए परामर्शदाता के चयन हेतु निविदा फिर से जारी की गई है;
- एसएचए/एसएसए को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार के साथ चर्चा जारी है।

VI. गया, बिहार

- राज्य सरकार ने मार्च, 2021 में परियोजना के लिए 1670 एकड़ भूमि उपलब्धता की पुष्टि की है;
- अगस्त, 2021 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को पूरा करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया। बाजार मांग का मूल्यांकन तथा बेस मैप का कार्य प्रगति पर है;
- 1670 एकड़ में से, 1297.75 एकड़ सरकारी भूमि है और शेष 372.47 एकड़ निजी भूमि है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि शेष भूमि का अधिग्रहण मई, 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।

VII. झारखंड में आईएमसी

- राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में सूचित किया है कि न्यू बहरी में पूर्ववर्ती साइट उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी वैकल्पिक स्थल की पहचान की जा रही है। वैकल्पिक स्थल के भूमि ब्योरे पर पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है।
- राज्य सरकार ने इस्पात मंत्रालय से बोकारो इस्पात संयंत्र में आईएमसी के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आईएमसी के विकास के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र में 1000 एकड़ की चिन्हित भूमि की व्यवहार्यता और हस्तांतरण का आकलन करने के लिए एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
- बोकारो इस्पात संयंत्र का संयुक्त स्थल दौरा 7 दिसंबर, 2021 को किया गया था। इसके अलावा, सचिव (इस्पात) और झारखंड सरकार के मुख्य सचिव की सह-अध्यक्षता में दिनांक 10-01-2022 को आयोजित बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एसएआईएल) के परामर्श से भूमि की उपलब्धता की पुष्टि करे।

घ. बेंगलूरू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी) प्रोजेक्टः

- भावी योजना तैयार कर ली गई है और अनुमोदित कर दी गई है;

- जनवरी, 2021 में कर्नाटक सरकार ने धारवाड़ में औद्योगिक नोड के विकास के लिए उपलब्ध 6,042 एकड़ भूमि की पुष्टि की। उक्त नोड के लिए परियोजना विकास गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। जुलाई, 2021 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया और कार्य प्रगति पर हैं;
- महाराष्ट्र सरकार ने मार्च, 2021 में बीएमआईसी के तहत औद्योगिक नोड के विकास के लिए सतारा में 5,001.31 हेक्टेयर भूमि के बारे में सूचित किया और विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है। तदनुसार, परामर्शदाता को सितंबर, 2021 में नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार द्वारा भूखंडों को अधिसूचित करना और परियोजना के लिए सीमा को अंतिम रूप देना अभी बाकी है। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी, 2022 में सतारा में 2207 हेक्टेयर की एक वैकल्पिक साइट प्रस्तावित की है, जिसे औद्योगिक नोड के रूप में विकास के लिए इसकी उपयुक्तता के लिए जांच की जा रही है।

ङ. ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर (ईसीआईसी) के चरण-1 के रूप में विजाग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर(वीसीआईसी)

- दिसंबर 2016 में वीसीआईसी को एनआईसीडीआईटी के अधिदेश के भाग के रूप में शामिल किया गया था।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम (नाकापल्ली क्लस्टर) और चित्तूर (दक्षिण क्लस्टर) नोड्स के विकास को प्राथमिकता दी है और एनआईसीडीआईटी अधिदेश में विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर को शामिल करने और विजाग एवं चित्तूर को विकसित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है।
- राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में वीसीआईसी के चरण-क में विजाग और चित्तूर को प्राथमिकता वाले नोड के रूप में विकसित करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने एनआईसीडीआईटी बैठक के भाग के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य में एक अतिरिक्त नोड के रूप में कडप्पा में कोप्पार्थी नोड को शामिल करने का अनुरोध किया है।
- राज्य सरकार से निकटवर्ती भूखंडों की उपलब्धता के आधार पर परियोजना विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक नोड को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया था, जो पहले से ही राज्य सरकार के कब्जे में हो और जिसे प्रस्तावित एसपीवी को हस्तांतरित किया जा सकता हो।

- तत्पश्चात्, राज्य सरकार ने औद्योगिक नोड विकसित करने के लिए कडप्पा तथा चित्तूर में भूमि की उपलब्धता के बारे में सूचित किया और तद्नुसार कडप्पा तथा चित्तूर क्षेत्रों के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग संबंधी कार्यों के लिए मास्टर प्लानर नियुक्त किया गया है।

क) विशाखापत्तनम (नाकापल्ली क्लस्टर), आंध्र प्रदेश (3,196 एकड़)

- राज्य सरकार, नाकापल्ली क्लस्टर (3,196 एकड़) के चरण-II के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार और प्रस्तुत पीडीआर के अनुसार परियोजना विकास गतिविधियां शुरू कर रही है।
- तत्पश्चात्, परियोजना को एनआईसीडीआईटी के विचार और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

ख) चित्तूर, आंध्र प्रदेश (8,967 एकड़)

- 374 एकड़ भूमि राज्य सरकार के कब्जे में है और शेष भूमि को चरणों में अधिग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है।
- 8,967 एकड़ के लिए नवंबर 2020 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति कर ली गई है और कार्य प्रगति पर हैं

ग) कोप्पार्थी, आंध्र प्रदेश (5,760 एकड़)

- एनआईसीडीआईटी ढांचे के अंतर्गत 2,595 एकड़ के साउथ ब्लॉक को विकसित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें से 2,396 एकड़ भूमि राज्य सरकार के कब्जे में है और शेष भूमि का शीघ्रता से अधिग्रहण किया जा रहा है।
- नवंबर 2020 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग संबंधी कार्यों को करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया और कार्य प्रगति पर है।
- एनआईसीडीआईटी/सीसीईए से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परियोजना को वित्त वर्ष 22-23 में कार्यान्वयन के लिए शुरू किया जाएगा।

च. हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचडब्ल्यूआईसी)

- हैदराबाद वारंगल और हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए तेलंगाना सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 23 अगस्त, 2017 को आयोजित बैठक में

एनआईसीडीआईटी ने निर्देश दिया था कि "तेलंगाना सरकार को एक व्यवहार्यता अध्ययन करना चाहिए और परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करनी चाहिए"।

- तदनुसार, तेलंगाना सरकार ने एक विस्तृत अध्ययन किया और हैदराबाद फार्मा सिटी की पहचान हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर के हिस्से के रूप में की गई।
- अगस्त, 2020 में एनआईसीडीआईटी ने तेलंगाना राज्य में हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
- राज्य सरकार ने तेलंगाना राज्य में हैदराबाद-वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर के अंतर्गत हैदराबाद फार्मा सिटी के लिए मास्टर प्लानिंग और लागत अनुमानों को तैयार किया है;
- फार्मा सिटी परियोजना के लिए, राज्य सरकार परियोजना के विकास हेतु भारत सरकार के साथ अपनी भागीदारी के बारे में पुष्टि करे।

छ. हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचएनआईसी)

अगस्त, 2020 में एनआईसीडीआईटी ने जहीराबाद में प्राथमिकता वाले नोड को तेलंगाना राज्य में हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया;

<u>जहीराबाद, तेलंगाना (12,635 एकड़)</u>:

क) 3909 एकड़ का चरण-I क्षेत्र

ख) तेलंगाना सरकार ने मास्टर प्लानिंग अध्ययन किया है और जहीराबाद की पहचान हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर के हिस्से के रूप में की गई है।

ग) परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से संबंधित गतिविधियां प्रगति पर है

घ) राज्य सरकार द्वारा डीपीआर तैयार की गई है।

ङ) एनआईसीडीआईटी ने 21.09.2021 को आयोजित अपनी बैठक में तेलंगाना में हैदराबाद-नागपुर इंडस्ट्रियल कोरीडोर के तहत जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

च) सीसीईए से निवेश अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। तत्पश्चात्, इस परियोजना को वित्त वर्ष 22-23 में कार्यान्वयन के लिए शुरू किया जाएगा।

ज. हैदराबाद बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचबीआईसी)

- भारत सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर के विकास के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें निम्नलिखित नोड्स विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था:-
    - हिंदूपुर (अनंतपुर जिला),
    - ओर्वाकल (कुरनूल जिला) और
    - कोप्पार्थी (डॉ वाईएसआर कडप्पा जिला)
- तदनुसार, डीपीआईआईटी के सचिव की अध्यक्षता में 19 मार्च, 2020 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर की स्थिति की समीक्षा की गई।
- विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की राज्य सरकारें शुरू में आपस में चर्चा करेंगी और हैदराबाद बेंगलुरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर के कार्यान्वयन के संबंध में एनआईसीडीसी को अपने विचारों से अवगत कराएंगी।
- तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकारों से एचबीआईसी के लिए समर्थन और भूमि विवरण प्राप्त हुए और एनआईसीडीआईटी के समग्र अधिदेश के तहत एचबीआईसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के ओर्वाकल को प्राथमिकता वाले नोड के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव पर एनआईसीडीआईटी द्वारा 19 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में सुविचारित और अनुमोदित किया गया।
- 9,800 एकड़ के ओर्वाकल नोड (आंध्र प्रदेश) के लिए जनवरी, 2021 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया।
- 9,800 एकड़ में से गुट्टापाडु गांव में 4194.32 एकड़ (1697.38 हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 नवंबर, 2020 के पत्र के माध्यम से पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है। शेष क्षेत्र के लिए ईआईए/ईसी गतिविधियां चल रही हैं।
- एनआईसीडीआईटी ने 14.07.2021 को आयोजित अपनी बैठक में एचबीआईसी के तहत कर्नाटक राज्य में 3,300 एकड़ क्षेत्र के साथ यादगीर जिले के कादेचुरु को एक औद्योगिक नोड के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की जाए।
- मार्च 2022 में, राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल कोरिडोर कार्यक्रम के तहत विकास के लिए 4,247 एकड़ भूमि की उपलब्धता के बारे में सूचित किया है।

झ. ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर (ओईसी)

- ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर के लिए एडीबी द्वारा अवधारणा विकास योजना (सीडीपी) को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले दो नोड्स अर्थात् गोपालपुर, भुवनेश्वर कलिंगनगर (जीबीके नोड) और पारादीप-केंद्रपाड़ा-धामरा-सुवर्णरेखा (पीकेडीएस नोड) है, जिसमें कुल क्षेत्रफल 11,366 एकड़ है।
- एनआईसीडीआईटी के समग्र अधिदेश के एक भाग के रूप में ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर (ओईसी) को शामिल करने के प्रस्ताव को एनआईसीडीआईटी द्वारा 19 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है।
- ओईसी के तहत दो नोड्स की विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए परामर्शदाता मार्च, 2021 में नियुक्त किया गया।
- राज्य सरकार ने अभी तक परियोजना विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए भूखंडों की पुष्टि नहीं की है।

ञ. दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएनआईसी)

- डीएफसी के नार्थ-साऊथ कोरिडोर के साथ साथ दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर की संकल्पना की गई है। प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कोरिडोर मौजूद राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क और भावी नार्थ-साऊथ डीएफसी का लाभ उठाएगा।
- समग्र डीएनआईसी क्षेत्र के लिए भावी योजना तैयार करने हेतु फरवरी, 2022 में परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

<u>पीएम गतिशक्ति - नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी)</u>

- सरकार ने आर्थिक क्षेत्रों को बहुआयामी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। माननीय प्रधानमंत्रीजी ने 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का लोकार्पण किया।
- पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक व्यापक योजना है जिसे सभी मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों को समग्र रूप से एकीकृत करने और लोगों, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्बाध आवाजाही के लिए लापता अंतराल को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक

क्षेत्रों और आवश्यक अवसंरचना संपर्कों को दर्शाते हुए तैयार किया गया है। योजना में सभी मौजूदा और प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तीन समय अवधि अर्थात् 2014-15 की स्थिति, 2020-21 तक की गई उपलब्धियां और 2024-25 तक नियोजित हस्तक्षेप, एक ही प्लेटफॉर्म में दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति एनएमपी के अनुसार, अवसंरचना विकास के लिए बाधाओं को कम करना, लागत दक्षता के साथ कार्यों को जल्दी पूरा करना सुनिश्चित करना, जीवन की सुगमता को बढ़ाना और व्यापार करने में आसानी, मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

- पीएम गतिशक्ति देश भर के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों, अवसंरचनाओं और उपयोगिताओं के पूरा होने की समय-सीमा के आधार पर प्रमुख परतों के साथ बुनियादी ढांचे के विकास का एक विहंगम दृश्य प्रदान करता है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति एनएमपी को बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान) द्वारा विकसित किया गया है और इसे गतिशील भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मंच पर तैयार किया गया है जिसमें सभी मंत्रालयों/विभागों की विशिष्ट कार्य योजना के डेटा को एक व्यापक डाटाबेस के भीतर शामिल किया गया है। मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में सभी मंत्रालयों की सहायता के लिए इस प्रणाली को एक डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसमें परियोजना प्रबंधन उपकरण, गतिशील डैशबोर्ड, एमआईएस रिपोर्ट सृजन, अनुपालन उपकरण आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

- सभी अलग-अलग मंत्रालयों के डेटा को एक मंच में एकीकृत किया जा रहा है जो नेटवर्क योजना समूह द्वारा योजना तैयार करने, समीक्षा और निगरानी के लिए उपलब्ध होगा। वाणिज्य मंत्रालय की लॉजिस्टिक्स डिवीजन, बीआईएसएजी-एन के माध्यम से सभी हितधारकों को सिस्टम में अपनी आवश्यक परतों को बनाने तथा अद्यतन करने और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से अपने डेटाबेस को अपडेट करने में सहायता करेगी।

- इंडस्ट्रियल कोरिडोर विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान से जुड़ी योजना है जिसमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक नोड्स/शहरों का विकास किया जा रहा है।

विपणन और प्रचार

- प्रमुख अवसंरचना विकास गतिविधियां या तो पूरी हो गई है अथवा पूरी होने वाली है, चार (04) डीएमआईसी 'स्मार्ट शहरों' में भूमि आवंटन चल रहा है। कुछ उद्योगों की स्थापना और वाणिज्यिक उत्पादन गतिविधियों की शुरुआत के साथ, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर परियोजना परिचालन चरण में प्रवेश कर गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शेंद्रा औद्योगिक पार्क/औरंगाबाद औद्योगिक शहर (ओरिक) पहला शहर है जिसे सितंबर, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

- कंपनियां जिन्हें भूमि आंवटित की गई थी, उन्होंने वाणिज्य परिचालन शुरु कर दिया है और कुछ कंपनियों का वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिचालन शुरु किए जाने का लक्ष्य है। तदनुसार, विपणन गतिविधियों और निवेश प्रचार पहलों का प्राथमिक उद्देश्य एनआईसीडीसी के 'ब्रांड निर्माण' और 'निवेशक सहभागिता' के आसपास ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, एयर कंडीशनर, एलईडी आदि जैसे घरेलू सामान, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, घटक विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिक वाहन और इसके घटक, स्वास्थ्य संबंधी घटक, आदि जैसे विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रमुख क्षेत्र वे होंगे जहां भारत सरकार ने हाल ही में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा की है। इसका लक्ष्य उन कंपनियों का दोहन करना है जो भारत सरकार की पीएलआई योजना का लाभ उठाने का नियोजन कर रही हैं और पूर्ण प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचे के साथ विकसित भूखंडों की तलाश कर रही हैं।

- अन्य औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के लिए एनआईसीडीआईटी के अधिदेश में विस्तार और इस वर्ष के दौरान उन परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन कार्यकलापों की शुरुआत के साथ, देश के दक्षिणी भाग में अल्पावधि में उपलब्धता के बारे में जागरूकता सृजन करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- विपणन पहल के हिस्से के रूप में, निम्न प्रमुख गतिविधियों को अंजाम दिया गया है:

    i. ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, लिंकेडिन जैसे सोशल प्लेटफार्मों पर सक्रिय रहना और इंडस्ट्रियल कोरिडोर, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, यूलिप और विकसित

किए जा रहे स्मार्ट सिटि के नवीनतम अपडेट के बारे में संबंधित भागीदारों से नियमित संवाद करना।

ii. प्रमुख नीतिगत निर्णयों के बारे में सूचना देने के लिए समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में व्यापक प्रेस विज्ञापन।

iii. प्रौद्योगिकी/अवसंरचना/स्मार्ट शहरों संबंधित प्रदर्शनियों में भाग लेना।

iv. विपणन के उद्देश्य से एसपीवी ब्रोशर, पिचबुक, रिपोर्ट को प्रिंट करवाना।

v. विभिन्न व्यापार निकायों, वाणिज्य मंडलों और शीर्ष उद्योग संघों द्वारा आयोजित किए जा रहे शिखर सम्मेलनों, बैठकों, संगोष्ठियों और कॉन्फ्रेंस में भागीदारी के माध्यम से निवेशकों के साथ नियमित रूप से संवाद किया जा रहा है।

vi. औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं में निवेश के लिए व्यावसायिक मामलों की व्याख्या करते हुए विभिन्न औद्योगिक घरानों और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ व्यावसायिक बैठकें।

vii. औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं में निवेश के अवसरों को प्रस्तुत करने के लिए वर्चुअल माध्यम से विभिन्न देशों के उच्च-शक्ति वाले व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ इन्वेस्टर राऊंड टेबल सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

viii. वैश्विक समूह और प्रमुख बाजार के खिलाड़ियों के लिए औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं में उपलब्ध विनिर्माण अवसरों को प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न देशों की निवेश सुविधा एजेंसियों के साथ वर्कशॉप।

ix. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ नियमित रूप से बातचीत की जा रही है, जहां उन कंपनियों को लक्षित करने के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की घोषणा की गई है जो विकसित भूखंडों की तलाश में हैं।

- संपूर्ण उद्देश्य मांग के पहले ही गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना तैयार करना और तत्काल आवंटन के लिए विकसित भूखंडों तैयार रखना है ताकि विनिर्माण में निवेश आकर्षित किया जा सके और इस प्रकार भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी बनाया जा सके।

<u>औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से नीति आधारित ऋण (पीबीएल)</u>

मार्च, 2020 में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की स्क्रीनिंग समिति ने औद्योगिक गलियारा विकास

कार्यक्रम के लिए नीति आधारित ऋण (पीबीएल) के रूप में 500 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहायता को मंजूरी दी। प्रस्तावित ऋण कार्यक्रम का उद्देश्य नीतिगत सुधारों द्वारा वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु औद्योगिक गलियारे विकसित करने के लिए डीपीआईआईटी/एनआईसीडीसी/एनआईसीडीआईटी को सक्षम बनाना है।

नीति आधारित ऋण (पीबीएल) को प्रोग्रामेटिक दृष्टिकोण के तहत संरचित किया गया था जिसमें प्रत्येक के 250 मिलियन डॉलर के दो किश्तें / सबप्रोग्राम शामिल थीं। कार्यक्रम की निष्पादन एजेंसी (ईए) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के माध्यम से कार्य कर रही है और कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) एनआईसीडीसी द्वारा समर्थित एनआईसीडीआईटी है।

यह ऋण भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के माध्यम से लिया गया है और इसके शोधन और पुनर्भुगतान का दायित्व भी भारत सरकार का होगा। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थागत और वित्तीय संरचना के अनुसार इक्विटी और/या ऋण के रूप में परियोजना विशेष एसपीवी को आगे निधियां देने हेतु औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए निधियों के समग्र अनुमोदित कोष के अनुदान भाग के रूप में डीपीआईआईटी के माध्यम से एनआईसीडीआईटी को निधियां जारी करना जारी रखा जाएगा।

सबप्रोग्राम 1 में औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास, अभिनव वित्तपोषण समाधान और निवेश संवर्धन के लिए संस्थागत संरचनाओं और तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्यारह (11) नीतिगत क्रियाएं शामिल हैं। ईए/आईए द्वारा नीतिगत क्रियाओं, जैसा कि नीति मैट्रिक्स में उल्लिखित है, के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अक्टूबर 2021 में, एडीबी ने भारत सरकार को औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए पीबीएल के अंतर्गत 250 मिलियन अमरीकी डालर के पहले सबप्रोग्राम को मंजूरी दी।

इसके बाद, जनवरी 2022 में, ऋण को प्रभावी बनाया गया और इसे भारत सरकार की समेकित निधि में वितरित किया गया। सबप्रोग्राम 1 के साथ, एडीबी ने भारत सरकार को औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए ज्ञान सेवाओं हेतु 1 मिलियन अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता (टीए) के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है, जिसे अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा और नवंबर, 2021 से शुरू होने वाली 38 महीने की अवधि में लागू किया जाएगा।

सबप्रोग्राम 2 (250 मिलियन अमरीकी डालर) के लिए, फरवरी 2022 - दिसंबर 2024 की समय सीमा के साथ नीति मैट्रिक्स में 13 नीतिगत क्रियाओं को सूचीबद्ध किया गया है। सबप्रोग्राम 2 के तहत 13 नीतिगत कार्यों में से 11 की सुपुर्दगी के लिए टीए_तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जिसके लिए एडीबी द्वारा कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। 250 मिलियन अमरीकी डालर

के सबप्रोग्राम 2 को वित्त वर्ष 2025 में एक ही किश्त के तहत वितरित किए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय परिणाम निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, ट्रस्ट के मुख्य कोष और अतिरिक्त कोष के लिए भारत सरकार द्वारा क्रमश: 809.00 करोड़ रुपए और 50.10 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में ट्रस्ट का वित्तीय सार निम्नानुसार है:

(करोड़ रू.में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
कोष/पूंजी निधि	9039.13	8213.77
अचल परिसंपत्तियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं
निवेश	8684.17	7526.85
चल परिसंपत्तियां	355.03	686.98
चिन्हित निधियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चालू दायिताएं	0.07	0.05
गैर-चालू दायिताएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
सकल आय	30.10	26.59
व्यय पर आय का आधिक्य/(कमी)	16.36	2.97

लेखापरीक्षक

ट्रस्ट डीड के परिच्छेद 13 के अनुसार, एनआईसीडीआईटी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन है।

भारत के राष्ट्रपति ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सीएंडएजी को एनआईसीडीआईटी की लेखापरीक्षा का कार्यभार सौंपा है।

वर्ष के दौरान, सीएंडएजी की लेखापरीक्षा टीम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा और ट्रांजेक्शन ऑडिट किए है।

कर्मचारियों का ब्यौरा

वर्ष 2021-22 के दौरान एनआईसीडीआईटी में कोई कर्मचारी नहीं था। एनआईसीडीसी लिमिटेड नॉलेज पार्टनर होने के नाते एनआईसीडीआईटी को सभी सेवाएं और सहायता प्रदान करता है।

ट्रस्ट डीड के परिच्छेट 8.5 के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में और एनआईसीडीसी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक एनआईसीडीआईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

आभार

ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी ट्रस्टियों को ट्रस्ट में उनके निरंतर समर्थन, सहयोग और योगदान के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट
एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

हस्ता.

(अमृत लाल मीणा)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08 जून, 2022

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

सत्यमेव जयते

संख्या / No.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक / Dated

सेवा में ,

सचिव,भारत सरकार ,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली

विषय- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट (NICDIT) के वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट के वर्ष 2021-22 के प्रमाणित वार्षिक लेखों की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रहा हूँ। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनो के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले शासी निकाय (Governing body) को नियमानुसार अवश्य प्रस्तुत किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद में प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

CFO, NICDC
for n/a
12/x/22

भवदीय,

हस्ता.
(दीपक कपूर)
महानिदेशक

संख्या:- GAP|NICDIT|A/c|6-94|22-23|272 दिनाँक:- 10|10.2022

प्रतिलिपि:-

1. CEO & Member Secretary, 8 फ्लोर, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

(दीपक कपूर)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) जिसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) के दिनांक 16 मार्च, 2018 के पत्र सं. 1 (5)-बी(आरएंडसी)/2018 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट (ट्रस्ट) के संलग्न तुलन पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षा का दायित्व 2021-22 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण ट्रस्ट के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।

2. पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों के साथ अनुरूपता और प्रकटन मानक आदि के संबंध में लेखांकन उपचारों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्निहित है। कानूनों का अनुपालन, नियम एवं नियामन (औचित्य और नियमितता) और कुशलता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, यदि कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा पृथक रूप से सूचित किया गया है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन तथा प्रदर्शन इस तरह करे कि ये वित्तीय विवरण किसी भी भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त हो। किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों का परीक्षण जांच आधार पर करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन नीतियों और तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आंकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते है की हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं;

   (ii) इस रिपोर्ट में देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखों को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में बनाया गया है।

   (iii) हमारे अभिमत में, 27 सितंबर, 2012 की न्यास विलेख की उपधारा 13.1 के अंतर्गत जैसी अपेक्षा की गई है, एनआईसीडीआईटी द्वारा लेखा बहियों तथा अन्य संबंधित

अभिलेखों को उचित रूप से रखा गया है, जैसा इन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं किः

क. सहायता अनुदान

प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत सहायता अनुदान की स्थिति (प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार) निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड (पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु)**	**प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (परियोजना विकास गतिविधियों को करने के लिए)**
अथशेष (01.04.2021)	366.92	1.18
जोड़ेः 2021-22 के दौरान प्राप्त अनुदान	809.00	50.10
जोड़ेः 2021-22 के दौरान अर्जित ब्याज और लाभांश (जमा पर ब्याज, बचत खातों पर ब्याज और आयकर रिफंड पर ब्याज सहित)	7.78	0.06
जोड़ेः आय कर रिफंड	2.56	-
कुल उपलब्ध धनराशि	**1186.26**	**51.34**
घटाएः उपयोग की गई धनराशि	1171.04	50.10
31.03.2022 को इतिशेष	15.22	1.24

ख. प्रबंधन पत्र

कमियां जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन पर उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी एक प्रबंधन पत्र द्वारा सीईओ एवं सदस्य सचिव के ध्यान में लाया गया है।

(v) हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में देखे गए तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

(vi) हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उल्लिखित वित्तीय विवरण जिन्हें लेखांकन नीतियों और लेखों पर नोट के साथ पढ़ा जाए तथा ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक -1 में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सत्य और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं;

(क) जहां तक कि यह 31 मार्च, 2022 को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है और

(ख) जहां तक कि यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता.

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 अक्टूबर, 2022

(दीपक कपूर)
लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक (अवसंरचना)
नई दिल्ली

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक ।

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**
   वर्ष 2021-22 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा एक चार्टर्ड एकाऊंटेंसी फर्म द्वारा की गई है। सहायता अनुदान रजिस्टर और निवेश रजिस्टर के अनुरक्षण की जांच के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**
   आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन के आकार के अनुरूप है।

3. **स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
   एनआईसीडीआईटी के पास कोई स्थायी परिसंपत्ति नहीं है।

4. **स्टॉक के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
   एनआईसीडीआईटी के पास कोई स्टॉक नहीं है।

5. **सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता**
   एनआईसीडीआईटी नियमित रूप से सभी सांविधिक बकाया जमा कर रहा है ।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

तुलन पत्र

31 मार्च, 2022 को

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2021-22	2020-21
कोष/ पूंजी निधि और देयताएं			
कोष/पूंजी निधि	1	90,391,306,911	82,137,734,610
आरक्षित और अधिशेष	-	-	-
चिन्हित/ बंदोबस्त निधि	-	-	-
ऋण और उधार	-	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	2	689,329	544,339
जोड़		**90,391,996,240**	**82,138,278,949**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-
निवेश	3	86,841,684,431	75,268,477,541
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	4	3,550,311,809	6,869,801,408
जोड़		**90,391,996,240**	**82,138,278,949**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	8		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट	9		

उपर्युक्त उल्लिखित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों का अंतर्निहित भाग है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(अमृत लाल मीणा)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

हस्ता.

(अनुराग जैन)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 8 जून, 2022

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

आय और व्यय लेखा
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2021-22	2020-21
आय			
अर्जित ब्याज	5	298,928,951	258,671,340
अन्य आय	6	2,082,460	7,228,271
जोड़ (क)		**301,011,411**	**265,899,611**
व्यय			
अन्य प्रशासनिक व्यय	7	137,439,110	236,199,040
जोड़ (ख)		**137,439,110**	**236,199,040**
आय का व्यय पर आधिक्य के बाद शेष (क-ख)		163,572,301	29,700,571
अतिरिक्त कोष को अंतरित		605,059	1,900,889
सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरित		-	-
अधिशेष/(कमी) होने के कारण मुख्य कोष/ पूंजी निधि में अग्रेषित		**162,967,242**	**27,799,682**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	8		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट	9		

उपर्युक्त उल्लिखित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों का अंतर्निहित भाग है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(अमृत लाल मीणा)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

हस्ता.

(अनुराग जैन)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 8 जून, 2022

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

प्राप्ति और भुगतान
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	2021-22	2020-21	भुगतान	2021-22	2020-21
I. अथशेष			**I. व्यय**		
क) रोकड़ शेष	-	-	अन्य प्रशासनिक व्यय	137,259,596	236,625,844
ख) बैंक शेष					
i) बचत खाते में	3,403,604	79,221	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया गया भुगतान**		
ii) जमा खातों में	3,677,599,846	1,796,968,241			
II. प्राप्त अनुदान			क) मुख्य निधि से निम्न को जारी ऋण:		
क) मुख्य निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त	8,090,000,000	25,599,000,000	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	-	280,000,000
			ख) अतिरिक्त निधि में से		
ख) अतिरिक्त निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त			एनआईसीडीसी लिमिटेड को जारी सहायता अनुदान	501,000,000	451,000,000
-परियोजना विकास गतिविधियां	500,000,000	400,000,000			
-स्वच्छता कार्य योजना	1,000,000	1,000,000			
III. निम्न के निवेशों पर आय			**III. निम्न में से किया गया निवेश और निक्षेप**		
			क) मुख्य निधि में से	11,573,206,890	23,443,912,440
क) मुख्य निधि	-	-	ख) अतिरिक्त निधि में से	-	-
ख) अतिरिक्त निधि	-	-			
			IV. स्थायी परिसंपत्तियों एवं चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय	-	-
IV. प्राप्त ब्याज					
क) बैंक जमाओं पर (टीडीएस के बाद)	7,254,516	26,672,696			
ख) बचत खातों पर	69,127,166	17,809,237	**V. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापसी**	-	-
V. अन्य आय (अनुसूची 6 के संदर्भ में)					
			VI. वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
क) मुख्य निधि	2,047,208	6,087,073			
ख) अतिरिक्त निधि	252	1,141,198	**VII. अन्य भुगतान**	-	-
VI. उधार ली गई राशि	-	-	**VIII. इति शेष**		
			क) रोकड़ शेष	-	-
VII. अन्य कोई प्राप्तियां			ख) बैंक शेष		
(i)आयकर रिफंड	25,593,290	72,075,976	i) बचत खातों में	81,079	3,403,604
(ii) एनआईसीडीसी लिमिटेड से व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	208,092	ii) जमा खातों में	164,478,317	3,677,599,846
(iii) इक्विटी अंतरण	-	171,500,000			
जोड़	**12,376,025,882**	**28,092,541,734**	**जोड़**	**12,376,025,882**	**28,092,541,734**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमें एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(अमृत लाल मीणा)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

हस्ता.

(अनुराग जैन)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 8 जून, 2022

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च, 2022 को

(राशि रुपए में)

विवरण		2021-22	2020-21
अनुसूची 1: कोष/पूंजी निधि			
1.0. मुख्य कोष/पूंजी निधि			
वर्ष की शुरूआत में शेष		82,125,629,647	56,498,829,965
जोड़े: कोष/पूंजी निधि के लिए प्राप्त अंशदान		8,090,000,000	25,599,000,000
जोड़े/(घटाएं): आय एवं व्यय लेखों से अंतरित शुद्ध आय/व्यय का शेष		162,967,242	27,799,682
वर्ष के अंत में शेष (क)		**90,378,596,889**	**82,125,629,647**
1.1. एनआईसीडीसी लिमिटेड के लिए अतिरिक्त कोष			
(पर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित)			
वर्ष की शुरूआत में शेष		4,228,425,787	3,827,425,787
जोड़ें: अतिरिक्त कोष/पूंजी निधि के लिए अंशदान			
- परियोजना विकास गतिविधियों हेतु		500,000,000	400,000,000
- स्वच्छता कार्य योजना हेतु		1,000,000	1,000,000
	(अ)	4,729,425,787	4,228,425,787
जोड़े: आय एवं व्यय लेखों से अंतरित शुद्ध आय/व्यय का शेष			
- पिछले वर्षों के दौरान		383,406,176	381,505,287
- चालू वर्ष के दौरान		605,059	1,900,889
	(आ)	384,011,235	383,406,176
घटाएः एनआईसीडीसी लिमिटेड को जारी सहायता अनुदान के लिए उपयोग की गई राशि (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित)			
- पिछले वर्षों के दौरान		4,599,727,000	4,148,727,000
- चालू वर्ष के दौरान		501,000,000	451,000,000
	(इ)	5,100,727,000	4,599,727,000
वर्ष के अंत में शेष [ख = (अ) + (आ) - (इ)]		**12,710,022**	**12,104,963**
सकल जोड़ (क+ख)		**90,391,306,911**	**82,137,734,610**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2022 को

(राशि रुपए में)

विवरण		2021-22	2020-21
अनुसूची 2 : चालू देयताएं और प्रावधान			
2.0. चालू देयताएं			
1. विविध लेनदार:			
(क) माल के लिए		-	-
(ख) अन्य		109,090	136,475
2. सांविधिक देयताएं			
(क) अन्य			
- स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस)		9,500	7,125
	(क)	118,590	143,600
2.1. प्रावधान			
1. अन्य			
(क) लेखा परीक्षा फीस के लिए प्रावधान			
- चालू वर्ष		170,000	170,000
- पिछले वर्ष		400,739	230,739
	(ख)	570,739	400,739
जोड़ (क + ख)		**689,329**	**544,339**
अनुसूची 3 : निवेश			
1. चिन्हित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश		-	-
2. निवेश - अन्य			
(क) शेयर			
निम्न के इक्विटी शेयरों में निवेश:			
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड		559,300,000	559,300,000
- डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड		14,702,526,880	6,172,000,000
- औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड		30,000,000,000	30,000,000,000
- धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड		27,848,300,001	25,519,408,351
- एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड		40,198,000	40,198,000
- एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड		50,000,000	50,000,000
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड		50,000,000	50,000,000
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड		2,080,541,750	2,080,541,750
- धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड*		242,400,000	242,400,000
- सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड		5,867,386,600	5,867,386,600
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड		5,221,031,200	4,532,242,840
- सीबीआईसी पोन्नेरी इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड		25,000,000	25,000,000
- दि केरल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड		25,000,000	-
- डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन कंपनी लिमिटेड		-	-
(ख) अन्य			
- एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए मैसर्स एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) को जारी निधियां (अनुसूची-9 का संदर्भ नोट सं. 3)		130,000,000	130,000,000
जोड़		**86,841,684,431**	**75,268,477,541**

* दिनांक 23 अगस्त 2017 को एनआईसीडीआईटी की दूसरी बैठक में निदेशक मंडल ने शेयरहोल्डर एग्रीमेंट के उप-नियम 9.2 के प्रावधानों के अनुसार एनआईसीडीआईटी द्वारा संघटित डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड की 49 प्रतिशत इक्विटी को राज्य सरकार को अंतरण हेतु अनुमोदन प्रदान किया। इक्विटी का अंतरण दिनांक 14 सितंबर, 2020 को हुआ।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2022 को

(राशि रुपए में)

विवरण		2021-22	2020-21
अनुसूची 4 : चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि			
4.0. चालू परिसंपत्तियां :			
1. अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष:			
(क) जमा खातों में			
- मुख्य कोष		152,163,575	3,665,837,499
- अतिरिक्त कोष		12,314,742	11,762,347
(ख) बचत खातों में			
- मुख्य कोष		26,134	3,353,323
- अतिरिक्त कोष		54,945	50,281
	(क)	**164,559,396**	**3,681,003,450**
4.1. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां:			
1. निम्न को ऋण और अग्रिम:			
(अच्छा और वसूली योग्य माना गया)			
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड		2,605,400,000	2,605,400,000
2. बैंकों के पास जमाओं पर अर्जित ब्याज:			
- मुख्य कोष		1,321,131	995,161
- अतिरिक्त कोष		306,003	315,120
3. निम्न से ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं:			
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड *		737,667,125	538,354,025
4. अन्य:			
-स्रोत पर कर कटौती			
i. मुख्य निधि		40,935,099	43,668,120
ii. अतिरिक्त निधि		116,642	59,596
-पूर्वदत्त व्यय		6,168	5,936
-सेवाओं के लिए अग्रिम (स्टॉक होल्डिंग कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)		245	-
	(ख)	**3,385,752,413**	**3,188,797,958**
जोड़ (क + ख)		**3,550,311,809**	**6,869,801,408**

* ऋण अनुबंध के उप-नियम 5.1 के अनुसार, एसपीवी को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज 7 जुलाई, 2015 की परियोजना शुरु होने की तिथि से 10 वर्ष की अधिस्थगन अवधि परा होने के पश्चात ही प्राप्त होगा।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

आय एवं व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 5 : अर्जित ब्याज		
(1.) अवधि जमाओं पर (अनुसूचित बैंक के पास):		
(क) मुख्य कोष [चालू वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 7,11,224/- (पिछले वर्ष - ₹19,03,797/-)]	7,739,452	24,453,725
(ख) अतिरिक्त कोष [चालू वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 60,191/- (पिछले वर्ष - ₹ 56,451/-)]	603,332	752,665
(2.) बचत खातों पर (अनुसूचित बैंक के पास):		
(क) मुख्य कोष	69,125,692	17,802,212
(ख) अतिरिक्त कोष	1,475	7,026
(3.) ऋण पर: [चालू वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 2,21,45,900/- (पिछले वर्ष - ₹1,61,74,178/-)]	221,459,000	215,655,712
जोड़	**298,928,951**	**258,671,340**
अनुसूची 6: अन्य आय		
(1.) आयकर रिफंड पर ब्याज		
(क) मुख्य कोष	2,047,208	6,087,073
(ख) अतिरिक्त कोष	252	1,141,198
(2.) लाभांश आय	-	-
(3.) प्रावधान का प्रतिलेखन	35,000	-
जोड़	**2,082,460**	**7,228,271**
अनुसूची 7 : अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) सर्विस फीस	115,732,070	200,000,000
ख) सर्विस फीस पर कर व्यय*	20,831,774	36,000,000
ग) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक		
- चालू वर्ष	170,000	170,000
- पिछले वर्ष	-	53,534
घ) विज्ञापन व्यय **	-	(225,277)
ङ) पेशेवर और परामर्श फीस	125,080	118,590
च) बैठक और कांफ्रेंस व्यय	-	18,712
छ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	-	58,346
ज) शेयर अभौतिकीकरण व्यय	545,993	5,053
झ) अन्य		
- विविध व्यय	34,193	82
जोड़	**137,439,110**	**236,199,040**

* भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के अवलोकन के अनुपालन में, न्यासी बोर्ड द्वारा 21 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी 8 वीं बैठक में एक स्पष्टीकरण दिया गया था कि एनआईसीडीआईटी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/नोड एसपीवी को जारी की गई निधियों के1% की दर से एनआईसीडीसी लिमिटेड को भुगतान की गई सर्विस फीस जो एक वर्ष में 20 करोड़ की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है, उसमें कर शामिल नहीं है। तदनुसार, एनआईसीडीसी लिमिटेड को भुगतान की गई सर्विस फीस और सर्विस फीस पर 18% की दर से जीएसटी को अलग से दर्शाया गया है।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) के प्रेक्षणों के अनुपालन में एनआईसीडीसी लिमिटेड की ओर से वहन किए गए विज्ञापन व्यय को वापिस तथा वसूला गया है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

लेखों का भाग बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 8 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.0 लेखांकन परंपरा

वितीय विवरणों को जब तक अन्यथा न कहा जाए ऐतिहासिक लागत और लेखांकन की प्रोद्भवन विधि के आधार पर तैयार किया गया है।

2.0 दीर्घकालिक निवेश

दीर्घकालिक निवेश को अभिग्रहण की प्रासंगिक लागत सहित वास्तविक लागत पर प्रदर्शित किया गया है।

3.0 स्थायी परिसंपत्तियां

3.1 स्थायी परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो तो, लागत से घटाकर प्रदर्शित किया गया है;

3.2 अभिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक परिसंपत्तियां उपयोग के लिए तैयार न हो जैसा प्रबंधन द्वारा अपेक्षा की गई है;

3.3 स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित उत्तरवर्ती व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ ट्रस्ट को प्राप्त होंगे और मद की लागत का विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। वहन की गई मरम्मत और अनुरक्षण लागत को आय और व्यय लेखा में प्रदर्शित किया जाता है;

3.4 मूल्यह्रास को ह्रासित मूल्य प्रणाली (डब्ल्यूडीवी) पर मूल्यह्रास की जाने वाली राशि तक आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है। मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आधारित होता है।

4.0 सरकारी अनुदान

4.1 ट्रस्ट निम्न के लिए भारत सरकार की और से पृथक रूप से गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान प्राप्त करता है:

(i.) ट्रस्ट के मुख्य कोष के लिए "पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन" को "कोष/पूंजी निधि" के अंतर्गत "मुख्य कोष" में दर्शाया गया है; और

(ii.) परियोजना विकासात्मक गतिविधियों और स्वच्छता कार्य योजना को करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के रुप में विदित) को दिए जाने वाले चिह्नित "सामान्य" को "कोष/पूंजी निधि" के अंतर्गत "अतिरिक्त कोष" के रूप में दर्शाया गया है।

4.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को प्राप्ति आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

लेखों का भाग बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 8 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

5.0 राजस्व स्वीकरण

5.1 आय को प्रोद्भवन आधार पर स्वीकारा जाता है।

5.2 "मुख्य कोष" और "अतिरिक्त कोष" की अधिशेष निधि पर अर्जित ब्याज को इन संबंधित शीर्षों के अंतर्गत स्पष्ट रूप में दर्शाया जाता है।

6.0 अन्य प्रशासनिक व्यय

अन्य प्रशासनिक व्ययों को "मुख्य कोष/पूंजी निधि" के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान की अधिशेष निधि पर ब्याज आय से पूरा किया जाता है।

7.0 सेवा फीस

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के रुप में विदित) द्वारा दी गई सेवाओं के लिए सर्विस फीस को 26 जुलाई, 2016 से प्रभावी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड (पीआईएफ) में से विभिन्न परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट द्वारा जारी निधियों के 1 प्रतिशत और लागू कर की दर से (एक वर्ष में 20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन) प्रोद्भवन आधार पर दर्शाया जाता है।

8.0 विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में व्यय को लेन-देन की तिथि पर विनिमय की प्रचलित बाजार दर पर लेखाबद्ध किया जाता है और विदेशी मुद्राओं में आय इन मुद्राओं से वसूली गई कीमत पर लेखाबद्ध की जाती है।

9.0 लीज

लीज को परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां पट्टादाता लीज अवधि के दौरान सभी जोखिमों और स्वामित्व के लाभों को अपने पास रखता है। लीज अनुबंध की शर्तों के अनुसार परिचालन लीज के भुगतान को प्रोद्भवन आधार पर आय और व्यय विवरण में व्यय के रूप में स्वीकारा जाता है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

लेखों का भाग बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

1.0 न्यास विलेख के निष्पादन द्वारा दिनांक 27 सितंबर, 2012 को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड) का गठन किया गया था।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने मौजूदा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट के साथ अन्य इंडस्ट्रियल कोरिडोरों यथा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी), बेंगलूरु मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी), चेन्नई बेंगलूरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी) और इसका कोयंबटूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार (30 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी 4वीं बैठक में एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित) और ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल करिडोर (ईसीआईसी) के अंतर्गत विजाग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी) परियोजना को शामिल करने के लिए ट्रस्ट के अधिदेश का विस्तार करने और इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन:नामित करने के लिए दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को भारत सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में दिए गए अनुमोदन को दिनांक 22.12.2016 के आदेश सं. 11/1/2016 द्वारा सूचित किया था ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 30 दिसंबर, 2020 को आयोजित बैठक में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने हेतु पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के समग्र ढांचे के भीतर, औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत 4 चरणों में विकसित किए जाने के लिए 32 परियोजनाओं वाले 11 औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया। इन 11 औद्योगिक परियोजनाओं में से 5 को पहले ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

2.0 15 सितंबर, 2011 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय और संस्थानिक संरचना के अनुसार दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) में भारत सरकार, औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 2011-12 में शुरू होकर अगले पांच वर्षों में ट्रस्ट को 17,500 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान देगी। परियोजना विकासात्मक गतिविधियां करने और परियोजना विशिष्ट एसपीवी के निर्माण एवं अवसंरचना क्षेत्रों की सीमा में प्रोजेक्ट विशिष्ट एसपीवी वाली सेक्टोरल होल्डिंग कंपनियों के निर्माण हेतु अगले पांच वर्षों में सहायता अनुदान के रूप में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) (पूर्व में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) के नाम से विदित) को देने के लिए ट्रस्ट को 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोष प्रदान किया गया।

भारत सरकार ने 07 दिसंबर, 2016 को अपनी बैठक में 31 मार्च, 2022 तक की विस्तारित अवधि में 1584 करोड़ रुपए (अर्थात अन्य औद्योगिक गलियारों के लिए 1500 करोड़ रुपए और एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक व्यय के लिए 84 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त स्वीकृति सहित उपर्युक्त अनुमोदित वित्तीय सहायता उपयोग करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है जिसे 30 दिसंबर, 2020 की अपनी बैठक में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन से मार्च, 2027 तक बढ़ा दिया गया ।

वर्ष के दौरान, मुख्य कोष/पूंजी निधि में 809 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2559.90 करोड़ रुपए की राशि) और अतिरिक्त कोष के लिए 50.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 40.10 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त की गई थी।

ट्रस्ट में भारत सरकार के योगदान को परिक्रामी कोष निधि के रूप में उपयोग किया जाएगा।

3.0 आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीइए) के अनुमोदन के अनुसार, 6.00 मेगा वाट मॉडल सोलर पॉवर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) द्वारा ट्रस्ट की 100 प्रतिशत इक्विटी निवेश हेतु अपनी 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली "एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड" नामक एसपीवी को जारी करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की मुख्य कोष /पूंजी निधि में से एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) को 13,00,00,000/- (केवल तेरह करोड़ रुपए) की राशि अंतरित की गई थी। इस तरह के निवेश में वृद्धि एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) के माध्यम से ट्रस्ट में वापस आ जाएगी। जारी की गई राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की कोष निधि से घटा दी गई थी।

लेन-देनों के प्रकटन के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडऐजी) के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मतानुसार, ट्रस्ट की मुख्य कोष /पूंजी निधि से घटाई गई राशि को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुन: जोड़ा गया था।

तदनुरूप प्रकटन "निवेश" शीर्ष के अंतर्गत किया गया है।

अनुसूची 9 : आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

4.0 कर्मचारी हितलाभ

ट्रस्ट के पास कोई कर्मचारी नहीं है। रिटायरमेंट सहित कर्मचारी हितलाभ के मद में देयता का प्रावधान शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

5.0 आकस्मिक देयताएं

ट्रस्ट की आकस्मिक देयता शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

6.0 पूंजीगत वचनबद्धताएं

ट्रस्ट की पूंजीगत वचनबद्धताएं शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

7.0 चालू परिसंपतियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन के अभिमत और उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, चालू परिसंपतियां, ऋण और अग्रिम व्यापार की सामान्य विधि से प्राप्य मूल्यों पर है जो तुलन पत्र में उल्लिखित की गई राशि से कम नहीं होगी।

8.0 करारोपण

आयकर निदेशक (छूट) ने 28 मार्च, 2013 को ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन के उत्तर मे वर्ष 2013-14 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए जिसे धारा 12एए के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत पंजीकरण को दिनांक 13 अगस्त 2013 के आदेश पत्र द्वारा प्रदान किया है। तदनुसार, ट्रस्ट ने आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों में हालिया संशोधनों के अनुसार, ट्रस्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत स्वयं को पुनः पंजीकृत किया है। प्रधान आयुक्त, आयकर ने दिनांक 28 मई, 2021 के आदेश द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए की उप-धारा (i) के खंड (एसी) के उप-खंड (1) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2022-23 से शुरु होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए अंतरिम पंजीकरण की अनुमति दी है।

इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, 11,84,20,589/- रुपए (पिछले वर्ष - शून्य) की राशि ट्रस्ट की आय से अलग रखी गई है जिसका उपयोग औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के उद्देश्य से 5 वर्षों के भीतर यानी 31.03.2027 तक किया जाना है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 तक अलग रखी गई राशि को औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के विकास तथा क्रियान्वयन के उद्देश्य से पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है।

		राशि (₹) 2021-22	राशि (₹) 2020-21
9.0	**विदेशी मुद्रा लेन-देन**		
9.1	विदेशी मुद्रा में आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.2	विदेशी मुद्रा में व्यय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10.0	**लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक**		
10.1	लेखा परीक्षक फीस		
	- चालू वर्ष के लिए	170,000	170,000
	- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए	-	53,534
10.2	कर संबंधी मामलों के लिए	-	-
10.3	अन्य सेवाओं के लिए	-	-

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

लेखों का भाग बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 9 : आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

11.0 परियोजना विकास व्यय

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरीडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) (पूर्ववर्ती दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरीडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) के वार्षिक लेखो पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के प्रेक्षणों के अनुसार, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट जिसे पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से जाना जाता था, और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच संबंधित सहायक उपक्रमों/गठित एसपीवी को परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) में से एनआईसीडीसी लिमिटेड द्वारा वहन किए 'परियोजना विकास व्यय' अंतरित करने के मामले को दिनांक 06.03.2018 की एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल की तीसरी बैठक में विचारार्थ रखा गया।

न्यासी मंडल के निर्देशों के अनुसार एनआईसीडीसी लिमिटेड को सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई परियोजना विकास निधि में से उल्लिखित सहायक उपक्रमों/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में एनआईसीडीसी द्वारा वहन किए गए 'परियोजना विकास व्यय', जहां कहीं भी एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकार/नोडल एजेंसी के बीच शेयरधारकों के समझौते में वसूली का प्रावधान है, संबंधित एसपीवी को अंतरित कर दिए गए हैं और एसपीवी द्वारा पर्याप्त अधिशेष निधि सृजित करने में सक्षम होने तक इसकी वसूली रोक दी गई है।

इसके अतिरिक्त, एनआईसीडीसी लिमिटेड की लेखांकन नीतियों के अनुसार, परियोजनाओं के लिए वहन किए गए परियोजना विकास व्यय जिन्हें शुरू नहीं किया गया है अथवा कोई गतिविधि नहीं की जाती है एवं एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य(यों)/नोडल एजेंसियों के बीच शेयर होल्डर एग्रीमेंट इस प्रकार की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है, उन्हें एनआईसीडीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में 'पूंजी संचय' के अंतर्गत 'परियोजना विकास निधि' से घटाया जाता है।

12.0 प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्ति और भुगतान लेखा को वर्ष के दौरान रोकड़ अंतर्वाह और बहिर्वाह के आधार पर तैयार किया गया है।

13.0 ट्रस्ट के परिचालन पर कोविड-19 का प्रभाव

ट्रस्ट अपने आकलन और व्यापार के स्वरूप के आधार पर मानता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का ट्रस्ट के परिचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना नहीं है ।

14.0 जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के लिए तदनुरूपी आंकड़ों को पुन:समूहबद्ध/पुन: व्यवटस्थित किया गया है।

15.0 अनुसूची 1 से 9 संलग्न है जो 31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए आय और व्यय लेखा के आंतरिक भाग है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.	हस्ता.
(अमृत लाल मीणा)	(अनुराग जैन)
सीईओ एवं सदस्य सचिव	**अध्यक्ष**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 8 जून, 2022

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST (NICDIT)

ANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL YEAR 2021-22

Proforma for furnishing the relevant details in respact of the Organization referred to on para 02 of the OM no. LAFEAS-CBII067/18/2019-CB-II dated 23.10.2019 of Lok Sabha Secretariat

Name of the Ministry:- Ministry of Commerce and Industry
Name of the Department: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
Name of Organization: National Industrial Corridor Development & Implementation Trust

Sr. No.	Particulars	Remark		
1	Please specify, whether the organization is Autonomous/Statutory Body, Joint Venture, Corporation, Public Undertakings, etc.	Trust		
2	The Year of inception of the organisation	2012		
3	Whether the organisation is under the administrative control of the Ministry/Department concerned	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)		
4	The Act/Rule/Regulation governing the Organization	Deed of Trust and Indian Trust Act, 1882 and General Financial Rules (GFR), 2017		
5	Whether the Act/Rule/Regulation mentioned at SL No.4 above contains provisions for laying the Annual Reports and Audited Accounts of the Organization on the table of the House? **(Indicate YES or NO)** *(Please enclose a copy of the Act/Rules/Regulation)*	Yes (Rule 237 of GFR, 2017 are attached)		
6	If answer to SL No.5 above is **YES**, indicate the time frame stipulated therein for laying these reports.	31st December		
7	Whether the organization has received financial assistance (one time/recurring/annually) from the Ministry/Depattment concerned.	Annually		
8	Whether the Annual Reports and Audited Accounts cifthe Organization are being laid on the table of the House; continuously since its inception **(Indicate YES or NO)**	Yes		
9	If answer to SL No. 8 above is **YES**, indicate the date(s) of laying the requisite documents on the table of the House for the last three years i.e., 2017-18, 2018-19 and 2019-20.	**Year**	**Lok Sabha**	**Rajya Sabha**
		FY 2018-19	21.09.2020	12.02.2021
		FY 2019-20	10.02.2021	12.02.2021
		FY 2020-21	09.02.2022	11.02.2022
10	If the answer to SL. No. 8 above is **NO**; mention the years for which the requisite documents have not been laid by the Organisation, since its inception, alongwith the reasons thereof and the time by which the same are expected to be laid on the table of the House.	Not Applicable		

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

Rule 238 **(1) Utilization Certificates.** In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in –aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

CONTENTS

S. No.	Particulars	Page No.
1	Annual Report for the financial year 2021-22	63 - 96
2	Separate Audit Report issued by the Comptroller and Auditor General of India on the Annual Accounts for the year ending 31st March, 2022	97 - 100
3	Certified Annual Accounts for the financial year 2021-22	101 - 112

ANNUAL REPORT
(FINANCIAL YEAR 2021-22)

In accordance with the approval of Government of India on 15th September, 2011, DMIC Project Implementation Trust Fund was incorporated on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

The Government of India accorded approval for expanding the mandate and scope of Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) by order dated 22nd December, 2016 and re-designated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of industrial corridors in the country. NICDIT functions under the administrative control of the Department for Promotion of Industy and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India . The Government has also approved constitution of a Board of Trustees of NICDIT with the following composition:

1. Secretary, DPIIT, Chairperson;
2. Secretary, Department of Expenditure, Member;
3. Secretary, Department of Economic Affairs, Member;
4. Secretary, Road Transport & Highways, Member;
5. Secretary, Ports, Shipping and Waterways, Member;
6. Chairman, Railway Board, Member;
7. CEO, NITI Aayog, Member; and
8. CEO, NICDIT, Member Secretary

The role, responsibilities and functions of NICDIT are as follows:

a) Establishing an enabling institutional, financing and operational framework for the development of Industrial Corridors;

b) Considering proposals received from different state Governments/UTs for establishing new Industrial corridors, Nodes, Early Bird Projects and Standalone projects;

c) Appraising all project proposals and sanction of equity or loan or both to SPVs and grants for project development as per approved delegation of financial powers;

d) Supporting project development activities in Industrial Corridors through Knowledge Partner(s), Special Purpose Vehicles (SPV's) and State Governments and assisting States in identifying Investors for industries;

e) Raising funds as debt/equity as per requirement, leveraging resources provided by Government of India and providing Equity/Debt to the SPVs formed in joint venture with State Governments/other stakeholders for implementation of projects;

f) Entering into agreements with the State Governments/ Project specific SPVs/public or private organizations, as may be required from time to time, to give effect to the modalities outlined in previous paragraphs;

g) Providing funds for land acquisition through existing mechanisms of States for specifically identified Strategic Early Bird Projects which could be developed on PPP models. However, land for city / node development will necessarily be the equity of the State and will be acquired and fully paid for by them.

h) NICDIT shall maintain accounts in the form prescribed by the Government on the advice of the C&AG of India and the accounts shall be subject to audit by the C&AG of India.

The Institutional Framework of NICDIT is as under:

a. The Board of NICDIT shall approve and sanction the optimal mix of debt and equity, choice of financial instruments, quantum of funds, terms and conditions and disbursement schedule from the grant provided by GoI, to the SPVs after taking into account inter alia, the progress of land acquisition and actual execution of works at each industrial city. Similarly, grant to knowledge partner(s) for project development will be given in phases as per progress of work.

b. NICDIT will leverage the resources provided by the Government of India to raise long-term funding from financial institutions and also, after obtaining due approvals, raise tax Free Bonds, Capital Gain Bonds, Credit Enhancement, etc. for supporting the development of Industrial Corridors.

c. GoI's contribution to NICDIT will be used as a revolving corpus. Investments into the SPVs by GoI will be routed through NICDIT so that all debt service payments by SPVs and proceeds from equity disinvestment from SPVs, including SPVs developed by NICDC so far, by utilizing grants given by the GoI can be ploughed back into the Corpus, enabling NICDIT to undertake the development of more such industrial cities in future. The nodal / city level SPVs may further raise long-term debt finance through credit enhancement by appropriate guarantees from Government of India / State Government, so that it becomes viable for investment by insurance and pension funds. The nodal / city level SPVs will seek to employ innovative infrastructure funding and delivery tools such as user fee funding, pricing innovations, and delivery through various PPP arrangements. Funds raised by the State Government / SPVs as loans or otherwise also will count towards State's contribution.

d. For financial support to PPP projects, the extant guidelines for their Formulation, Appraisal and Approval as in Central Sector infrastructure projects shall be followed. Such projects would be eligible for Viability Gap Funding (VGF) in accordance with the prevalent policy. Secretary, DPIIT and Member- Secretary, NICDIT will be members

of the Public Private Partnership Approval Committee (PPPAC) for Industrial Corridor projects. In order to ensure coordinated development in consonance with the Master Plans / Development Plans, all proposals for VGF in the Industrial Corridors will be examined and recommended by NICDIT.

e. Each industrial city / node will be supported by GoI to an average of Rs.2500 crore subject to a maximum extent of Rs.3000 crore depending on the geographical location, size, contribution of the State and the development needs. The actual requirement may vary for each city / node, depending upon the cost of land and infrastructure development and the ability of the respective State Governments to mobilise financial resources for land procurement / land pooling. The State Government's contribution will be by way of land or any other funds raised by it from any source including bi-lateral / multi-lateral funding. While the total requirement per city for non-PPP projects may be much larger and would vary from city to city, the above amount is being sought from the Government of India to trigger the first phase of development of these industrial cities / nodes. Subsequently, funds will be raised through internal monetization, etc.

Delegation of Powers

NICDIT will appraise all proposals for non-PPP projects placed before it. Based on appraisal by NICDIT Board, it will approve projects valuing upto a sum of Rs. 300 crore as hitherto. Approval of Minister-in-charge will be obtained in case of projects valuing more than Rs. 300 crore and up to Rs. 500 crore. Proposals above Rs. 500 crore but upto Rs.1000 crore will be approved by the Minister-in-charge of Ministry of Commerce & Industry and Finance Minister. All proposals exceeding Rs. 1000 crore will be submitted to the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) for obtaining approval.

Further, CCEA in its meeting held on 30.12.2020 delegated powers to NICDIT to change phasing of various projects, based on the progress of projects, availability of land and physical preparedness.

During the year 2021-22, the Board of Trustees held meetings on 14th July, 2021 and 21st September, 2021.

Planning of Industrial Corridor Nodes and their Sustainability Features adopted:

Industrial Corridor nodes under development adopts a sustainable approach that forms the ground work to aid the evolution of a Low Carbon City (LCC), including planning for Open green spaces, public transit and transit oriented development (TOD), encouraging the use of renewable energy, minimising the use of conventional energy, optimizing the conservation and recycling of water, and recovery and recycling of solid waste materials. Following are the key features of the Trunk infrastructure which are adopted in all nodes:

a) All Utilities are planned to be underground which leads to better usage of land.They are also outside the carriage way so that during maintenance and other works, the main carriageway is not affected.
b) The bus stations are planned within preferable walking distance of 400 m. Better last mile connectivity options provided to increase accessibility. Provision for Bus Bays/Bus Stops to minimize the effect on traffic.
c) Waste water will be collected and recycled from STP and CETP and redistributed to the City for non-potable purpose. SCADA system will be used to prevent any overflows and to maintain efficiency. Adoption of zero liquid discharge (ZLD) for sustainable solutions. Separate sewer lines for industrial and residential lines.
d) Conservation of water through rain water harvesting is adopted at city level. In Dholera for instance a 100-meter wide open channel with more than 2500 Million litres of capacity will be used for water harvesting, irrigation for parks and gardens as well as for non-potable purpose etc.
e) The entire infrastructure for Green field City is planned with SCADA, sensors and automation to generate real time information and to operate & manage it in efficient manner. This will facilitate Intelligent transport management, e-Governance, Digital health & Education, Emergency and City operations.
f) Planning for Green spaces by categorization of hierarchy for open green spaces which are as follows:
    i. Neighbourhood parks within five minutes walking;
    ii. Community parks within Ten minutes walking;
    iii. Liner Park along the storm water canal within the city.
g) Planned for safe and sustainable Multi Modal Transportation System integrated with public transportation modes and non – motorized modes.
h) Planned electric charging stations at major transit interchanges with parking facilities in the clusters with social infrastructure.
i) All the lakes being improved and additional canals have been planned to increase the retention of water and also provide recreational area to the residents.
j) Wide sidewalks and cycle track for residents to walk from home and reduce pollution.
k) An extensive Web based GIS application for visualization of all plots and assets. A comprehensive online land management system for investors to get information, apply for land and follow their application through to allotment.

Overall Review of the Business and Operations

The salient features of the progress of projects at a glance is as under:

1. Substantial progress in Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) Project, wherein trunk infrastructure works are nearing completion in 04 Greenfield Smart Industrial Cities:

    - Activation area for Dholera Special Investment Region in Gujarat admeasuring 22.5 sq. kms;

- Phase-1 of Shendra Bidkin Industrial Area in Maharashtra admeasuring 18.55 sq. kms;
- Integrated Industrial Township Project at Greater Noida, Uttar Pradesh admeasuring 747.5 acres;
- Integrated Industrial Township Project at Ujjain, Madhya Pradesh admeasuring approx. 1100 acres.

For other corridors, project development activities are underway.

2. 173 plots (including 38 residential and commercial plots) admeasuring 851 acre have been allotted in above mentioned 04 cities attracting investment to the tune of Rs. 16,560 Crore. Land area available for immediate allotment - 3,268 acres of developed industrial land & 3,029 acres for other uses (commercial, residential).

3. During FY 2021-22, Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) for Jodhpur Pali Marwar Investment Area (JPMIA) and Khuskheda Bhiwadi Neemrana Investment Region (KBNIR) have been executed with Govt. of Rajasthan as part of DMIC Project.

4. Further, project SPVs for Palakkad Node in Kerala under CBIC Extension and JPMIA & KBNIR in Rajasthan under DMIC have also been incorporated;

5. NICDIT in its meeting held on 14th July, 2021 has accorded its approval for inclusion of following projects under Industrial Corridor Development Programme:

   i. IMC Saraswati Hi Tech City at Prayagraj (Uttar Pradesh) under AKIC (brownfield development);
   ii. Baddi-Barotiwala-Nalagrh (BBN) (Himachal Pradesh) node under AKIC; and
   iii. Mandal-Becharaji Special Investment Region (MBSIR) in Gujarat under DMIC.

6. NICDIT in its meeting held on 21st September, 2021 appraised the following projects:

   i. Construction of new Rail Line from Bhimnath to Dholera Special Investment Region (DSIR) in Gujarat under Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC); and
   ii. Zaheerabad Node in Telangana under Hyderabad Nagpur Industrial Corridor (HNIC).

7. Government has approved PM GatiShakti National Master Plan for providing multimodal connectivity to various economic zones. Hon'ble Prime Minister has launched PM GatiShakti National Master Plan on 13th October, 2021. PM GatiShakti is a holistic infrastructure development programme which will facilitate integration of various infrastructure projects of all concerned Ministries and will address the missing gaps to ensure seamless movement of people, goods & services. It aims to enhance ease of living, ease of doing business, minimize disruptions and expedite completion of works with cost efficiency. National Industrial Corridor Programme is a subset of

National Master Plan for creation of quality infrastructure ahead of demand and keep the developed land parcels ready for immediate allotment for attracting investments into manufacturing and positioning India as a strong player in the Global Value Chain.

8. Presently, as part of National Industrial Corridor Program, following 11 Industrial Corridors are being taken up for development with 32 Projects to be developed in 04 phases forming part of National Infrastructure Pipeline (NIP):

   i. Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC);
   ii. Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC);
   iii. Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC);
   iv. Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC) as Phase 1 East Coast Industrial Corridor (ECIC);
   v. Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC);
   vi. Extension of CBIC to Kochi via Coimbatore;
   vii. Hyderabad Nagpur Industrial Corridor (HNIC);
   viii. Hyderabad Warangal Industrial Corridor (HWIC);
   ix. Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor (HBIC);
   x. Odisha Economic Corridor (OEC) and
   xi. Delhi Nagpur Industrial Corridor (DNIC).

9. List of 32 projects proposed to be developed in 4 phases is as under:

Phase 1 **(Already Approved and under implementation)**
•**1.1:** Dholera Special Investment Region (DSIR) (22.5 sq. kms), (Gujarat, DMIC)
•**1.2:** Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA) (18.55 sq. kms), (Maharashtra, DMIC)
•**1.3:** Integrated Industrial Township – Greater Noida (IIT-GN), (747.5 acres), (Uttar Pradesh, DMIC)
•**1.4:** Integrated Industrial Township – Vikram Udyogpuri (IIT-VU), (1,100 acres), (Madhya Pradesh, DMIC)
•**1.5:** Integrated Multi-Modal Logistics Hub – Nangal Chaudhary (IMLH-NC) , (886 acres), (Haryana, DMIC)

Phase 2 **(In advance stage of planning and implementation to be initiated by 2021 & likely to be completed by 2024)**
•**2.1:** Krishnapatnam Industrial Area (2,500 acres) (Andhra Pradesh, CBIC)
•**2.2:** Tumakuru Industrial Area (1,736 acres) (Karnataka, CBIC)
•**2.3:** Multi Modal Logistics Hub & Multi Modal Transport Hub (MMLH & MMTH) (1,208 acres), (Uttar Pradesh, DMIC)
•**2.4:** Dighi Port Industrial Area (5,935 acres) (Maharashtra, DMIC)
•**2.5:** Multi Modal Logistics Park, Sanand (500 acres) (Gujarat, DMIC)
•**2.6:**Zaheerabad Phase 1 (3,909 acres) (Telangana, HNIC)
•**2.7:** Hyderabad, Phase 1 (8,000 acres) (Telangana, HWIC)
•**2.8:** Raghunathpur Industrial Park (2,483 acres) (West Bengal, AKIC)

Phase 3 (Under Development and implementation likely to be initiated by 2023 & likely to be completed by 2026)	Phase 4 (Under Conceptualization and implementation likely to be initiated by 2024 & likely to be completed by 2027)
•**3.1:** Ponneri Industrial Area (4,000 acres) (Tamil Nadu, CBIC) •**3.2:** Palakkad Industrial Area (1,878 acres) (Kerala, CBIC Extension) •**3.3:** Dharmapuri Salem (1,773 acres) (Tamil Nadu, CBIC Extension) •**3.4:** Hisar Integrated Manufacturing Cluster (IMC) (1,605 acres), (Haryana, AKIC) •**3.5:** Koparthy Industrial Area (5,760 acres) (Andhra Pradesh, VCIC) •**3.6:** Vishakhapatnam Industrial Area (3,196 acres) (Andhra Pradesh, VCIC) •**3.7:** Chitoor Industrial Area (8,967 acres) (Andhra Pradesh, VCIC) •**3.8:** Khurpia Integrated Manufacturing Cluster IMC (1,002 acres), (Uttarakhand, AKIC) •**3.9:** Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (6,570 acres), (Rajasthan, DMIC)	•**4.1:** Dharwad Node (6,042 acres) (Karnataka, BMIC) •**4.2:** Satara Node (12,355 acres) (Maharashtra, BMIC) •**4.3:** Rajpura Patiala IMC (1,100 acres) (Punjab, AKIC) •**4.4:** Agra IMC (1,059 acres) (Uttar Pradesh, AKIC) •**4.5:** IMC in Jharkhand under AKIC •**4.6:** IMC at Gaya (1,670 acres) in Bihar under AKIC •**4.7:** Odisha Economic Corridor (OEC) (11,366 acres) •Paradip-Kendrapada-Dhamra-Subarnarekha •Gopalpur-Bhubaneshwar-Kalinganagar •**4.8:** Orvakal Industrial Area (9,305 acres) (Andhra Pradesh, HBIC) •**4.9:** Khushkhera Bhiwadi Neemrana Industrial Area (1,625 acres) (Rajasthan, DMIC) •**4.10:** Delhi Nagpur Industrial Corridor (DNIC)

The status of various nodes/IMCs including the projects approved by the Trust/CCEA is as under:

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR (DMIC) PROJECT

1. **GUJARAT**

Dholera Special Investment Region (DSIR):

- Preliminary Engineering works for various trunk infrastructure components has been completed;
- Programme Managers are undertaking the implementation related activities by coordinating all the downstream activities;
- SPV by the name of "Dholera Industrial City Development Limited" has been incorporated. State Govt. has transferred 48.31 sq. kms to the SPV and matching equity of Rs. 2,784.83 Crore has also been released by NICDIT towards its 49% equity share;
- MoEF&CC has provided Environmental Clearance for Dholera Special Investment Region;

- Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) had approved the tender packages for various trunk infrastructure components for Activation Area of Dholera divided into five packages, the individual status is indicated as under:

  - EPC for Roads and Services Contract (INR 1,734 crore). L&T is the EPC Contractor; Revised project cost is Rs. 1,798.49 Crore; Physical progress upto March 2022 – 92%;
  - EPC for ABCD Building Contract (INR 72.31 crore). Cube Construction Engineering Ltd. is the EPC Contractor and work has been completed in April, 2019;
  - EPC for Water Treatment Plant (WTP) Contract (INR 90 crore). SPML is the EPC Contractor; Physical progress upto March 2021 – 30.00%; The contract was terminated and awarded to MSKEL. Physical progress upto March 2022 – 17%
  - EPC for Sewage Treatment Plant (STP) Contract (INR 54 crore). L&T is the EPC Contractor; Physical progress upto March 2022 – 83%;
  - EPC for Central Effluent Treatment Plant (CETP) contract (INR 160 crore). L&T is the EPC Contractor; Physical progress upto March 2022 – 75%;

- Master System Integrator (MSI) has been appointed, D.R. Agarwal Infracon Pvt. Ltd. in JV with Tech Mahindra Ltd. is the selected agency. Physical progress upto March 2022 – 80%;
- EPC for Canal Front Development including land fill, civil, MEP and landscaping (INR 41.42 crore). P.R. Patel & Co. is the EPC Contractor;The work has been completed in January, 2022;
- Land allotment policy has been finalized and 04 plots admeasuring 244 acres have been allotted to TATA Chemicals (126 acre as the anchor investor), Torrent power (15 acre), Hindustan Petroleum Corp. Ltd. (3 acre) and ReNew Power Ltd. (100 acre);
- Other infra/misc. works:
  - Construction of 10MLD short term water supply works from Pipli and laying of pipeline. The work has been completed in April, 2021.
  - Contractor appointed by Gujarat Energy Transmission Corporation Limited (GETCO) for erection, commissioning and charging of the transmission line from Fedra to Activation Area, DSIR. The work is likely to be completed by June, 2022.
  - Out of 1000 MW proposed Solar Park in Coastal Regulation Zone (CRZ) (tender floated by Gujarat Urja Vikas Nigam Ltd. (GUVNL)), 300 MW has been awarded to Tata Power Limited. The plant installation has been completed and commissioning is likely to be completed by May, 2022.
  - Status of tenders awarded for construction works:
    - Enhancement of Side slope Storm Water Drainage Canal of length 5.96kms in Activation Area- M/s LCC projects Pvt. Ltd. was the L1 Bidder however the LoA has not been issued to M/s LCC due to the non-availability of work front.

- Earth work in selected plots of 162 hectares in Activation Area (Phase-I). Project awarded to MonteCarlo Ltd. (Rs. 86.05 Crore); Physical progress upto March 2022 – 70%.
- Consultancy services of Employer's Engineer for supervision of miscellaneous construction works (7 construction projects)- The consultancy contract is under implementation at present.
- Consultancy services to conduct the techno-economic feasibility study for setting up of Desalination Plant in DSIR- The Consultancy contract was awarded to M/s Fitchner India Private Ltd. The physical progress of work done up to March 2022 is about 63%. The project is likely to be completed by June 2022.
- Construction of Adhiya River Bunding- The construction works for length of 3.5 Kms in Phase-I of Adhiya River bunding has been completed. The construction works of Adhiya River bunding Phase II has been awarded to M/s KECL at a project cost of Rs 21.25 Crore. KECL has commenced the work and permission for mining is awaited at present. The project is likely to be completed by June 2023.
- Construction of Interior works of SPV building in DSIR- The physical works on the project has been completed.
- Earth-filling of selected plots in Activation Area – The Earth-filling of selected plots in Activation Area Phase II was awarded to M/s KSIPL in November 2021 at a project cost of Rs. 175.60 Crore. The contractor has completed site survey works and has commenced Earth Filling works at given site.

Multi Modal Logistic Park (MMLP) at Sanand, Gujarat:

- Techno-Economic Feasibility Study (TEFS) is being finalized by the Project consultants;
- Discussions are underway with Western railways and DFCCIL to finalize the best possible rail connectivity option to the MMLP site;
- NICDIT in its meeting held on 30th August, 2019 accorded approval on the SHA to be executed between NICDIT and Govt. of Gujarat through GIDC which will be executed after receipt of land valuation from State Govt.
- Master Plan is being finalized.
- In November, 2020, Govt. of Gujarat had confirmed availability of 199 Ha for MMLP Project at Sanand
- State Govt. on 1st January & 17th February, 2021 has indicated the tentative valuation of land based on which viability of the project has been assessed.
- In March, 2021, a letter has been sent to State Govt. regarding the viability of project and requesting to confirm prioritization of the project considering the development of similar facility in the vicinity of project area.
- Techno-Economic Feasibility report shared with State Govt. in June, 2021. Response from State Govt. is awaited for moving ahead in the project.

- On the advice of State Govt. and considering the fact that project is not financially viable on account of high land cost and also the proposed development of large scale MMLP by a private partner in the vicinity of the site, the project is being dropped.

MRTS between Ahmedabad and Dholera, Gujarat:

- The DPR of the project was prepared by M/s. RITES in the year 2014-15 and it was approved by the state Govt. of Gujarat in 2016 and the project was included in JICA Rolling Plan for DMIC Project.
- NHAI is developing 110 km. long greenfield expressway between Ahmedabad and Dholera. Land with 30 Meter right of way has been acquired by NHAI adjoining to the expressway alignment throughout the length of 110 km. for the MRTS project.
- DICDL has requested NICDC for the revision in the DPR in accordance with the Metro Rail Policy 2017 published by Govt. of India.
- During the meeting held with DEA (MoF) on 04.06.2021, NICDC was requested to provide an action plan with justification for retaining the project in JICA Special Rolling Plan. Accordingly, the action plan was submitted to DEA (MoF) through DPIIT with a request to retain the project under Special Rolling Plan of JICA on which the final decision is yet to be communicated by MoF.

Greenfield International Airport at Dholera in Gujarat:

- 'In-principle' approval has been accorded by the Ministry of Civil Aviation;
- Environment clearance accorded by Ministry of Environment, Forests & Climate Change (MoEF&CC);
- Share Subscription Agreement cum Shareholders Agreement has been executed between Airport Authority of India (AAI), Government of Gujarat (GoG), NICDIT and Dholera International Airport Company Limited on 25.03.2019 with AAI, GoG and NICDIT taking 51:33:16 equity respectively into the project company;
- Equity Share of NICDIT (16%) amounting to Rs. 24.24 crore has been released.
- AAI has issued EPC tender for the construction of first phase for International Airport at Dholera, Gujarat Airport on 25th February, 2021.
- The proposal for development of Dholera Greenfield Airport phase-I with estimated project cost of Rs. 1,305 Crore to be funded by debt equity mix of 60:40 with NICDIT's share of equity (16%) amounting to Rs. 83.52 Crore have been considered and recommended by PIB in December, 2021 for approval of CCEA.

Bhimnath Dholera Rail Line Project:

- Railway board granted 'in-principle' approval in 17/01/2014 for development of Bhimnath-Dholera new BG rail line to be implemented under Non-Government Railway (NGR) Model as per Indian Railways policy for participative models 2012.

- DICDL hired the consultant for preparation of DPR for the project and the consultant submitted the DPR for approval to western railways in 2019-2020. Revisions were incorporated in the DPR after receiving comments from W.R. during the period.
- Western Railway approved the project DPR on 28/07/2021. The approved length of the BG line is 24.418 Kms.
- Land acquisition details are submitted to District Magistrate of Ahmedabad and Botad by DSIRDA and the process for acquiring land and forest area clearance is in advance stage. The land within DSIR area is being acquired by DSIRDA through Town Planning Scheme process.
- DICDL has engaged Gujarat Rail Infrastructure Development Ltd. (G-RIDE) as the PMC (project management consultant) for the implementation of the project. G-RIDE is a joint venture SPV of Govt. of Gujarat and Indian Railways.
- After the DPR approval, the consultant has submitted the tender documents to G-RIDE for review and after finalizing the tender documents, G-RIDE has invited bids for construction of 14.5 km. of rail line on EPC mode. Bids have been received and are currently at technical evaluation stage.
- The bid documents for remaining 9.918 km. are under review and bids will be invited upon finalizing the bid documents.
- DICDL has initiated the process for formation of an SPV for the implementation of the project. The SPV will be formed between DSIRDA and NICDIT.
- The project has already been approved by NICDIT in September, 2021 for an estimated cost of Rs. 411.34 Crore with NICDIT's share (50%) of equity contribution amounting to Rs. 205.67 Crore.
- Process for seeking approval of Hon'ble CIM is in progress.

Mandal Becharaji Special investment Region (MBSIR)

- NICDIT in its meeting held on 14.07.2021 approved the inclusion of Mandal Becharaji Special investment Region (MBSIR) as second node in Gujarat under DMIC.
- Project development activities will be initiated after confirmation of land details by the State Govt.

2. MAHARASHTRA

Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA):

- Preliminary Engineering works for Phase-1 of SBIA (8.39 sq. kms) has been completed;
- Programme Managers are undertaking the implementation related activities by coordinating all the downstream activities;
- Node/City level SPV by the name "Aurangabad Industrial Township Limited" (AITL) has been incorporated. State Govt. has transferred 8.39 sq kms to the SPV and the matching equity has also been released by the National Industrial Corridor

Development and Implementation Trust (NICDIT) (formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust)) amounting to Rs. 602.80 crore;

- Environment Clearance for Shendra-Bidkin Industrial Area has been granted by MoEF&CC;
- Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) had approved the tender packages for various trunk infrastructure components for Shendra Industrial Area for Rs. 1533.44 crore. Further the individual status of various packages is indicated as under:

  - EPC for Roads, Drains, Culverts, Water Supply, Sewerage and Power systems (INR 656.89 crore). Shapoorji Pallonji is the EPC contractor. Additional works have been awarded for an amount of Rs. 213.55 Crore in March 2019. Physical progress upto March, 2022 – 99%;
  - EPC for construction of Road over Bridges (INR 69.45 crore). Patil Construction and Infrastructure Ltd is the EPC contractor. PMNC gave their recommendation to AITL for issuing of Provisional Completion (PC) certificate for ROB 1 on 12th February 2021. AITL to give approval to PMNC for issuing PC to the contractor. All works in ROB II are complete except for the railway span portion. Physical progress upto March, 2022 – 97%;
  - EPC for District Administration Building (INR 129 crore). Shapoorji Pallonji is the EPC contractor. The works has been completed and the building is in use;
  - EPC for Sewerage Treatment Plant (STP), Common Effluent Treatment Plant (CETP) & Solid Waste Management (INR 72.52 crore). Passavant Energy Ltd. is the EPC contractor. One CETP has been commissioned and it is under operation since 15th April 2020. Works have been completed substantially and other minor works are under progress. The contractor requires the supply of domestic effluent for the commissioning of STP. The test on completion have been done successfully and the individual equipment's, but the system as whole cannot be tested as MBR is not installed. Physical progress of work up to March 2022 is 94%;
  - ICT Master System Integrator (MSI) works (INR 142 crs). Honeywell is the selected agency. The command-and-control centre works including the testing and commissioning have been completed. EMS & NMS final testing is in progress. Auric Control Centre (ACC) handover documentation completed. Physical progress of work up to March 2022 is 93%.;

- Land allotment policy finalized and 152 plots (including 38 commercial and residential plots) admeasuring 339 acre have been allotted with Hyosung Corporation of South Korea is the First Anchor Investor (~ 100 acre) in Shendra Industrial Area. Other plots have been allotted majorly to Small and Medium Enterprises. 12 companies have started their commercial operations in Shendra Industrial Area;
- Project developmental activities for Bidkin are being taken forward and trunk infrastructure packages worth INR 6414.21 crore have been approved by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) [formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust)] and subsequently by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA);

- State Govt. has transferred 28.75 sq kms to the project SPV for Bidkin Industrial Area and matching equity has been released amounting to INR 2397.20 crore;
- Further the individual status of various packages is indicated as under:
  - L&T has been appointed as the EPC Contractor (INR 1223 crore) for Bidkin Phase-1 i.e. 10 sq. kms for roads and underground utilities/services including STP and CETP. PMNC has issued Provisional Completion Certificate to L&T dated 18th August 2021. Physical progress upto March, 2022 – 100%;
  - ICT Master System Integrator (MSI) works (INR 81.90 crs). KEC International Limited is the selected agency. Physical progress upto March, 2022 – 97%.
  - Pipeline from Khodegaon WTP to Bidkin UGSR (INR 38 Crore). L&T is the selected agency. PMNC has issued Provisional Completion Certificate to L&T dated 18th August 2021. Physical progress upto March, 2022 – 100%.

Dighi Port Industrial Area:

- EGIS India has been appointed as consultant for preparation of Detailed Master Planning and Preliminary Engineering. The consultant has submitted the Final Master Plan for 3,500 Ha to the SPV for review and approval.
- In Nov- 2020, State Govt. confirmed the availability of 2,402 Ha of land to be made available for development under Industrial Corridor Programme.
- Detailed Master planning and preliminary engineering works for the land parcels is under progress.
- In March 2022, State Govt. informed about 1,098 Ha parcel to be taken up for development in Phase-I.

3. MADHYA PRADESH

Integrated Industrial Township 'Vikram Udyogpuri' Project, Ujjain:

- Share Purchase cum Shareholder's Agreement has been executed between NICDIT and MP Trade and Investment Facilitation Corporation Ltd. (MPTRIFAC) & MP Audyogik Kendra Vikas Nigam (MPAKVN). SPV with the name of "DMIC Vikram Udyogpuri Limited" has been incorporated;
- Land admeasuring 1,100 acres has been transferred to the project SPV and the matching equity amounting to Rs. 55.93 crore has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT);
- Debt amounting to Rs. 260.54 crore has also been released from NICDIT to the SPV.
- Environmental clearance for the project has already been obtained.
- The agreement on "Supply of water from Water supply pipeline from Ujjayini to Ujjain to Industrial area Vikram Udyogpuri Ltd. in Ujjain" has been signed between with Narmada Valley Developm ent Authority (NVDA) and Vikram Udyogpuri Ltd. to meet the water requirement of the project.
- AECOM, the Program Management Consultants is supervising the construction related activities;

- The work for development of trunk infrastructure awarded to EPC Contractor has been completed in July, 2021 and the operation and maintenance works of the industrial area are in progress.
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 749.10 crore. Major trunk infrastructure works have been completed in Dec, 2020
- Land allotment policy has been finalized and 11 plots admeasuring 110 acre have been allotted (including 12 acres allotted to AMUL).;
- Governments of India accorded the Final approval vide their letter no. 31026/173/2021-MD dated 10.02.2022 for the development of Medical Devices Park at industrial area VUL, Ujjain and this will be setup in an area of around 360 Acres.
- State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Madhya Pradesh has approved ToR proposal for establishment of CETP (1 MLD) in 708th meeting of SEIAA held on 24th February, 2022.

4. HARYANA

Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) at Nangal Chaudhary:

- Land admeasuring approx. 886 acres has been identified in District Mahendergarh for the project;
- The project SPV by the name of "NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited" has been incorporated between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and State Govt. of Haryana;
- The master planning for the project has been completed and approved by the State Govt.;
- CCEA has approved the project with financial sanction of Rs. 1029.49 crores for development of Phase I and "In-Principle" approval for development of Phase II of the project;
- State Govt. has transferred 686 acres out of the total land and equity amounting to Rs. 208.05 crore (including initial equity of Rs. 5 Crore) has been released by NICDIT;
- Out of balance land, approx. 158 acres is under litigation and matter is pending with Hon'ble High Court of Punjab and Haryana. State Govt. has been requested to get this resolved at the earliest. The next date of hearing is 27th September, 2022.
- State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Haryana had granted Environmental Clearance of the project vide letter dated 11th September, 2019.
- Ministry of Railways (MoR) had accorded its approval for acquisition of additional land under Railways Act for 25 acres. For facilitating acquisition of this land, an MoU has been executed on 22nd December, 2020 between MoR, DPIIT, Government of Haryana through HSIIDC, NICDC Haryana Multi-Modal Logistics Hub Project Limited (project SPV) and NICDC.
- Indian Port Rail Corporation Limited (IPRCL) has been appointed for carrying out the consultancy work for preparation of Detailed Project Report (DPR) and also the PMC

for the railway connectivity works of the project. Activities pertaining to finalization of DPR for rail siding underway.

- EPC tender documents for Construction of Rail Connectivity from New Dabla DFCCIL Station to the Integrated Modal Logistic Hub (IMLH), Nangal Choudhary including yard modification in existing New Dabla Station is under preparation and likely to be floated soon.
- For external connectivity works related to water, power & road, State Govt. agencies have initiated works on deposit basis.
- Approval accorded by DFCCIL in September, 2021 on DPR for rail connectivity;
- MoU with DFCCIL has been executed for works related to external rail connectivity upto project site on deposit basis.
- 20E Notification for 23.688 acres of land to be acquired under Railways Act published on 28.10.2021 for providing external rail connectivity from New Dabla Station undertaken by DFCCIL along with State Govt.
- Tender preparation works for internal rail siding is underway.

5. UTTAR PRADESH

Integrated Industrial Township Project at Greater Noida:

- Preliminary engineering activities have been completed and SPV by the name of "DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited" has been incorporated between NICDIT and Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA);
- Land admeasuring 747.5 acres has been transferred to the Project SPV and the matching equity amounting to Rs. 617.20 crore has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT);
- Environmental Clearance has been accorded by MoEF&CC;
- ICT consultant has been appointed and tender documents for selection of Master Syatem Integrator (MSI) has been issued;
- Shapoorji Pallonji has been appointed as the EPC Contractor for INR 426 crore for undertaking the implementation of various trunk infrastructure components. Major works have been completed till March 2021 and finishing works are underway;
- SIEMENS has been appointed as EPC Contractor for INR 121 Crore in Jan-2018 for power distribution works within the site.;
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 1,097.5 crore. Major trunk infrastructure works have been completed in Dec, 2020.
- Land admeasuring 158 acres has been allotted to 06 industries and HAIER being the anchor investor with land of 123 acres has also started the commercial activities. Construction activities started by another 2 companies.

Multi Modal Logistics Hub (MMLH) at Dadri and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Boraki in Greater Noida:

- Project has been approved by CCEA on 30th December, 2020.
- The SPV for Integrated Industrial Township Project will be implementing the MMLH and MMTH project as well;
- DFCCIL has given 'in principle' approval for providing connectivity to the project site;
- Memorandum of Understanding has been executed between Ministry of Railways and SPV for development of MMTH at Boraki;
- Out of total land area required for MMLH and MMTH of 479 Ha, land admeasuring 369 Ha is already under possession and approx. 84 Ha land parcels are being acquired by the State Government/GNIDA under LARR Act for which Section 11 notification has been done.
- In case of MMLH Project, out of total land required for connectivity with WDFC station, approx. 7.58 Ha land is proposed for acquisition under Railways Act by DFCCIL for which section 20(A) notification under Railways Act has been issued in Oct 2021.
- For MMTH Project, approx. 16 Ha land is required for providing Railway connectivity with Indian Railways and development of Railway yard is proposed to be acquisition under Railways Act by North Central Railways (NCR).
- Indian Port Rail Corporation Limited (IPRCL) has been appointed for Preparation of Detailed Project Report and Construction Supervision of Rail Flyover from Dadri Junction Station of DFCCIL to the proposed MMLH.
- Approval received from DFCCIL for taking up the implementation activities of external rail connectivity on Deposit basis in Oct 2021.
- ToR for Environment Clearance for MMLH/MMTH projects has been received on 19th March, 2021.
- ToR of the project had been granted vide SEIAA , UP letter dated 19th March, 2021.
- 227.48 Ha land transferred to Project SPV and matching equity amounting to Rs. 853.05 crore has been released by NICDIT
- Draft DPR for external Rail Siding connectivity for MMLH has been prepared and has been shared with DFCCIL in March 2022 for concurrence and approval.
- Final MMTH Project report along with updated ESP submitted to North Central Railway (NCR) for comments/approval.
- For coordinating the works of various agencies, the tender document for selection of "General Consultant" for the MMTH project is being floated shortly.

6. RAJASTHAN

Khushkhera Bhiwadi Neemrana Investment Region, Rajasthan:

- In October 2020, State Govt. informed that Development Plan of KBNIR has been notified as Special Investment Region (SIR).
- RIICO (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation) has been appointed as Regional Development Authority

- Consultant for detailed master planning and preliminary engineering for an area of 558 Ha has been appointed in April, 2021.

Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (JPMIA):

- In October 2020, State Govt. informed that Development Plan of JPMIA has been notified as Special Investment Region (SIR).
- RIICO (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation) has been appointed as Regional Development Authority.
- Consultant appointed for detailed master planning and preliminary engineering in March 2021 for an area of 2659 Ha for development in two phases and further as per the State request the phasing of project is being done for taking up implementation to kick start the investments;
- 720 Ha out of 1459 Ha (Phase I) area is in possession of State Govt.
- SHA/SSA for KBNIR & JPMIA approved by NICDIT on 14th July 2021 and executed on 29th September, 2021. State Govt. has informed that balance land acquisition to be completed by March 2022.
- SPV by the name of 'Rajasthan Industrial Corridors Development Corporation Limited' has been incorporated in March, 2022 to implement KBNIR and JPMIA projects.

SMART COMMUNITY PROJECTS:

A) Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan:

- NICDC Neemrana Solar Power Limited (NNSPL) (formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited- DNSPCL) is a Special Purpose Company incorporated under the Companies Act, 2013 in March-2014 as a wholly owned subsidiary of NICDC.

- The principal business of the company is to generate, develop and accumulate solar power and to transmit, distribute and supply such power and to carry on the business to promote, develop, undertake, engineer, construct, complete, establish, operate, maintain, augment, modernise and upgrade the Model Solar Plants, one of 5 MW capacity and other of 1MW capacity at Neemrana, Rajasthan.

- In accordance with the approval of CCEA, amount of Rs. 13 Crore was transferred to NICDC Neemrana Solar Power Limited (NNSPL) towards Equity Contribution of NICDC Limited on behalf of Trust (NICDIT)

- The Power Purchase Agreement (PPA) for the 05 MW Solar Power Project had been executed with NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (NVVNL) on 05th June, 2015.

- The 5 MW Solar Plant has been connected to the State Grid on 23rd July, 2015 and subsequently got commissioned on 3rd September, 2015. The power is being supplied to the State Grid (i.e. 220KV GSS Neemrana) at the agreed tariff as per Power Purchase Agreement (PPA).

- The 1 MW model solar power project is conceived as the first Smart Micro-Grid Project in India, demonstrating the integration of solar power with industrial diesel generator sets.

- The MoU between NEDO, Japan, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and Ministry of New & Renewable Energy was extended up to August 2019.

- Micro-grid Solar Power Supply project was commissioned on 10thJuly 2017 of a capacity of 1MW during the demonstration period for two years. The Off-grid Hybrid power was supplied to Mikuni India Private Limited and after successful completion of the demonstration period the PPA has been mutually foreclosed on 20.02.2020

- Another Power Purchase Agreement (PPA) between NICDC Neemrana Solar Power limited (formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited) and Toyada Gosei Minda India Pvt. Ltd. (TGMIPL) has been executed on 12th Feb 2020 for third party sale of 1MW solar power supply as per Rajasthan Solar Energy Policy, 2019.

- The 1 MW Solar Power Plant has been connected to grid on 8th April 2021 and subsequently got synchronized & commissioned on 19th April, 2021.The solar power is being injected to State Grid (i.e., 33/11 kV JVVNL 2nd GSS Neemrana) and third-party sale of solar power through open access has commenced to TGMIPL from 1st June 2021 at the agreed tariff of Rs. 4.60 per unit including 50% share of Open access charges.

B) <u>Logistic Data Bank Project:</u>

- NICDC Logistics Data Services Limited (formerly DMICDC Logistics Data Services Limited) provides online container tracking in India by integrating multiple information nodes across various agencies and provides a common visibility platform for all by leveraging RFID technology at its backend.

- The project has been launched and services have started at all the terminals of JNPT Port with effect from 1st July 2016.

- Service is operational at PAN India level at all major and some minor ports and more than 46 million containers have been tagged/de-tagged till date.

- Services has also been extended for movement across international Borders to Nepal and Bangladesh and 9 special economic zones (SEZs) for better first and last mile visibility.

- LDB is generating analytics reports every month for all EXIM stakeholders providing insights on performance benchmarks and bottlenecks.

- In line with vision of PM GatiShakti, NICDC has developed Unified Logistics Interface Platform (ULIP) by integrating the existing platforms of various Ministries and enabling the private players and Govt agencies to develop customer-facing applications using ULIP data.

- Also, ULIP project got special mention during the Union budget presentation by Hon'ble Finance Minister on 1st February 2022.

- Hon'ble Prime Minister inaugurated the Post-Budget Webinar on PM GatiShakti held on 28th February 2022 aimed to creating Synergy for Accelerated Economic Growth. Further, a breakout session on "ULIP- Revolutionizing Indian Logistics" was moderated by CEO, NITI Aayog. The inputs of private sector players were obtained. Action points and way forward for ULIP was deliberated.

OTHER PROJECTS:

India International Convention and Expo Centre (IICC) at Dwarka, Delhi:

a) Project aims to build a world class Exhibition & Convention Centre and Mixed-use development, one of the largest facilities first of its kind in India through India International Convention & Exhibition Centre (IICC) Ltd. The company has been incorporated as a Special Purpose Vehicle (SPV) for the implementation and development of the project with 100% equity from Government through Department for Promotion of Industry and Internal Trade. The project is located in National Capital Region, Sector-25, Dwarka, New Delhi and is being built over an area of 90Ha with approx. one million sqm of construction development. This is an iconic project of Government of India and is aimed to develop the Indian MICE market for growth of industrial development in the country. The project has innovative design concepts and novel green building features and is envisaged as internationally recognized architectural icon. NICDC is acting as the knowledge partner for this project.

b) Project is being undertaken in a Phased manner with Phase-1 comprising trunk Infrastructure, two Exhibition Halls & Convention Centre is expected to be completed

by Year 2022 and Phase – 2 with construction of Three more Exhibition Halls, Arena and Commercial Development of complimentary infrastructure like Hotels, Retail and Office spaces will be taken up after completion of Phase-1 and is expected to be completed by year 2025. The facilities provided at IICC Dwarka will be at par with the best in the world in terms of size and quality, offering setting for international and national events, meetings, conferences, exhibitions and trade shows. In addition to giving boost to business and industry it is also expected to generate over 5 lakh direct and indirect employment opportunities.

c) Following stakeholders have mobilized and presently working on the project:

i. Programme Management Consultant: AECOM Asia Pvt. Ltd. in consortium with AECOM India Pvt. Ltd.
ii. Preliminary Engineering & Architectural Consultants: IDOM & CPKA
iii. EPC Contractor: L&T
iv. Transaction Advisor: BCG Consulting
v. Operator: A consortium of Korea International Exhibition Centre and eSang Networks Company Limited (KINEXIN)
vi. Financial Advisor for raising loans: IDBI Capital Markets & Securities Limited
vii. Third Party Quality Assurance and Audit (TPQA): National Council for Cement and Building Materials (NCCBM)
viii. Supply, Installation, Testing and Commissioning (SITC) of Kitchen Equipment in Exhibition Hall 1 & Convention Centre at IICC Dwarka, New Delhi, on Turnkey Basis (Joint venture of Klas Products Pvt. Ltd. and International Equipment Co.)

d) Implementation activities at site are in full swing. Excavation, PCC & RCC works have been completed by the EPC Contractor. Civil works of ESS-1 & ESS-2 (Electric Sub Station) are completed and handed over to BRPL (BSES Rajdhani Power Ltd) for installation of electrical equipment's. Civil works at DG building completed substantially. 18 nos. DG are installed in DG Building. Further, Roof and cantilever trusses erection is completed at Convention Centre. All the 146 no's Trusses have been erected including 85 Nos. trusses in Convention-Centre, 32 in Exhibition-Hall-1 & Foyer-1 and 29 in Exhibition-Hall-2 & Foyer-2. Truss erection is 100% complete (By Weight), however miscellaneous activities such as Doghouse, staircases, purlins works are in progress. Presently, roof sheeting, Liner & Kalzip component (top hat bracket) installation works for Exhibition Halls are in progress. The MEP works of all buildings and within the underground service gallery are being constructed progressively and in parallel. Travellator and escalator installation works in Foyer 1 & 2 are in also progress. The overall cumulative physical progress of EPC works at site as on March 2022 is 71%.

e) MoU Agreement for knowledge partnership between IICC and NICDC for development of India International Convention and Expo Centre was signed on 26th October 2018.

f) MoU Agreement between BRPL (BSES Rajdhani Power Ltd.) and IICC for Bulk power supply to IICC Dwarka Project has been executed. After installation of GIS Equipment (BSES & EPCC) and HT & LT Panels in ESS 1 & 2, BRPL energized both stations including inter-connector and in- feed cable on no load condition.

g) A MoU has been signed with Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) for Extension of Airport Express line to IICC Project. Currently, tunnelling works under Exhibition Hall – 3 was completed by DMRC and handed over to L&T for further construction works. Further, structure of Station Box for IICC Dwarka Metro Station has been completed and execution of system works is under progress by DMRC.

h) Work on Development of Dwarka Expressway and UER - II (which includes road connectivity to IICC complex) awarded by NHAI has commenced and construction work is in progress.

i) Contract for Supply, Installation, Testing & Commissioning for Kitchen equipment's in Exhibition Hall 1 & Convention Centre, on Turnkey Basis has been awarded to Joint venture of KLAS Products International Equipment Co.

j) Water supply tapping point and sewer line connectivity point demarcated on the IICC Layout Drawing has been approved and signed by DJB.

k) IICC website is hosted in the NIC server and the site iiccl.dpiit.gov.in has been made live in the public domain.

OTHER INDUSTRIAL CORRIDORS:

A. CHENNAI BENGALURU INDUSTRIAL CORRIDOR (CBIC) PROJECT:

- Perspective Plan for the overall corridor has been completed and three nodes have been identified for development:
  i. Krishnapatnam, Andhra Pradesh;
  ii. Tumakuru, Karnataka; and
  iii. Ponneri, Tamil Nadu.

i. Krishnapatnam, Andhra Pradesh:

- Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) has been executed and SPV by the name of 'NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited' has been incorporated.
- Out of 12,763 acres, detailed master planning and preliminary engineering activities for an area of 2,500 acres as Activation Area have been completed;
- Project was approved by CCEA on 30th December, 2020 for Activation Area.
- PMC has been appointed by the Project SPV in Jan 2021.
- State Govt. has transferred 2,091.80 acres land to SPV and matching equity amounting to Rs. 522.10 Crore has also been released;

- The proposal for Environment Clearance of Krishnapatnam North Industrial Area is under progress.
- EPC tenders for trunk infrastructure issued on 23rd September 2021. 2 (two) bids were received. The bid process has been annulled by the Board of SPV as none of the bidders was technically qualified. The project is being retendered for the selection of EPC contractor.

ii. Tumakuru, Karnataka:

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) has been executed and project SPV by the name of 'CBIC Tumakuru Industrial Township Limited' has been incorporated.
- Out of 8,484 acres, detailed master planning and preliminary engineering activities for an area of 1,736 acres as Activation Area has been completed
- Project was approved by GoI on 30th December, 2020 for Activation Area;
- State Govt. has transferred 1668.30 acres land to SPV and matching equity amounting to Rs. 586.74 crore has been released;
- PMC has been appointed by the Project SPV in Jan 2021.
- MoEF&CC had granted Environmental Clearance of the project vide letter dated 31st August, 2021.
- In Feb 2021, EPC tender was floated for appointment of contractor for implementation of trunk infrastructure. But, the process was annulled by Board of the SPV due to single resultant bid. Therefore, EPC tender for the trunk infrastructure works was issued on 27th September 2021 (Re-tender). 2 bids have been received and the evaluation is under progress.

iii.Ponneri, Tamil Nadu:

- Shareholders' Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) has been executed on 21st Feb 2020 between NICDIT and the State Govt. and the project SPV by the name of 'CBIC Ponneri Industrial Township Limited' has been incorporated.
- Consultant appointed in Oct 2020 for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering for an area of 4,000 acres;
- In May, 2021, state Govt. has informed that approx. 3,375 acres is available and has been notified for Ponneri industrial area;
- During the review meeting held on 7th January, 2022 under chairmanship of CEO&MD, NICDC and CMD- TIDCO, it was informed by TIDCO that two alternate land parcels have been identified;
- State Govt. to confirm the land parcels for development activities based on the land suitability assessment.

B. Extension of CBIC to Kochi Via Coimbatore:

a) NICDIT in its meeting held on 30th August, 2019 has accorded its approval for entension of CBIC Project to Kochi via Coimbatore. Following nodes have been identified for development:

b) Palakkad, Kerala (1,878 acres) & Kochi Global City (500 acres):
   - Land area of 1,878 acres has been identified and notified by State Govt. and acquisition process underway
   - SHA/SSA executed on 22nd October, 2020
   - Consultant has been appointed for detailed master planning and preliminary engineering in September, 2020;
   - Govt. of Kerala vide letter dated 11th August 2021 has informed about the replacement of site at Ozhalapathy (250 acres) with land parcel in Pudussery West (325 acres) thus totaling the land area available for Palakkad node as 1835 acres.
   - Forest Department, Government of Kerala has issued Forest NOC for Kannambra (350 acres) & Global City land parcels for Palakkad node under extension of CBIC on 18th October, 2021, & 30th July, 2021 respectively.
   - Western Ghats (Ecological Sensitive Area) NOC has been obtained from State Govt vide letter dated 15th January, 2022.

c) Dharmapuri Salem, Tamil Nadu (1,733 acres):
   - Consultant appointed for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering in Oct 2020.
   - Land area of 1,773 acres has been identified by State Govt.;
   - Consultant has been appointed for detailed master planning and preliminary engineering in September, 2020;
   - Based on the assessments presented by the consultant, the project is found to be unviable as per the Industrial Corridor Programme. The detailed report on same is being submitted to State Govt.

C. AMRITSAR KOLKATA INDUSTRIAL CORRIDOR (AKIC) PROJECT:

- Perspective Plan for the overall corridor has been completed.
- One (01) IMC site has been finalized in each State for further development namely:
  1) Punjab: Rajpura-Patiala (1,100 acre)
  2) Haryana: Hisar (1,605 acre)
  3) Uttarakhand: Khurpia Farms (1,002 acre)
  4) Uttar Pradesh: Agra (1,059 acres) and Prayagraj (1,141 acre)
  5) Bihar: Gaya (1,670 acre)
  6) Jharkhand
  7) West Bengal: Raghunathpur (2,483 acre)

- Further, based on the request received from Govt. of Himachal Pradesh, NICDIT has approved development of IMC at Baddi Barotiwala Nalagarh (BBN) area (3500 acres) in the state of Himachal Pradesh under AKIC

i. Raghunathpur, West Bengal

- Detailed Master Planning has been completed and activities related to Environmental Clearance for the project is underway;
- WBIDC has proposed for inclusion of additional land parcels of 800 acres located at a distance of 7 kms from the IMC site. WBIDC has informed that 600 acres has been reserved for allotment to Steel industry, the impact of the proposed allotment and integration of new land parcel in the project area being assessed and the approval of Master Plan & PDR from State Govt. is awaited;
- State Govt. has been requested to communicate the approval of SHA/SSA for incorporation of Project SPV.

ii. Prag-Khurpia Farms, Uttarakhand

- State Govt. in Aug, 2020 confirmed the availability of 1002 acres land for the project;
- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed in Jan, 2021 and works are under progress;
- SHA/SSA for Khurpia project approved by NICDIT on 14th July 2021;
- The project would be taken up for implementation in the FY 22-23 after obtaining approval from NICDIT/CCEA.

iii. Hisar, Haryana

- State Govt. in Dec, 2020 confirmed the availability of 1605 acres land for the project in the overall Master Plan of Integrated Aviation Hub approved by Govt. of Haryana;
- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed in Feb, 2021 and works are under progress;
- State Govt. has been requested to provide approval on SHA/SSA and delineating the land boundary for IMC and taking necessary amendment of existing.
- Environment Clearance of Integrated Aviation Hub. The State Govt. has communicated that ~900 acres will be available for transfer for IMC by Dec, 2022.

iv. Rajpura-Patiala, Punjab

- State Govt. in Feb, 2021 confirmed the availability of 1100 acres land for the project. Land is in possession of Punjab Urban Development Authority (PUDA). Discussions are underway with State Govt. for finalization of SHA/SSA for the Project;

- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed in Feb, 2021 and works are under progress;
- ToR application for Rajpura IMC, under AKIC granted by SEIAA, Punjab on 6th January, 2022;
- The State Govt. has communicated the approval on Final Master Plan vide letter dated 10th February, 2022;
- The project would be taken up for implementation in the FY 22-23 after obtaining approval from NICDIT/CCEA.

v. Agra and Prayagraj, Uttar Pradesh

- State Govt. in Jan, 2021 confirmed the availability of 1059 acres land for the project;
- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed in July, 2021 and works related to site surveys & preparation of Base Map is under progress;
- Out of 1059 acres proposed for the IMC, about 250 acres of land lies in flood plain and occupied by settlements & high-tension lines. The gross area available for development is about 750 acres for the project has been finalized in February, 2022. Further, the proposed site falls in Taj Trapezium Zone (TTZ). State Govt. support has been requested on getting requisite approvals from TTZ authority, Environment Clearance and resolving the transport connectivity issues to the site;
- NICDIT has approved the inclusion of brownfield site at Prayagraj (1,141 acres) to be developed as 2nd node under AKIC. For Prayagraj site, tender has been re-issued for selection of consultant to prepare the detailed preliminary design report & marketing strategy;
- Discussions are under progress with State Govt. for finalization of SHA/SSA.

vi. Gaya, Bihar

- State Govt. in March, 2021 confirmed the availability of 1670 acres land for the project;
- Consultant appointed for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities in August, 2021. Works related market demand assessment; Base Map is under progress;
- Out of 1670 acres, 1297.75 acres is Govt. land and balance 372.47 acres is private land. State Govt. has informed that the balance land acquisition would be completed by May, 2022.

vii. IMC at Jharkhand

- State Govt. in Jan 2021 has informed that the earlier site at New Bahri is not available therefore an alternate site is being identified. Confirmation on the land details of alternate site is awaited.

- State Govt. has requested Steel Ministry to make available land for IMC in Bokaro steel plant. A six-member committee has been constituted for assessing the feasibility and transfer of identified land admeasuring 1000 acres at Bokaro steel plant for development of IMC.
- Joint site visit of Bokaro Steel Plant was held on 7th December, 2021. Further, during the meeting held under the Co-Chairmanship of Secretary (Steel) and Chief Secretary, Government of Jharkhand on 10-01-2022, it was decided that State Govt. to confirm the availability of land in consultation with SAIL.

D. BENGALURU MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR (BMIC) PROJECT:

- The Perspective Plan has been completed and approved;
- Govt. of Karnataka in Jan, 2021 confirmed the 6,042 acres of land available for development of industrial node at Dharwad. Project development activities have been initiated for the said node. Consultant appointed for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering in July, 2021 and works are under progress;
- Govt. of Maharashtra in March, 2021 informed about 5,001.31 Ha land at Satara for development of industrial node under BMIC and requested for appointment of Consultant for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering. Accordingly, the Consultants were appointed in September, 2021. State Govt. is yet to notify the land parcel and finalize the project boundary. Govt. of Maharashtra in Jan,2022 has proposed an alternate site of 2207 Ha in Satara which is being examined for its suitability for development as Industrial Node.

E. VIZAG CHENNAI INDUSTRIAL CORRIDOR (VCIC) as Phase-I of EAST COAST INDUSTRIAL CORRIDOR (ECIC)

- VCIC was included as part of mandate of NICDIT in December, 2016.
- Govt. of Andhra Pradesh has prioritized development of Visakhapatnam (Nakapalli Cluster) and Chittoor (South Cluster) nodes and requested Govt. of India for inclusion of Vizag Chennai Industrial Corridor under NICDIT mandate and developing Vizag and Chittoor.
- Based on the request received from State Govt., NICDIT in its meeting held on 30th August, 2019 accorded its approval for development of Vizag and Chittoor as priority nodes in phase-A of VCIC.
- Govt. of Andhra Pradesh as part of NICDIT meeting requested for inclusion of Kopparthy node at Kadappa as an additional node in the State of Andhra Pradesh.
- State Govt. was requested for prioritization of a node for taking up project development activities based on the availability of contiguous land parcels, land already in possession of State Govt. and which can be transferred to the proposed SPV.
- State Govt. has thereafter informed regarding availability of land in Kadappa, Chittoor for development of industrial node and accordingly, master planners have been appointed for detailed master planning and preliminary engineering for both Kadappa and Chittoor.

a) Vishakhapatnam (Nakapalli cluster), Andhra Pradesh (3,196 acres)
   - State Govt. is undertaking the project development activities as per the PDR prepared and submitted by the State Govt. for Phase-II of Nakapalli Cluster (3,196 acre).
   - Thereafter, the project would be placed for consideration and approval of NICDIT.

b) Chittoor, Andhra Pradesh (8,967 acres)
   - 374 acres of land is in possession of the State Govt. and balance area is proposed to be acquired in phases.
   - Consultants have been appointed for preparation of detailed master planning & preliminary engineering on Nov 2020 for 8,967 acres and works are under progress

c) Kopparthy, Andhra Pradesh (5,760 acres)
   - The South Block admeasuring 2,595 acre is proposed for development under NICDIT framework out of which 2,396 acre is in possession of the State Govt. and balance land is being acquired expeditiously.
   - Consultant has been appointed for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering in Nov 2020 and works are under progress.
   - The project would be taken up for implementation in the FY 22-23 after obtaining approval from NICDIT/CCEA.

F. HYDERABAD WARANGAL INDUSTRIAL CORRIDOR (HWIC)

- Based on the proposal received from Govt. of Telangana for development of Hyderabad Warangal and Hyderabad Nagpur Industrial Corridor, NICDIT in its meeting held on 23rd August, 2017 after detailed deliberations directed that "Government of Telangana should carry out a feasibility study and identify suitable land for the project."
- Accordingly, Govt. of Telangana has carried out a detailed study and Hyderabad Pharma City has been identified as part of Hyderabad Warangal Industrial Corridor.
- NICDIT approved in Aug, 2020 the proposal of inclusion of Hyderabad Warangal Industrial Corridor in the state of Telangana
- State Govt. has prepared master-planning and cost estimates for Hyderabad Pharma City under Hyderabad-Warangal Industrial Corridor in the State of Telangana;
- For Pharma City project, State Govt. to confirm regarding their participation with GoI for development of the project.

G. HYDERABAD NAGPUR INDUSTRIAL CORRIDOR (HNIC)

In Aug- 2020, NICDIT approved the proposal of inclusion of Hyderabad Nagpur Industrial Corridor in the state of Telangana with priority node at Zaheerabad;

Zaheerabad, Telangana (12,635 acres):

a) Phase – I area of 3909 acres
b) Govt. of Telangana has carried out master planning study and Zaheerabad has been identified as part of Hyderabad Nagpur Industrial Corridor
c) Activities related to seeking Environmental Clearance for the project in progress
d) DPR has been prepared by the State Govt.
e) NICDIT in its meeting held on 21.09.2021 approved the proposal for development of Zaheerabad Industrial Area under Hyderabad-Nagpur Industrial Corridor in Telangana.
f) Process for seeking investment approval from CCEA is in progress. Thereafter, the project would be taken up for implementation in the FY 22-23.

H. HYDERABAD BENGALURU INDUSTRIAL CORRIDOR (HBIC)

- A request was received by Govt. of India from Govt. of Andhra Pradesh for development of Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor wherein following nodes were proposed for development:
  - Hindupur (Anantapur District),
  - Orvakal (Kurnool District) and
  - Kopparthi (Dr YSR Kadappa District)
- A meeting was accordingly held on 19th March, 2020 under the chairmanship of Secretary, DPIIT wherein the status of Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor was reviewed.
- After detailed deliberations, it was decided that State Govt.(s) of Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka will discuss initially among themselves and communicate their view points to NICDC regarding implementation of Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor.
- Support for HBIC and land details from State Govt. of Telangana and Andhra Pradesh were received and the proposal for inclusion of HBIC and priority node at Orvakal in the state of Andhra Pradesh under the overall mandate of NICDIT was considered and approved by NICDIT in its meeting held on 19th August, 2020.
- Consultant for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering for Orvakal node, 9,800 acres (Andhra Pradesh) has been appointed in January, 2021.
- Out of 9,800 acres, Environmental Clearance for an area admeasuring 4194.32 acre (1697.38 ha) at Guttapadu Village has been accorded by MoEF&CC vide letter dated 11th November, 2020. For balance area EIA / EC activities is underway.

- NICDIT in its meeting held on 14.07.2021 approved the inclusion of Kadechuru, Yadgir District as one of the industrial node with an area of 3,300 acre in the State of Karnataka under HBIC subject to the issuance of notification for land acquisition by the State Govt.
- In March 2022, State Govt. has informed about the availability of 4,247 acre land for development under Industrial Corridor Programme.

I. ODISHA ECONOMIC CORRIDOR (OEC)

- For Odisha Economic Corridor, Concept Development Plan (CDP) has been finalized by ADB.
- Two nodes prioritized by State Govt. i.e., Gopalpur, Bhubaneswar Kalinganagar (GBK node) and Paradip –Kendrapada – Dhamra – Subarnarekha (PKDS node) comprising of total area of 11,366 acres.
- Proposal for Inclusion of Odisha Economic Corridor (OEC) as a part of overall mandate of NICDIT has been approved by NICDIT in its meeting held on 19th August, 2020.
- Consultant for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering of the two nodes under OEC has been appointed in March, 2021.
- State Govt. yet to confirm the land parcels for undertaking project development activities.

J. DELHI NAGPUR INDUSTRIAL CORRIDOR (DNIC)

- Delhi Nagpur Industrial Corridor has been conceptualized along the North-South Corridor of DFC. The proposed Industrial Corridor will leverage on the existing NH network and the future North-South DFC;
- Consultant appointed for preparation of Perspective Plan for overall DNIC region in February, 2022.

PM GATI SHAKTI – NATIONAL MASTER PLAN (NMP)

- Government has approved PM GatiShakti National Master Plan for providing multimodal connectivity to economic zones. Hon'ble Prime Minister had launched PM GatiShakti National Master Plan on 13th October 2021.

- PM GatiShakti National Master Plan is a comprehensive plan that has been prepared depicting the economic zones and the infrastructure linkages required to support them with an objective to holistically integrate all the multimodal connectivity projects and remove missing gaps for seamless movement of people, goods & services. In the Plan, all the existing and proposed economic zones have been mapped along with the multimodal connectivity infrastructure in a single platform ranging in three time periods, i.e., status as on 2014-15, achievements made by

2020-21 and planned interventions up to 2024-25. Minimising disruptions, ensuring quick completion of works with cost efficiency, enhancing ease of living and ease of doing business are the guiding principles for development of infrastructure as per the PM GatiShakti NMP.

- PM GatiShakti provides a bird's eye view of infrastructure development with key layers based on completion timelines of various Economic Zones, Infrastructure & Utilities across the country. The PM Gatishakti NMP has been developed by BISAG-N (Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics) and has been prepared in dynamic Geographic Information System (GIS) platform wherein data on specific action plan of all the Ministries/Departments have been incorporated within a comprehensive database. The system is being further developed as a Digital Master Planning tool with Project Management tools, dynamic dashboards, MIS reports generation, compliance tools etc. being made available to support all the Ministries in the implementation of the Master Plan.

- The data of all the individual Ministries is being integrated in one platform which will be available for planning, review and monitoring by the Network Planning Group. The Logistics Division, Ministry of Commerce will further assist all the stakeholders through BISAG-N for creating and updating their required layers in the system and update their database through Application Programming Interface (APIs).

- Industrial Corridor Development Programme is a sub-set of PM GatiShakti- National Master Plan wherein industrial corridor nodes/cities are being developed to ensure multi modal connectivity.

MARKETING AND PROMOTION

- With trunk infrastructure development activities either completed or nearing completion, land allotment in four (04) DMIC 'Smart Cities' is underway. With the setting up of some industries and start of commercial production activities, the Delhi Mumbai Industrial Corridor project has entered into the operational phase. Shendra Industrial Park/Aurangabad Industrial City (AURIC) in Aurangabad, Maharashtra is the first city which has been dedicated to the nation by Hon'ble Prime Minister in September, 2019.

- Companies to whom land was allotted have already started their commercial operations and some are targeting to commence their operations in FY 2022-23. Accordingly, the primary objective of marketing activities & investment promotion initiatives will focus around 'brand building' & 'investor engagement' of NICDC with focus of various priority sectors like Pharmaceuticals, Medical Devices, white goods like air-conditioners, LEDs, etc., textiles, automobiles, electronics, component manufacturing, food processing, electric vehicles and its components, healthcare components, etc. The thrust sectors will be the one where the Government of India

has recently announced the Production Linked Incentives (PLIs) scheme for boosting manufacturing. The target is to tap those companies which are planning to avail the PLI scheme of the Government of India and looking for developed land parcels with complete plug-n-play infrastructure.

- With the expansion in the mandate of NICDIT for other Industrial Corridor Projects and start of implementation activities for those projects during this year, the focus will also be to create awareness about the availability in short term in the southern part of the country.

- As part of the marketing initiatives, following major activities have been carried out:

  i. Active on social media platforms like Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin and is keeping regular communication with concerned stakeholders about the latest updates of the industrial corridors, PM Gati Shakti National Master Plan, ULIP and smart cities under development.
  ii. Comprehensive press advertisement in newspaper/magazine for dissemination of information about major policy decisions.
  iii. Participate in technology/infrastructure/smart cities related expo.
  iv. Printing of SPVs brochures, pitchbooks, reports for marketing purposes.
  v. Investor interaction is regularly taking place by means of participation in summits, conclaves, seminars and conferences being organized by various trade bodies, chambers of commerce and apex industry associations.
  vi. Business meetings with various industrial houses and trans-national companies explaining the business case for investing in Industrial Corridor Projects.
  vii. Investor roundtables have been held virtually with high-powered business delegations from various countries to present investment opportunities in the Industrial Corridor Projects.
  viii. Workshops with Investment Facilitation Agencies of various countries to present the manufacturing opportunities available in the Industrial Corridor Projects for global conglomerates and key market players.
  ix. Regular interactions are being done with the Ministries/ Departments of Government of India where Production Linked Incentive (PLI) Schemes have been announced to target companies which are looking for developed land parcels.

- The whole objective is to create quality infrastructure ahead of demand and keep the developed land parcels ready for immediate allotment for attracting investments into manufacturing and thus making India a strong player in the Global Value Chain.

Policy Based Loan (PBL) from Asian Development Bank (ABD) for Industrial Corridor Development Programme

In March 2020, the Screening Committee of Department of Economic Affairs (DEA) approved the loan assistance in the form of a Policy Based Loan (PBL) of USD 500 million for Industrial Corridor Development Programme. The objective of the proposed loan program is to support DPIIT/NICDC/NICDIT in development of industrial corridors to increase India's competitiveness as a global manufacturing hub through policy reforms.

The PBL was structured under the programmatic approach with two subprograms/tranches of $250 million each. The Executing Agency (EA) of the program is Ministry of Commerce and Industry acting through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and Implementation Agency (IA) is NICDIT supported by NICDC.

The loan is taken by Govt. of India (GoI) through Ministry of Finance (MoF) and its servicing and repayment obligation will also be of GoI. Release of funds will continue to flow to NICDIT through DPIIT in the form of Grant-in-Aid as part of overall approved corpus of funds for Industrial Corridor Development Program for onward release to project SPVs as Equity and/or Debt in accordance with the Institutional and Financial Structure approved by GoI.

Sub-program 1 consists of eleven (11) policy actions with an objective to strengthen the institutional structures and mechanism for integrated development, innovative financing solutions and investment promotion in industrial corridors. After successful completion of policy actions by EA/IA as outlined in the policy matrix, in October 2021, ADB approved the first sub-program of the PBL for USD 250 million for Industrial Corridor Development Programme to Govt. of India.

Subsequently, in January 2022, the loan was made effective and was disbursed to the Consolidated Fund of Govt. of India. Together with the sub-program 1, ADB also approved the provision of a Technical Assistance (TA) of USD 1 million for knowledge services for Industrial Corridor Development Programme to the Govt. of India to be provided as a grant and to be implemented over 38-months period commencing from November, 2021.

For sub-program 2 (USD 250 million), 13 policy actions have been listed in the policy matrix with a time frame of February 2022 – December 2024. The TA will support the delivery of 11 out of 13 policy actions under sub-program 2 for which the action has already been initiated by ADB. The sub-program 2 of USD 250 million is expected to be disbursed under a single tranche in FY 2025.

FINANCIAL RESULTS SUMMARY

During the Financial Year 2021-22, a sum of Rs. 809.00 crore and Rs. 50.10 crore was released by GOI towards the Main Corpus and Additional Corpus of the Trust, respectively.

The Financial Summary of the Trust at the end of the financial year is as follows:

(Rs. in Crore)

Particulars	FY 2021-22	FY 2020-21
Corpus / Capital Fund	9039.13	8213.77
Fixed assets	Nil	Nil
Investments	8684.17	7526.85
Current Assets	355.03	686.98
Earmarked Funds	Nil	Nil
Current Liabilities	0.07	0.05
Non-Current Liabilities	Nil	Nil
Gross Income	30.10	26.59
Excess /(Deficit) of Income over Expenditure	16.36	2.97

Auditors

As per Clause 13 of the Trust Deed, the NICDIT shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

The President of India entrusted the audit of Accounts of NICDIT to the office of C&AG for a period of 5 years from the year 2017-18 to 2021-22 under section 20(1) of the Comptroller & Auditor General (Duties, Powers & Condition of Service) Act, 1971.

During the year, the C&AG Audit Team conducted Annual Accounts Audit and Transaction Audit for the financial year 2020-21.

Particulars of Employees

NICDIT has no employees during the year 2021-22. NICDC Limited, being the Knowledge Partner provides all services and support to NICDIT.

In accordance with the clause 8.5 of the Trust Deed, Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) shall act as Chairman of the Trust and CEO & MD, NICDC Limited shall act as Chief Executive Officer (CEO) of NICDIT.

Acknowledgement

The Chief Executive Officer of the Trust wishes to place on record, his gratitude to all Trustees for their continued support, co-operation and contribution in the Trust.

***For* National Industrial Corridor Development and Implementation Trust**

(Amrit Lal Meena)
CEO & Member Secretary

Place : New Delhi
Date : 08-June-2022

संख्या / No.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (INFRASTRUCTURE), DELHI

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

सत्यमेव जयते

दिनांक / Dated

सेवा में ,

सचिव,भारत सरकार ,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली

विषय- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट (NICDIT) के वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट के वर्ष 2021-22 के प्रमाणित वार्षिक लेखों की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रहा हूँ। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनो के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले शासी निकाय (Governing body) को नियमानुसार अवश्य प्रस्तुत किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद में प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

CFO, NICDC
for n/a [illegible]
12/x/22

भवदीय,

हस्ता.
(दीपक कपूर)
महानिदेशक

संख्याः- GAP|NICDIT|A/c|6-94|22-23|272 दिनाँकः- 10|10.2022

प्रतिलिपिः-

1. CEO & Member Secretary, 8 फ्लोर, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

दीपक
(दीपक कपूर)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust for the year ended 31 March 2022

We have audited the attached Balance Sheet of NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST (NICDIT) as at 31 March 2022 and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payment Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) entrustment letter No 1(5)-B(R&C)/2018 dated 16 March 2018. The audit has been entrusted for the period up to 2021-22. These financial statements are the responsibility of the Trust. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statement. An audit also includes assessing the accounting policies used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by NICDIT as required under clause 13.1 of the Deed of Trust dated 27th September 2012 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Grants-in-Aid

Status of Grants in aid under Project Implementation Fund and Project Development Fund was as under (as per information furnished by management):

(Rs. in crore)

Particulars	**Project Implementation Fund (For creation of capital assets)**	**Project Development Fund (to carry out project development activities)**
Opening balance (01.04.2021)	366.92	1.18
Add: Grant received during 2021-22	809.00	50.10
Add: Interest and dividend earned during 2021-22 (include interest on deposit, interest on saving account and interest on income tax refund)	7.78	0.06
Add: Income tax refund	2.56	-
Total amount available	**1186.26**	**51.34**
Less: Amount utilized	1171.04	50.10
Closing balance as on 31.03.2022	**15.22**	**1.24**

B. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the CEO & Member Secretary through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) We report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Account, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) as at 31 March 2022; and

b) In so far as it relates Income and Expenditure account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

DKapoor

(Deepak Kapoor)
Director General of Audit (Infrastructure)
New Delhi

Place: New Delhi

Dated: 10 October 2022

Annexure I to Audit Report

1. **Adequacy of Internal Audit System**

   Internal Audit was conducted for the year 2021-22 by a Chartered Accountant Firm. Internal audit system needs strengthening with respect to checking of Grant in aid register and maintenance of investment register.

2. **Adequacy of Internal Control System**

   Internal control system is commensurate with the size of the organization.

3. **System of Physical Verification of Fixed Assets**

   NICDIT does not have any fixed assets.

4. **System of Physical Verification of Inventory**

   NICDIT does not have any inventory.

5. **Regularity in Payment of Statutory Dues**

   The NICDIT was regularly depositing all the statutory dues.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

BALANCE SHEET
As at 31st March, 2022

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2021-22	2020-21
CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus / Capital Fund	1	90,39,13,06,911	82,13,77,34,610
Reserves and Surplus	-	-	-
Earmarked / Endowment Funds	-	-	-
Loans and Borrowings	-	-	-
Current Liabilities and Provisions	2	6,89,329	5,44,339
Total		**90,39,19,96,240**	**82,13,82,78,949**
ASSETS			
Fixed Assets	-	-	-
Investments	3	86,84,16,84,431	75,26,84,77,541
Current Assets, Loans, Advances etc.	4	3,55,03,11,809	6,86,98,01,408
Total		**90,39,19,96,240**	**82,13,82,78,949**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form integral part of the Financial Statements.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Amrit Lal Meena)
CEO & Member Secretary

(Anurag Jain)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 8th June,2022

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

for the year ended 31st March 2022

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2021-22	2020-21
INCOME			
Interest Earned	5	29,89,28,951	25,86,71,340
Other Income	6	20,82,460	72,28,271
Total (A)		**30,10,11,411**	**26,58,99,611**
EXPENDITURE			
Other Administrative Expenses	7	13,74,39,110	23,61,99,040
Total (B)		**13,74,39,110**	**23,61,99,040**
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)		16,35,72,301	2,97,00,571
Transfer to Additional Corpus		6,05,059	19,00,889
Transfer to / from General Reserve		-	-
Balance being Surplus / (Deficit) carried to Main Corpus / Capital Fund		**16,29,67,242**	**2,77,99,682**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form integral part of the Financial Statements.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Amrit Lal Meena)
CEO & Member Secretary

(Anurag Jain)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 8th June,2022

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

RECEIPTS AND PAYMENTS

for the year ended 31st March 2022

(Amount - ₹)

RECEIPTS	2021-22	2020-21	PAYMENTS	2021-22	2020-21
I. Opening Balances			**I. Expenses**		
a) Cash in Hand	-	-	Other Administrative Expenses	13,72,59,596	23,66,25,844
b) Bank Balances					
i) In Saving Accounts	34,03,604	79,221	**II. Payments made for various projects**		
ii) In Deposit Accounts	3,67,75,99,846	1,79,69,68,241	a) Out of Main Corpus		
			-Release of loan to:		
II. Grants Received			i) DMIC Vikram Udyogpuri Limited	-	28,00,00,000
a) From Government of India for Main Corpus	8,09,00,00,000	25,59,90,00,000	b) Out of Additional Corpus		
b) From Government of India for Additional Corpus			-Release of Grant-in-aid to:		
-Project Development Activities	50,00,00,000	40,00,00,000	i) NICDC Limited	50,10,00,000	45,10,00,000
-Swatchta Action Plan	10,00,000	10,00,000			
III. Income on Investments from			**III. Investments and deposits made**		
a) Main Corpus	-	-	a) Out of Main Corpus	11,57,32,06,890	23,44,39,12,440
b) Additional Corpus	-	-	b) Out of Additional Corpus	-	-
IV. Interest Received			**IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-progress**	-	-
a) On Bank Deposits (net of TDS)	72,54,516	2,66,72,696			
b) On Saving Accounts	6,91,27,166	1,78,09,237	**V. Refund of Surplus money/Loans**	-	-
V. Other Income (Refer to Schedule 6)			**VI. Finance Charges (Interest)**	-	-
a) Main Corpus	20,47,208	60,87,073			
b) Additional Corpus	252	11,41,198	**VII. Other Payments**	-	-
VI. Amount Borrowed	-	-	**VIII. Closing Balances**		
			a) Cash in Hand	-	-
VII. Any Other Receipts			b) Bank Balances		
(i) Income Tax Refund	2,55,93,290	7,20,75,976	i) In Saving Accounts	81,079	34,03,604
(ii) Reimbursement of expenses from NICDC Ltd.	-	2,06,092	ii) In Deposit Accounts	16,44,78,317	3,67,75,99,846
(iii) Transfer of Equity	-	17,15,00,000			
Total	**12,37,60,25,882**	**28,09,25,41,734**	**Total**	**12,37,60,25,882**	**28,09,25,41,734**

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Amrit Lal Meena)
CEO & Member Secretary

(Anurag Jain)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 8th June,2022

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2022

(Amount - ₹)

Particulars		2021-22	2020-21
SCHEDULE 1 : CORPUS / CAPITAL FUND			
1.0. MAIN CORPUS / CAPITAL FUND			
Balance at the beginning of the year		82,12,56,29,647	56,49,88,29,965
Add: Contribution received towards Corpus / Capital Fund		8,09,00,00,000	25,59,90,00,000
Add / (Less): Balance of net income / expenditure transferred from the Income and Expenditure Account		16,29,67,242	2,77,99,682
Balance as at the year end (A)		**90,37,85,96,889**	**82,12,56,29,647**
1.1. ADDITIONAL CORPUS FOR NICDC LIMITED (Formerly Known as DMICDC LIMITED)			
Balance at the beginning of the year		4,22,84,25,787	3,82,74,25,787
Add: Contribution towards Additional Corpus / Capital Funds			
-For carrying out Project Development Activities		50,00,00,000	40,00,00,000
-For Swatchta Action Plan		10,00,000	10,00,000
	(a)	4,72,94,25,787	4,22,84,25,787
Add: Balance of net income / expenditure transferred from Income and Expenditure Account			
- Upto Previous Year		38,34,06,176	38,15,05,287
- During the Current Year		6,05,059	19,00,889
	(b)	38,40,11,235	38,34,06,176
Less: Amount utilised by releasing Grant-in-aid to NICDC Ltd. (Formerly Known as DMICDC Ltd.)			
- Upto Previous Year		4,59,97,27,000	4,14,87,27,000
- During the Current Year		50,10,00,000	45,10,00,000
	(c)	5,10,07,27,000	4,59,97,27,000
Balance as at the year end (B)=[(a) + (b) - (c)]		**1,27,10,022**	**1,21,04,963**
Grand Total (A + B)		**90,39,13,06,911**	**82,13,77,34,610**

National Industrial Corridor Development And Implementation Trust ★ New Delhi

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2022

(Amount - ₹)

Particulars		2021-22	2020-21
SCHEDULE 2 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
2.0. CURRENT LIABILITIES			
1. Sundry Creditors:			
(a) For Goods		-	-
(b) Others		1,09,090	1,36,475
2. Statutory Liabilities			
(a) Others			
- Tax Deducted at Source (TDS)		9,500	7,125
	(A)	1,18,590	1,43,600
2.1. PROVISIONS			
1. Others			
(a) Provision for Audit fees			
- Current Year		1,70,000	1,70,000
- Previous Years		4,00,739	2,30,739
	(B)	5,70,739	4,00,739
Total (A + B)		**6,89,329**	**5,44,339**
SCHEDULE 3 : INVESTMENTS			
1. Investment From Earmarked / Endowment Funds		-	-
2. Investment - Others			
(a) Shares			
Investment in Equity Shares of-			
- DMIC Vikram Udyogpuri Ltd.		55,93,00,000	55,93,00,000
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited		14,70,25,26,880	6,17,20,00,000
- Aurangabad Industrial Township Ltd.		30,00,00,00,000	30,00,00,00,000
- Dholera Industrial City Development Ltd.		27,84,83,00,001	25,51,94,08,351
- NICDC Logistics Data Services Ltd.		4,01,98,000	4,01,98,000
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.		5,00,00,000	5,00,00,000
- DMIC Haryana MRTS Project Ltd.		5,00,00,000	5,00,00,000
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited		2,08,05,41,750	2,08,05,41,750
- Dholera International Airport Co. Ltd.		24,24,00,000	24,24,00,000
- CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd.		5,86,73,86,600	5,86,73,86,600
- NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited		5,22,10,31,200	4,53,22,42,840
- CBIC Ponneri Industrial Township Limited		2,50,00,000	2,50,00,000
- The Kerala Industrial Corridor Development Corporation Limited		2,50,00,000	-
- DMIC Pithampur Jal Prabandhan Ltd.*		-	-
(b) Others			
- Release of Funds to NICDC Limited (Formerly Known as DMICDC Limited for Investment in Equity Shares of NICDC Neemrana Solar Power Limited (Refer Note No. 3 of Schedule-9)		13,00,00,000	13,00,00,000
Total		**86,84,16,84,431**	**75,26,84,77,541**

* In the 2nd Meeting of NICDIT held on August 23, 2017, Board of Trustee approved the transfer of 49% of equity in DMIC Pithampur Jal Prabandhan Limited held by NICDIT to the State Government in terms of the provision of Clause 9.2 of the Shareholder Agreement. The transfer of Equity took place on 14th September, 2020.

National Industrial Corridor Development And Implementation Trust * New Delhi

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2022

(Amount - ₹)

Particulars		2021-22	2020-21
SCHEDULE 4 : CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.			
4.0. CURRENT ASSETS:			
1. Bank Balances with Scheduled Banks:			
(a) On Deposit Accounts			
- Main Corpus		15,21,63,575	3,66,58,37,499
- Additional Corpus		1,23,14,742	1,17,62,347
(b) On Saving Accounts			
- Main Corpus		26,134	33,53,323
- Additional Corpus		54,945	50,281
	(A)	**16,45,59,396**	**3,68,10,03,450**
4.1. LOANS, ADVANCES & OTHER ASSETS:			
1. Loans and Advances (considered good and recoverable) to:			
-DMIC Vikram Udyogpuri Limited		2,60,54,00,000	2,60,54,00,000
2. Interest Accrued and due on Deposits with Bank:			
-Main Corpus		13,21,131	9,95,161
-Additional Corpus		3,06,003	3,15,120
3. Interest Accrued but not due on Loans and Advances from:			
-DMIC Vikram Udyogpuri Limited*		73,76,67,125	53,83,54,025
4. Others:			
-Tax Deducted at Source			
i. Main Corpus		4,09,35,099	4,36,68,120
ii. Additional Corpus		1,16,642	59,596
-Prepaid Expenses		6,168	5,936
-Advance for Services (Stock Holding Corporation of India Limited)		245	-
	(B)	**3,38,57,52,413**	**3,18,87,97,958**
Total (A + B)		**3,55,03,11,809**	**6,86,98,01,408**

* As per the Clause 5.1 of the loan agreement, interest accrued on the loan disbursed to the SPV will be received only after the completion of Moratorium period of 10 years commencing from project commencement date of 7th July 2015.

National Industrial Corridor Development And Implementation Trust ★ New Delhi

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
for the year ended 31st March 2022

(Amount - ₹)

Particulars	2021-22	2020-21
SCHEDULE 5 : INTEREST EARNED		
1. On Term Deposits (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	77,39,452	2,44,53,725
[TDS for Current Year - ₹ 7,11,224/- (Previous Year - ₹ 19,03,797/-)]		
(b) Additional Corpus	6,03,332	7,52,665
[TDS for Current Year - ₹ 60,191/- (Previous Year - ₹ 56,451/-)]		
2. On Savings Accounts (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	6,91,25,692	1,78,02,212
(b) Additional Corpus	1,475	7,026
3. On Loans:	22,14,59,000	21,56,55,712
[TDS for Current Year - ₹ 2,21,45,900/- (Previous Year - ₹ 1,61,74,178/-)]		
Total	**29,89,28,951**	**25,86,71,340**
SCHEDULE 6 : OTHER INCOME		
1. Interest on Income Tax Refund:		
(a) Main Corpus	20,47,208	60,87,073
(b) Additional Corpus	252	11,41,198
2. Dividend Income	-	-
3. Provision Written Back	35,000	-
Total	**20,82,460**	**72,28,271**
SCHEDULE 7 : OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES		
a) Service Fees	11,57,32,070	20,00,00,000
b) Tax Expense on Service Fee *	2,08,31,774	3,60,00,000
c) Auditors Remuneration		
- Current Year	1,70,000	1,70,000
- Previous Years	-	53,534
d) Advertising Expenses **	-	(2,25,277)
e) Professional and Consultancy Fees	1,25,080	1,18,590
f) Meeting and Conference Expenses	-	18,712
g) Printing & Stationery	-	58,346
h) Share Dematerialsation Expenses	5,45,993	5,053
i) Others		
- Misc. Expenses	34,193	82
Total	**13,74,39,110**	**23,61,99,040**

* In Compliance to the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), a clarification was given by the Board of Trustees in its 8th meeting held on 21st September 2021 that the Service Fee paid to NICDC Limited @1% subject to the maximum limit of Rs.20 Crore in a year of the funds released by NICDIT to various Project/Node SPVs as Equity/Debt is excluding the applicable taxes. Accordingly, the Service Fee paid to NICDC Limited and GST @18% on Service Fee have been shown separately.

** In compliance to the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) , the advertisement expenditure incurred on behalf of NICDC Ltd. has been reversed and recovered.

National Industrial Corridor Development And Implementation Trust ★ New Delhi

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS
for the year ended 31st March 2022

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.0 Accounting Convention

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention and on the basis of accrual method of accounting unless otherwise stated.

2.0 Long-term Investments

Long-term investments are carried at actual cost including the cost incidental to acquisition.

3.0 Fixed Assets

3.1 Fixed Assets are shown at cost less accumulated depreciation and impairment, if any;

3.2 Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the assets are ready for use, as intended by the management;

3.3 Subsequent expenditures relating to Fixed Assets are capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these assets will flow to Trust and the cost of the item can be measured reliably. Repairs & maintenance costs are recognized in the Income and Expenditure Account when incurred;

3.4 Depreciation is provided on pro-rata to the extent of depreciable amount on Written Down Value (WDV) method. Depreciation is provided based on useful life of the assets.

4.0 Government Grant

4.1 Trust receives non-recurring / recurring grants-in-aid from Government of India separately for:

(i.) "Creation of Capital Assets" towards the main Corpus of the Trust shown as "Main Corpus" under "Corpus / Capital Fund"; and

(ii.) "General" earmarked to be given to National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited (Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited) as grant-in-aid to carry out project development activities and for Swatchta Action Plan are shown as "Additional Corpus" under "Corpus / Capital Fund".

4.2 The grants-in-aid received from the Government of India are accounted on receipt basis.

5.0 Revenue Recognition

5.1 Income is recognised on accrual basis.

5.2 Interest earned on surplus funds of "Main Corpus" and "Additional Corpus" are shown distinctly under these respective heads.

6.0 Other Administrative Expenses

Other administrative expenses are met out of the interest income on surplus funds of grant-in-aid received under the head "Main Corpus / Capital Fund".

New Delhi

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

7.0 Service Fees

Service Fees for the services rendered by NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) @ 1% plus applicable taxes (subject to the maximum limit of ₹ 20 crore plus applicable taxes in a year) of the funds released by Trust to various projects out of Project Implementation Fund (PIF) with effect from 26th July, 2016 is recognised on accrual basis.

8.0 Foreign Currency Transactions

Expenses in foreign currencies are accounted at the prevailing market rate of exchange on the date of transaction and income in foreign currencies are accounted at the value recovered from these currencies.

9.0 Leases

Leases are classified as operating lease where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership during the lease term. Operating lease payments as per the terms of the lease agreement are recognised as an expense in the Income and Statement account on accrual basis.

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1.0 National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier DMIC Project Implementation Trust Fund) was formed on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) vide order no. 11/1/2016-IC dated 22.12.2016 conveyed the approval of Government of India in its Cabinet Meeting held on 7th December, 2016 for the expansion of mandate of Trust to include other Industrial Corridors i.e., Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC), Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC), Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) with extension to Kochi via Coimbatore (approved by Board of Trustees of NICDIT in its 4th meeting held on 30th August 2019) and Vizag – Chennai Industrial Corridor (VCIC) as part of East Coast Industrial Corridor (ECIC) Projects along with existing Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) Project and its redesignation as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT).

Further, Government of India in its meeting held on 30th December 2020 has approved the implementation of 11 Industrial Corridors consisting of 32 projects to be developed in 4 phases, under the Industrial Corridor Programme, within the overall framework of PM Gati Shakti National Master Plan for providing multi modal connectivity infrastructure to various Ecnomic Zones. Out of these 11 Industrial Corridor projects , 5 were approved earlier by GoI.

2.0 As per the Financial and Institutional structure for the development of industrial cities in the Delhi - Mumbai Industrial Corridor (DMIC) approved by the Government on 15th September, 2011, the Government of India will provide a grant-in-aid of ₹ 17,500 crore to the Trust over the next 5 years beginning 2011-12, for the development of industrial cities. An Additional Corpus of ₹ 1000 crore would be given to Trust for passing on to National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited (Formerly Known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited) as grant-in-aid over the next five years to carry out project development activities and to form project specific SPVs and sectoral holding companies consisting of project specific SPVs in a range of infrastructure areas.

Government of India in its meeting held on 7th December, 2016 accorded its permission to utilise the above approved financial assistance along with additional sanctioned amount of ₹ 1584 crore (i.e., ₹ 1500 crore for other industrial corridor and ₹ 84 crore for Administrative expenses of NICDIT) within the extended period upto 31st March, 2022 which has been further extended upto March 2027 as per the approval given by Government of India in its meeting held on 30th December 2020.

During the year, a sum of ₹ 809 crore (Previous Year ₹ 2559.90 crore) was received towards Main Corpus / Capital Fund and ₹ 50.10 crore (Previous Year ₹ 40.10 crore) towards the Additional Corpus.

The Government of India's contribution to Trust would be used as a Revolving Corpus.

3.0 As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹ 13,00,00,000/- (Rupees Thirteen Crore Only) was transferred to NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) out of Main Corpus/ Capital Funds of Trust during the financial year 2013-14 for onward release to its 100% owned SPV namely "NICDC Neemrana Solar Power Limited" (Formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited) towards 100% equity investment of Trust through NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) for the implementation of 6.00 MW Model Solar Power Project. The upsides from such investment will flow back to the Trust through NICDC Limited (Formerly knwon as DMICDC Limited). The amount so released was reduced from the Corpus Funds of Trust during the Financial Year 2013-14.

As per the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountant of India obtained on the recommendations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) regarding the disclosure of the transaction, the amount reduced from the Main Corpus /Capital Fund of the Trust has been added back during the financial year 2016-17.

The corresponding disclosure has been made under the head "Investment".

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

4.0 Employee Benefits

Trust does not have any employee. The provision for liability on account of employee's benefit including retirement benefit is NIL (Previous Year NIL).

5.0 Contingent Liabilities

The Contingent Liability of Trust is NIL (Previous Year NIL).

6.0 Capital Commitments

The Capital Commitment of Trust is NIL (Previous Year NIL).

7.0 Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the management and to the best of their knowledge and belief, the current assets, loans and advances have a value on realisation in the ordinary course of business which would not be less than the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

8.0 Taxation

The Director of Income Tax (Exemption) vide order dated 13th August. 2013, has granted registration under section 12A read with section 12AA of the Income Tax Act, 1961 with effect from the assessment year 2013-14 in response to an application filed by Trust on 28th March, 2013. Accordingly, the Trust has not made provision for income tax.

In accordance with the recent ammendments in the provisions of Income Tax Act, 1961, the Trust has re-registered itself under section 12A of the Income Tax Act,1961. The Principal Commissioner of Income Tax vide order dated 28th May,2021 has granted provisional registration under sub clause (i) of clause (ac) of sub-section(1) of Section 12A of the Income Tax Act,1961 for the period of five years starting from AY 2022-23.

Besides, in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, an amount of ₹ 11,84,20,589/-(Previous Year - NIL/-) is set apart out of the income of the Trust which is to be utilised within 5 years i.e., upto 31.03.2027 for the purpose of development and implementation of Industrial Corridor Projects.

The amount set apart upto the financial year 2020-21 has already been utilised for the purpose of development and implementation of Industrial Corridor Projects.

		Amount (₹) 2021-22	Amount (₹) 2020-21
9.0	**Foreign Currency Transactions**		
9.1	Earning in Foreign Currency	Nil	Nil
9.2	Expenditure in Foreign Currency	Nil	Nil
10.0	**Remuneration to Auditors**		
10.1	Audit Fees		
	- For Current Year	1,70,000	1,70,000
	- For earlier Financial Years	-	53,534
10.2	For Taxation Matters	-	-
10.3	For Other Services	-	-

National Industrial Corridor Development And Implementation Trust ★ New Delhi

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

11.0 Project Development Expenditure

In accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) on the Annual Accounts of National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC)(Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC)), the matter of transfer of 'Project Development Expenditure' incurred by NICDC Limited out of the Project Development Funds (PDF) to the concerned subsidiaries /SPVs formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments was placed for the consideration of the Board of Trustees of NICDIT in its 3rd meeting held on 06.03.2018.

As per the directions of the Board of Trustees, 'Project Development Expenditure' incurred by NICDC Limited in relation to projects of the said Subsidiaries /SPVs out of project development funds provided as Grant-in-Aid, to the concerned subsidiaries /SPVs has been transferred to the respective SPVs wherever the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s)./Nodal Agency(ies) provides for recovery and the recovery of the same has been deferred till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds.

Further, in accordance with the accounting policies of NICDC Limited, the project development expenditure incurred for the projects which have not been taken off or no further activities have been carried out or the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s). /Nodal Agency(ies) does not provide for such recovery, have been disclosed as reduction from 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserves' in the Financial Statements of NICDC Limited.

12.0 Statement of Receipts and Payments

The Statement of Receipts and Payments is prepared on the basis of inflows and outflows of cash during the year.

13.0 Impact of COVID-19 on the operations of the Trust

The Trust on the basis of its assessment and considering the nature of its business, believes that the operations of the Trust are not likely to be impacted adversely by COVID -19 pandemic.

14.0 Corresponding figures for the previous year have been regrouped / rearranged, wherever necessary.

15.0 Schedules 1 to 9 are annexed to and form integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2022 and the Income and Expenditure Account for the period ended on that date.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Amrit Lal Meena)
CEO & Member Secretary

(Anurag Jain)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 8th June,2022